



मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2020—2021



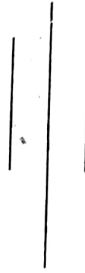
रूपांकन
श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर
2021

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2021

मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग



वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2020-21



श्रमायुक्त संगठन
श्रम न्यायपालिका
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल
मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
मध्यप्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

विभाग	श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन
मंत्री	माननीय श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव	श्री उमाकांत उमराव
श्रम आयुक्त	श्री आशुतोष अवस्थी
अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय	श्री न्यायमूर्ति एस. के. अवस्थी
उप सचिव	श्री छोटे सिंह
संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	डॉ. बी.एल. बंगेरिया

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

विषय सूची

अध्याय खंड

शीर्षक

पृष्ठ

	• वर्ष 2020-21 में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां	1-5
1	श्रम विभाग की भूमिका	6-9
1.1	प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या	6
1.2	संविधान के सुसंगत प्रावधान	6
1.3	महत्वपूर्ण श्रम कानून	7
1.4	प्रदेश में पंजीकृत कारखानों एवं स्थापनाओं की जानकारी	9
2.	विभागीय संरचना एवं बजट – एक विहंगावलोकन	10-15
2.1	श्रमायुक्त संगठन	10
2.2	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	11
2.3	कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) सेवायें	11
2.4	औद्योगिक न्यायालय	12
2.5	संविधिक मण्डल	12
2.5.1	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल	12
2.5.2	मध्यप्रदेश स्टेट पेंसिल कर्मकार कल्याण, मंडल	13
2.5.3	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	13
2.5.4	मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल	13
2.6	ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य	13
2.7	कम्प्यूटरीकरण	14
2.8	बजट प्रावधान	15

3.		औद्योगिक संबंध	16-20
	3.1	सामान्य	16
	3.2	औद्योगिक विवाद की स्थिति में सुलह कार्रवाई	16
	3.3	ले-आफ, छंटनी और बन्दीकरण हेतु अनुमति	17
	3.4	मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन	17
	3.5	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन	18
	3.6	व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन	19
4.		औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	21-29
	4.1	सामान्य	21
	4.2	कारखाना अधिनियम, 1948	21
	4.3	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 का कार्यान्वयन	25
	4.4	“अति खतरनाक” स्थापनाओं संबंधी प्रावधान : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन	25
	4.4.1	संक्षिप्त विवरण	25
	4.4.2	“अति खतरनाक” श्रेणी के कारखाने	26
	4.4.3	ऑन साईट आपात योजनाएं	26
	4.4.4	ऑफ साईट आपात योजनाएं	26
	4.4.5	सुरक्षा आडिट	27
	4.5	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर	28
5.		मजदूरी, उपादान और बोनस संबंधी अधिनियमों का कार्यान्वयन	30-33
	5.1	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	30
	5.2	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	32
	5.3	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972	32

	5.4	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	33
6.		बाल श्रमिक	34-39
	6.1	बाल श्रमिक	34
	6.2	बाल श्रम संबंधी कानून का प्रवर्तन	36
	6.3	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	38
7.		बीड़ी श्रमिक	40-41
	7.1	प्रारंभिक	40
	7.2	बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का कार्यान्वयन	40
	7.3	बीड़ी श्रमिक कल्याण	40
	7.4	बीड़ी श्रमिकों के लिये आवास संबंधी योजना	41
	7.5	घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिए जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा का निर्धारण	41
	7.6	बीड़ी श्रमिकों को वेतन पर्ची	41
8.		असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक	42-45
	8.1	प्रारंभिक	42
	8.2	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यदल	42
	8.3	भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक	43
	8.4	मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल,	45
9.		बंधक श्रमिक	46-50
	9.1	प्रारंभिक	46
	9.2	बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से संवेदनशील जिले	46
	9.3	जिला एवं उपखंड-स्तरीय निगरानी समितियां	47
	9.4	विमुक्त बंधक श्रमिकों का पुनर्वास	48

10.	कतिपय अन्य महत्वपूर्ण श्रम कानूनों का कार्यान्वयन	51-54
10.1	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	51
10.2	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955	51
10.3	मध्यप्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	51
10.4	ढेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970	53
10.5	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवाशर्तें) अधिनियम, 1979	54
11.	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	55-60
11.1	प्रारंभिक	55
11.2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले हितलाभ और योजना के कार्यान्वयन का पैटर्न	55
11.3	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रदेश में विस्तार एवं बीमित व्यक्तियों की संख्या	56
11.4	चिकित्सा हितलाभ	57
11.5	परिवार कल्याण एवं अन्य सेवाएं	58
11.6	श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार संबंधी कार्य-योजना	58
11.7	एच.आई.वी./एड्स प्रकोष्ठ	59
11.8	विभागीय अमले की स्थिति	59
11.9	विभागीय पदोन्नतियों की स्थिति	59
11.10	विभागीय जांच की स्थिति	60
11.11	नियुक्तियों की स्थिति	60
11.12	स्थानांतरण की स्थिति	60
11.13	न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति	60
12.	श्रम न्यायपालिका	61-62
12.1	संवैधानिक व्यवस्था	61

	12.2	औद्योगिक न्यायालयों की खंडपीठ व प्रशासन	61
13.		राज्य-स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समितियां	63
	13.1	प्रारंभिक	63
	13.2	राज्य श्रम सलाहकार परिषद	63
	13.3	न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड	63
	13.4	राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड	63
	13.5	समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति	63
14.		सांविधिक मंडल	64-78
	14.1	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल	64
	14.2	मध्यप्रदेश स्टेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल	71
	14.3	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	74
	14.4	मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल	77
15.		महिला श्रमिक	79-82
	15.1	महिलाओं की संख्या और कार्यशील महिलाएं	79
	15.2	महिलाओं के लिये विशेष अधिनियम	80
	15.3	यौन उत्पीडन के लिये विशेष सुरक्षा	82

परिशिष्ट

क्रमांक

शीर्षक

पृष्ठ

1.1	भारत के संविधान के भाग 3 ("मूल अधिकार") और भाग 4 ("राज्य की नीति के निदेशक तत्व") के "श्रम" संबंधी प्रावधान	83
1.2	महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व	85
2.1	प्रदेश में कार्यरत श्रम कार्यालय तथा उनसे संबद्ध जिले	86
2.2	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधीन स्थापित कार्यालय एवं उनके कार्य क्षेत्र	88
2.3	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत संभाग एवं जिले-वार कार्यरत केन्द्र, उनसे संबद्ध बीमित व्यक्ति, और कार्यरत संस्थाएं	90
2.4	श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले	93
2.5	गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय	94
3.1	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 1(3) के अंतर्गत अनुसूचित उद्योग	96
3.2	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई	97
3.3	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अंतर्गत स्वीकृत अभियोजन	97
3.4	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर जारी किए वसूली प्रमाण पत्र एवं उनमें निहित वसूली योग्य राशि	98
3.5	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एम, 25-एन तथा 25-ओ के अंतर्गत कमशः ले-ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई	98
3.6	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई	99
3.7	औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई	99
3.8	व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत श्रम संगठनों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन, उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्ती हेतु की गई कार्रवाई	100
4.1	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों की सभागा एवं जिले-वार जानकारी	102
4.2	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 88 के अंतर्गत आने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी	103
4.3	मध्यप्रदेश में स्थित अति खतरनाक स्थापनाओं की सभागा एवं जिले-वार सूची	104
4.4	ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी एवं पूर्वाभ्यास	107
4.5	अति खतरनाक स्थापनाओं, जिनका सुरक्षा आडिट एम.एस.आई.एच.सी. नियम, 1989 के तहत अनिवार्य	108

	है. के सुरक्षा आडिट की स्थिति	
4.6	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण भाग - एक: हानिकारक पदार्थों की जांच	109
4.7	स्थल पर उपकरणों की सहायता से की गई जांच एवं उनका परिणाम	110
4.8	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण भाग - दो: स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश व ध्वनि संबंधी जांच	111
5.1	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन	113
5.2	न्यूनतम मजदूरी की दरें	115
7.1	बीडी एवं सिगार अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा श्रमिकों की संभाग एवं जिले-वार संख्या	116
7.2	बीडी श्रमिकों हेतु आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से स्वीकृत आवास	117
7.3	परिपत्र दिनांक 05.10.2002 के अनुसरण में घरखाता बीडी श्रमिकों के लिये कच्चे माल की जिले-वार निर्धारित वाजिब मात्रा	118
7.4	बीडी श्रमिकों को वेतन पर्ची वितरण की जानकारी	119
8.1	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नि. एवं सेवाशर्तों का वि.) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं की कार्यालय-वार जानकारी	120
9.1	बंधक श्रमिकों का पुनर्वास	122
10.1	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों की श्रम कार्यालय-वार जानकारी	125
10.2	नगर / कस्बे जहां म. प्र. दूकान एवं स्थापना अधिनियम प्रभावशील है	127
10.3	दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की जिले-वार जानकारी	137
10.4	टेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय-वार जानकारी	139
10.5	अंतर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय-वार जानकारी	141
11.1	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों / औषधालयों में उपचारित मरीज	143
11.2	परिवार कल्याण कार्यक्रम	143
11.3	टीकाकरण	144

11.4	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में किये गये ऑपरेशनों का विवरण	145
12.1	वर्ष 2014 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण	146
12.2	विभिन्न श्रम न्यायालयों में वर्ष 2014 के आरंभ में लंबित, वर्ष में दायर तथा वर्ष में निराकृत सिविल तथा फौजदारी प्रकरण	147

टीप : इस प्रतिवेदन में कतिपय श्रम कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं आदि के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं सांख्यिकी के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। परंतु विशिष्ट, पूर्ण और अद्यतन जानकारी के लिए मूल अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं एवं जानकारी आदि को ही देखा जाना चाहिए।

वर्ष 2020-21 में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

सुशासन की पहल

1. पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति संबंधी विभागीय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवेदकों को विभागीय कार्यालयों में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। समस्त विभागीय सेवाओं, योजनाओं एवं समस्त पंजीयन/लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया।
2. म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एक कार्य दिवस में जारी किया जा रहा है। म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीयन के नवीनीकरण का प्रावधान तथा साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान सशर्त समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 2020 में 161837 पंजीयन जारी किये गये।
3. म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन के पूर्व निरीक्षण/भौतिक सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त। मात्र खतरनाक प्रकृति के संस्थानों में पंजीयन प्रक्रिया पश्चात् (पूर्व सूचना के साथ) भौतिक सत्यापन की व्यवस्था।
4. श्रम कानूनों में संस्थानों के निरीक्षण पश्चात् 24 से 48 घंटे की समय सीमा में निरीक्षण टीप पोर्टल पर अपलोड। संस्थानों/कारखानों हेतु ऑनलाइन निरीक्षण टीप देखने एवं ऑनलाइन अनुपालन प्रस्तुत करने की व्यवस्था।
5. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय सेवाओं को लोक सेवाओं के रूप में भी सम्मिलित कर समय-सीमा में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया गया। कुल 32 सेवाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। सभी श्रम कानूनों में लायसेंस एवं पंजीयन संबंधी सेवाएं 1 कार्य दिवस में प्रदान की जाने की समय सीमा निर्धारित।
6. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एम.एस.एम.ई.) इकाइयों की स्थापना के प्रथम वर्ष में विभिन्न श्रम कानूनों में कोई निरीक्षण सम्पादित नहीं किये जाने का निर्णय।
7. स्टार्ट-अप इकाइयों की स्थापना के प्रथम पांच वर्ष में विभिन्न श्रम कानूनों में कोई निरीक्षण सम्पादित नहीं किये जाने का निर्णय।
8. बंधक श्रमिकों को चिन्हांकित कर उनके उन्मूलन एवं पुनर्वास योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु राज्य के सभी बड़े जिलों में कार्य-शालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन/बंधक श्रमिकों की पहचान व विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राज्य में लिबर्टी पोर्टल का संचालन।
9. बाल श्रम प्रथा की समाप्ति हेतु यूनिसेफ के साथ राज्य स्तरीय क्षमता वर्धन कार्यशाला। पेंसिल पोर्टल द्वारा बाल श्रमिकों व उनके पुनर्वास की ट्रेकिंग निरंतरित है।
10. अधिनियमों में सरलीकरण के दृष्टिगत सभी पंजीयनों एवं लाइसेंसों में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की संख्या में कमी की गयी। विशेषतः कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति हेतु अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या 18 से कम कर 5 एवं अति-खतरनाक एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानों में यह संख्या 21 से कम कर 13 की गयी।
11. वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत कारखाना श्रमिकों एवं कारखाना के ठेका श्रमिकों को वेतन भुगतान चेक या बैंक द्वारा सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये गये।

12. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं में लाभ का वितरण इ.पी.ओ. द्वारा सीधे डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही के खाते में किया जा रहा है। राज्य देश में दूसरे नम्बर पर अग्रणी है।
13. मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अंतर्गत समस्त हितग्राही को योजनाओं के अंतर्गत इ.पी.ओ. द्वारा समस्त हितलाभ का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे हितग्राही के खाते में किया जाता है।
14. केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों को समेकित कर निम्न चार श्रम संहिता (लेबर कोड) निर्मित –
 1. मजदूरी संहिता 2019
 2. औद्योगिक संबंध संहिता 2020
 3. उपजीकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020
 4. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020
 इन श्रम संहिता (लेबर कोड) के अंतर्गत राज्य के नियम बनाये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वव्यापीकरण

‘डिजिटल इंडिया’ मिशन के अंतर्गत किये गए कार्य :-

1. श्रम विभागीय सभी सेवाओं को केन्द्रीयकृत पोर्टल www.labour.mp.gov.in / www.shramsewa.mp.gov.in के माध्यम से सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
2. सभी श्रम कानूनों में पंजीयन एवं लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया ऑन-लाईन जैसे मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, भवन संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम एवं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का पंजीयन लायसेंस के नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण को पूर्णतः ऑनलाइन की गयी है।
3. पोर्टल द्वारा जारी सभी प्रमाण पत्रों का पब्लिक डोमेन में सत्यापन की सुविधा।
4. प्रक्रियाओं एवं प्रपत्रों का सरलीकरण तथा डिजिटल/कम्प्यूटराईज्ड संधारण की अनुमति।
5. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन के साथ सक्षम व्यक्तियों का पंजीयन/संस्थानों एवं खतरनाक कारखानों हेतु ऑन-साईट इमरजेंसी प्लान्स को भी ऑन लाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
6. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में उपकर जमा की सुविधा वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।

निरीक्षणों का विनियमन एवं ऑन लाइन संचालन

1. रिस्क आधारित ऑन-लाईन निरीक्षण प्रणाली तथा शिकायत आधारित निरीक्षण की अनुमति ऑन-लाईन।

2. पारदर्शिता हेतु निरीक्षकों का चयन केन्द्रीय आधारित निरीक्षण प्रणाली से करने की व्यवस्था की गई।
3. शिकायत / अनुमति आधारित निरीक्षणों को ऑन लाइन जारी किया जा रहा है।
4. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत स्थापना में जहां 10 से कम श्रमिक हो वहां किसी भी श्रम अधिनियम में निरीक्षण श्रम आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जा रहा है।
5. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी निरीक्षणों को अनिवार्यतः संयुक्त रूप से (औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक/श्रम अधिकारी द्वारा) संचालित करने के निर्देश हैं।

आम-जन तक सेवाओं की उपलब्धता

1. ऑनलाइन सेवाओं की श्रम विभागीय पोर्टल के माध्यम से तथा राज्य के लगभग 23 हजार MP-Online किओस्क तथा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी उपलब्धता है।

ऑनलाइन सेवाओं का सफलतम एकीकरण (Integration)

1. प्रथम चरण के अंतर्गत, भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल से दिसम्बर 2017 से इंटीग्रेशन किया गया एवं राज्य के सभी कार्यशील कारखानों को लेबर आईडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) जारी किए गए।
2. श्रम विभाग को मध्यप्रदेश शासन के इन्वेस्ट पोर्टल से जोड़ कर श्रम सेवा पोर्टल की 7 मुख्य सेवाओं को जोड़ा गया।

नवाचार की पहल

1. भारत सरकार द्वारा आयोजित डिजीटल इंडिया अवार्ड्स 2020 के अंतर्गत श्रम विभाग के रोजगार सेतु एवं प्रवासी श्रमिक पोर्टल को Innovation in Pandemic श्रेणी के अंतर्गत रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ।
2. कोविड-19 के दौरान म.प्र. राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को चिह्नित कर उनका प्रवासी पोर्टल पर पंजीयन कराया गया ताकि उन्हें राज्य की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित कराया जा सकें।
3. पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वाणिज्यिक एवं अन्य स्थापनाओं/प्रतिष्ठानों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल का निर्माण किया गया।
4. रोजगार सेतु की सफलता को देखते हुए नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा इस पहल की सराहना करते हुए सर्व प्रथम उन्नति पोर्टल के साथ जोड़े जाने का निर्णय लिया गया।
5. विभागीय श्रम सेवा पोर्टल द्वारा संचालित निरीक्षण प्रणाली को राज्य के उद्योग विभाग की केंद्रीयकृत निरीक्षण प्रणाली से एकीकृत किया गया।
6. कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखाने के अनुज्ञप्ति को 10 वर्ष तक जारी किए जाने की व्यवस्था लागू की गई।
7. ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों को जारी होने वाली अनुज्ञप्ति 1 वर्ष के स्थान पर अब संपूर्ण ठेका अवधि के लिए जारी करने की व्यवस्था लागू की गई।

विभिन्न मंडलों की पहल

1. प्रदेश में दिसंबर 2020 तक लगभग 10,08,466 निर्माण श्रमिकों को पोर्टल पर मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकृत किया गया।
2. श्रमोदय विद्यालयों के अंतर्गत भर्ती किये जाने वाले विद्यार्थियों की संपूर्ण एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन।
3. 01 अप्रैल 2018 से असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना प्रारंभ की गई। राज्य में वर्तमान में 1,49,81,842 पंजीकृत श्रमिक हैं जिनमें से 1,37,13,336 पात्र श्रमिक हैं तथा 12,68,506 श्रमिकों के पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया प्रचलित है।

बंधक एवं बाल श्रम पुनर्वास

1. बंधक श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रदेश के 51 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया गया।
2. राज्य के 51 जिलों में बंधक श्रम पुनर्वास निधि समिति का (कॉरपस फण्ड) गठन किया गया है। 51 जिलों को रुपये 284.00 लाख की राशि आवंटित की गयी है।
3. बंधक एवं बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास के संबंध में किये गये प्रयास तथा विमुक्ति की कार्यवाही में मानक प्रचलन प्रक्रिया (SOP) का समावेश करते हुए बुकलेट्स जारी की गयी।
4. बंधक श्रम एवं बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाया गया।
5. बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रत्येक जिले के एक श्रम निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रवर्तन

1. राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों में श्रमिक हितैषी प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित कराया गया।
2. निरीक्षण कार्य पूर्णतः अनुमति आधारित ऑन लाइन किया जाकर पारदर्शिता लायी गयी। अनावश्यक निरीक्षणों पर रोक।
3. वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रम कानूनों में 4260 निरीक्षण किये गये तथा कम भुगतान के प्रकरणों में 213 दावे सक्षम न्यायालयों में दायर किये गये।
4. वर्ष 2020-21 में कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से 77 निरीक्षण किये गये तथा उल्लंघन पाये जाने पर 27 अभियोजन सक्षम न्यायालयों में दायर।

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, मध्य प्रदेश

1. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के 26 आप्रेशनस किये गये हैं ।
2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये जुलाई 2001 से स्थापित रिवाल्विंग कॉरपस फण्ड व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 31.3.2015 से समाप्त करते हुए, एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 द्वारा भुगतान रहित व्यवस्था दिनांक 1.4.2015 से प्रारम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अनुबंधित चिकित्सालयों में हितग्राहियों के सैकेण्डरी केयर उपचार अन्तर्गत 5,161 प्रकरणों में रुपये 3,86,92,937/- के भुगतान की स्वीकृति जारी की गई ।
3. सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 0-18 वर्ष आयु के बच्चों का विभागीय औषधालय एवं चिकित्सालय के माध्यम से 28 शिविर आयोजित कर 3,025 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है ।
4. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के हितग्राहियों को सुपरस्पेशलिटी उपचार हेतु निगम द्वारा सीलिंग से बाहर व्यय के अन्तर्गत केश लेस सुविधा दिनांक 1.9.2015 से पुनः उपलब्ध कराना प्रारंभ किया गया है, जो निरन्तर है ।
5. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा 1,126 मरीजों को अंतरंग एवं 5,31,963 मरीजों को बाह्य उपचार उपलब्ध कराया गया ।
6. हिपेटाइटिस "बी" से बचाव के लिये बीमितों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये हिपेटाइटिस-बी का विशेष सत्र औद्योगिक इकाईयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 110 हितग्राहियों को टीके लगाये गये हैं ।
7. परिवार कल्याण व टीकाकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 187 नसबन्दी शल्य किये गए सम्पन्न की गई व 1,752 लाभार्थियों को विभिन्न रोगों के रोग निरोधक टीके लगाये गये ।
8. बीमित हितग्राहियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय श्रम मंत्रीजी के संरक्षण व मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में म0प्र0 कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करेगी एवं जिसे व्यय की उच्चतम सीमा के अधीन शतप्रतिशत राशि निगम द्वारा प्रथम दो वर्षों तक प्रदान की जाएगी । सोसायटी कियान्वित होने के पश्चात बीमितों की संख्या के मान से सोसायटी को रुपये 285 करोड़ की प्राप्ति निगम से संभव है ।
9. पीथमपुर जिला-धार औद्योगिक क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में श्रम विभाग के पत्र दिनांक 1.10.2019 द्वारा केन्द्रीय चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली को वांछित प्रपत्र में स्वीकृति प्रेषित की गई है ।
10. प्रदेश के 22 जिलों के 29 स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के विस्तार की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में 100 बिस्तरों वाले चिकित्सालय की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है।
11. भोपाल, ग्वालियर व क्षय चिकित्सालय तथा ग्वालियर के एक व इन्दौर के 3 औषधालयों में विशेष मरम्मत एवं रंग-रोगन के कार्य पूर्ण हो गये हैं।

अध्याय-1 श्रम विभाग की भूमिका

1.1. प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में मुख्य कार्यशील जनसंख्या, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा कुल श्रमिकों में उनका प्रतिशत, आदि आंकड़े इस प्रकार हैं।

तालिका 1.1

म.प्र. की मुख्य कार्यशील जनसंख्या एवं श्रमिकों में वर्ग विशेष का प्रतिशत आदि (लाखों में)

श्रमिकों में वर्ग	नियोजित व्यक्तियों की संख्या	कुल जनसंख्या में प्रतिशत	कुल श्रमिकों में वर्ग विशेष का प्रतिशत
कुल जनसंख्या	726.27	100.00	230.02
कुल कर्मी	315.74	43.47	100.00
दीर्घकालिक कर्मी	227.02	31.26	71.90
काश्तकार	82.15	11.31	26.02
खेतीहर मजदूर	66.31	9.13	21.00
पारिवारिक उद्योग कर्मी	6.48	0.89	2.05
अन्य कर्मी	72.09	9.93	22.83
अल्पकालिक कर्मी	88.72	12.22	28.10
काश्तकार	16.29	2.24	5.16
खेतीहर मजदूर	55.61	7.66	17.61
पारिवारिक उद्योग कर्मी	3.12	0.43	0.99
अन्य कर्मी	13.69	1.88	4.34
गैर कर्मी	410.53	56.53	130.02

1.2. संविधान के सुसंगत प्रावधान

भारत के संविधान के "मूल अधिकार" और "राज्य की नीति के निदेशक तत्व" संबंधी अध्यायों में वे सिद्धांत विहित हैं, जिन पर राज्य की श्रम नीति आधारित होगी। तत्संबंधी उद्धरण परिशिष्ट-1.1 पर संलग्न है, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :-

- संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें निर्बाध परंतु शांतिपूर्ण ढंग से सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की स्वतंत्रता शामिल है
- बलात् श्रम का और कारखानों, खदानों तथा जोखिम-युक्त नियोजनों में बाल श्रम का निषेध,

- पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन,
- कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की तथा बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा,
- काम की न्याय-संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता हेतु उपबंध,
- सभी कामगारों के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर, आदि सुनिश्चित किया जाना, और
- उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी।

“श्रम” संबंधी अधिकांश महत्वपूर्ण विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं, जिसकी सुसंगत प्रविष्टियों का उद्धरण निम्नानुसार है :-

22. व्यापार संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद
23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी
24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएँ, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएँ हैं।

समवर्ती सूची के उक्त विषयों पर कानून बनाने के लिये संसद और राज्य के विधान-मंडल दोनों सक्षम हैं।

1.3. महत्वपूर्ण श्रम कानून

संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के लिये प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की एक सूची निम्नानुसार है (इस सूची में उल्लिखित जिन कानूनों के नाम “मध्य प्रदेश” से आरंभ होते हैं, वे राज्य अधिनियम हैं, तथा शेष केंद्रीय अधिनियम हैं) :-

1. औद्योगिक संबंध विषयक कानून
 1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
 2. मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960
 3. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
 4. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
 5. मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961
2. मजदूरी (पारिश्रमिक) संबंधी कानून
 6. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
 7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
 8. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
3. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सामान्य कानून
 9. कारखाना अधिनियम, 1948
 10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986-विशेषतः उसके अंतर्गत बनाये गये निम्नलिखित नियम :
 - (क) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989
 - (ख) रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996
 11. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983
4. कतिपय विशिष्ट प्रकार के नियोजनों में कार्यदशाओं के विनियमन संबंधी कानून
 12. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958
 13. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
 14. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

15. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
16. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
17. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979
18. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976
19. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955
20. सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981
5. महिला समानता एवं सशक्तिकरण संबंधी कानून
 22. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
 23. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
6. श्रमिकों के कमजोर वर्गों से संबंधित कानून
 24. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
 25. बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
 26. बाल (श्रम-गिरवीकरण) अधिनियम, 1933
 27. मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003
7. सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून
 28. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
 29. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
 30. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
 31. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
8. श्रम कल्याण निधियों संबंधी कानून
 32. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
 33. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 } तथा संबंधित
 34. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान } उपकर
 - कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 } अधिनियम
 35. चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972
 36. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982
 37. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982
9. विविध
 38. श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988

उपर्युक्त में से कुछ अधिनियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह केन्द्र सरकार की और कुछ की पूरी तरह राज्य सरकार की है, जबकि कतिपय अधिनियमों के क्रियान्वयन में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका है। इस संबंध में अधिनियम-वार जानकारी परिशिष्ट-1.2 में दी गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों को समेकित कर चार लेबर कोड निर्मित किये गये हैं। लेबर कोड के अंतर्गत नियम बनाये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

केन्द्र सरकार द्वारा लेबर कोड (श्रम संहिता) लागू किये जाने पर पूर्व से प्रचलित श्रम कानून एवं उनके अंतर्गत निहित व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी।

1.4. प्रदेश में पंजीकृत कारखानों एवं स्थापनाओं की जानकारी

प्रदेश में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत एवं अन्य अधिनियमों पंजीकृत कारखानों तथा श्रमिकों की नियोजन क्षमता की जानकारी की जानकारी 31.12.2020 की स्थिति में निम्नानुसार है:-

तालिका 1.2

क्र.	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	ढेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त ढेकेदारों की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की संख्या, जो अनुज्ञप्ति / पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लिखित है
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	7119	—	659249
2.	म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	801225	—	2890855
3.	ढेका श्रम (विनियमन और उत्पादन अधिनियम, 1970)	1552	7476	149520
4.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	238	—	1808
5.	बीडी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966	182	—	50606
6.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों विनियमन) अधिनियम, 1996	2831	—	28310
7.	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों), 1979	220	112	560

(उपर्युक्त आंकड़ों का संभाग एवं जिले-वार विवरण परिशिष्ट- 4.1, 7.1, 8.1, 10.1, 10.3 एवं 10.4, 10.5 में देखा जा सकता है।)

* * *

अध्याय-2

विभागीय संरचना एवं बजट – एक विहंगावलोकन

श्रम विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार तीन विभागाध्यक्ष संगठन और पांच संविधिक मंडल कार्यरत हैं :-

विभागाध्यक्ष

1. श्रमायुक्त (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सहित)
 2. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
 3. पंजीयक, औद्योगिक न्यायालय
- उपर्युक्त तीनों विभागाध्यक्षों का मुख्यालय, इंदौर में है।

संविधिक मंडल

1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल, भोपाल
 2. मध्य प्रदेश स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर
 3. मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
 4. म.प्र.शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल
 5. म.प्र.ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल
- उक्त विभागाध्यक्ष संगठनों और संविधिक मंडलों के बारे में संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

2.1 श्रमायुक्त संगठन

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 3 और 6 में प्रावधान है कि राज्य शासन प्रदेश के लिये एक श्रमायुक्त नियुक्त करेगा तथा उनकी सहायता के लिये आवश्यक संख्या में उपश्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी आदि नियुक्त करेगा। तदनुसार प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन कार्यरत है। राज्य शासन ने श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत "मुख्य संराधक" भी नियुक्त किया है। श्रमायुक्त संगठन, जिसका मुख्यालय इन्दौर में है, के अधीन मुख्य रूप से दो शाखायें कार्यरत हैं एक शाखा श्रम कानूनों का प्रवर्तन, श्रमिक हित संरक्षण एवं औद्योगिक संबंध विषयक कार्य करती है, तथा दूसरी शाखा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्य संपादित करती है।

मुख्यालय में उक्त प्रथम शाखा के अंतर्गत वर्तमान में एक अपर श्रमायुक्त, एक उप श्रमायुक्त, एक सहायक श्रमायुक्त, तीन श्रम पदाधिकारी एवं दो सहायक श्रम पदाधिकारी पदस्थ हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये अपर श्रमायुक्त का एक पद श्रम विभागीय आदेश दिनांक 15.6.2011 द्वारा सृजित किया गया है, जो वर्तमान में रिक्त है।

प्रदेश के (नवगठित निवाडी जिले को छोड़कर) अन्य सभी जिलों में श्रम कार्यालय स्थापित हैं। सभी कार्यालयों में श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त की पदस्थापना होने तक इन जिलों का प्रभार समीपस्थ जिले अथवा सहायक श्रम पदाधिकारी स्तर के पदस्थ अधिकारी द्वारा देखा जाता है। दो जिलों (धार एवं भिण्ड) में दो-दो कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें एक-एक जिला मुख्यालय पर तथा दूसरा प्रमुख औद्योगिक केन्द्र (क्रमशः पीथमपुर एवं मालनपुर) पर स्थित है।

प्रदेश के 52 जिलों में से 10 संभागीय कार्यालयों (इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, नर्मदापुरम संभाग—होशंगाबाद, शहडोल एवं चंबल संभाग—मुरैना) एवं 01 जिला सिंगरोली में सहायक श्रमायुक्त स्तर के तथा शेष 42 कार्यालय श्रम पदाधिकारी स्तर के हैं। वर्तमान में संभागीय व्यवस्था पुनर्जीवित होने से संभाग स्तर पर पदस्थ सहायक श्रमायुक्त संभागीय स्तर का कार्य भी देख रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के श्रम कार्यालयों की जानकारी परिशिष्ट 2.1 में देखी जा सकती है।

2.2 औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा शाखा संचालक के प्रभार में है। उनके अधीन मुख्यालय में एक संयुक्त संचालक, एक उप संचालक तथा सहायक संचालक के दो पद स्वीकृत हैं। ये सभी तकनीकी पद हैं। इंदौर में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारी अभियांत्रिकी स्नातक होते हैं। इनके निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं:—

1. संचालक	01	2. संयुक्त संचालक	03
3. उप संचालक	12	4. सहायक संचालक	25

(टिप्पणी:— वर्तमान में 10 सहा.संचालक कार्यरत हैं।)

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्य के लिए तीन झोनल संयुक्त संचालक (1. भोपाल, 2 इंदौर तथा मुख्यालय इंदौर में) तथा ग्यारह (स्वतंत्र) संभागीय उपसंचालक के कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं —

1. इंदौर, 2. उज्जैन, 3. देवास, 4. खण्डवा, 5. भोपाल, 6. जबलपुर, 7. सतना, 8. ग्वालियर, 9. मुख्यालय, इंदौर 10. बीना (जिला सागर), 11. सिंगरोली।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में स्थित हैं, जिसके प्रभारी उप संचालक हैं। मन्दसौर में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित है, जिसके प्रभारी सहायक संचालक हैं। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 2.2 में देखी जा सकती है।

2.3 कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) सेवायें

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें संचालित हैं, जिसका संचालनालय इन्दौर में है तथा संचालक इसके विभागाध्यक्ष हैं। मुख्यालय में उनके अधीन दो उप संचालक तथा एक सहायक संचालक के पद स्वीकृत हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्तमान में प्रदेश के 20 केन्द्रों पर संचालित है, जो पाँच क्षेत्रीय उप संचालकों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। प्रदेश के 17 जिलों में 20 केन्द्रों पर 42 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, 3 पैनल क्लिनिक, 5 सामान्य चिकित्सालय (उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल देवास एवं नागदा) 1 क्षय चिकित्सालय (इन्दौर) तथा 1 एनेक्सी वार्ड (मन्दसौर) स्थापित है। एक 6 विस्तरीय परिवार कल्याण कार्यक्रम यूनिट, इन्दौर में स्थापित है, जिसके अन्तर्गत टी0टी0 व व्ही0टी0 शल्य क्रियाएँ सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कार्यरत क.रा.बी.संस्थाओं की संभाग, जिले एवं केन्द्र-वार सूची परिशिष्ट— 2.3 में दी गई है।

एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 का पालन करते हुए भुगतान रहित द्वितीयक व सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत हितग्राहियों के द्वितीयक उपचार एवं जॉच हेतु संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ द्वारा निजी क्षेत्र के 20 निजी संस्थानों को अनुबंधित किया गया है। सुपरस्पेशलिटी उपचार व जॉच हेतु अनुबंध की कार्रवाई वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम म0प्र0 द्वारा की गई है।

2.4. औद्योगिक न्यायालय

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय स्थापित है। इसका मुख्यालय इन्दौर में है तथा 4 खंडपीठें कमशः जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा में स्थापित हैं। औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 मुख्यालय इन्दौर में, एवं 4 खंडपीठों के लिए हैं। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-क के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त हैं।

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8, सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अंतर्गत प्रदेश में 25 श्रम न्यायालय गठित हैं इनके नाम और कार्यक्षेत्र परिशिष्ट 2.4 में देखे जा सकते हैं जिनमें से 23 श्रम न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं। जिन श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां का प्रभार अन्य निकटस्थ श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। मुख्यालय पर प्रशासकीय व कार्यपालक कार्य के लिए एक पंजीयक है, जो न्यायिक कार्य के लिए कराधान अधिकारी भी है। खंडपीठों में संयुक्त पंजीयक, प्रशासकीय अधिकारी हैं।

2.5. सांविधिक मण्डल

श्रम विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में निम्नलिखित पांच सांविधिक मण्डल कार्यरत हैं :-

1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल
2. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर
3. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल
4. म.प्र. शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल
5. म.प्र. ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

2.5.1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982, के अंतर्गत गठित है। म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधान उन्ही स्थापनाओं पर लागू है जहा 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। माइको इंडस्ट्रीज को उक्त अधिनियम से छूट प्राप्त है। म.प्र. श्रम कल्याण का मंडल का मुख्य उद्देश्य कारखानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों तथा उनके परिजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनायें/गतिविधियाँ संचालित करना है। इसके लिये अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उक्त निधि में एकत्र राशि से मंडल विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करता है। मंडल के संचालक मंडल में धारा 4 तथा नियम 5 के अनुसार नियोजकों के 6 प्रतिनिधि, श्रमिकों के 6 प्रतिनिधि तथा 7 स्वतंत्र सदस्य जिनमें कम से कम 1 महिला सदस्य रखे जाने का प्रावधान है। सदस्यों का कार्यकाल धारा 4 की उपधारा 4 के अनुसार 3 वर्ष होगा। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह मंडल के अध्यक्ष हैं। मंडल के कल्याण आयुक्त, उप सचिव, म.प्र. शासन श्रम विभाग हैं।

2.5.2. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल

मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत मंदसौर जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिये एक निधि की स्थापना की गई है। इसके संचालन के लिये एक मंडल गठित है, जिसका कार्यकाल तीन वर्ष होता है। मंडल में अध्यक्ष तथा सचिव के अलावा नियोजकों एवं कर्मकारों के तीन-तीन प्रतिनिधि तथा तीन स्वतंत्र सदस्य होते हैं। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह मंडल के अध्यक्ष हैं। मंडल के सचिव सहायक श्रम आयुक्त हैं।

2.5.3. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तोंका विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 18 सहपठित म.प्र. नियम 2002 के नियम 251 के अंतर्गत मण्डल का गठन प्रथम बार राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया था। तदुपरांत मण्डल का कार्यकाल (3 वर्ष) पूर्ण होने पर अधिसूचना द्वारा समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है। वर्तमान में मण्डल का पुनर्गठन म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2020 द्वारा किया गया है, जिसमें प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मुख्य निरीक्षक एवं श्रमायुक्त तथा कल्याण आयुक्त (भारत सरकार) जबलपुर पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये हैं। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह मण्डल के अध्यक्ष हैं। मण्डल के सचिव उप सचिव, श्रम विभाग हैं।

2.5.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों (शहरी/ग्रामीण) के कल्याण हेतु मण्डल का गठन म.प्र. राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया। राज्य शासन द्वारा दिनांक 25.01.2016 को अध्यक्ष की नियुक्ति की गई उनका कार्यकाल 31.12.2018 तक रहा।

असंगठित श्रमिकों के लिए बजटीय प्रावधान मंडल को न किया जाकर श्रम विभाग को किया गया है। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह मण्डल के अध्यक्ष हैं। मंडल के सचिव, उप सचिव, म.प्र. शासन श्रम विभाग हैं।

2.6. ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य

2.6.1 ग्राम-स्तर पर श्रम विभाग से संबंधित कार्य ग्राम सभा की "ग्राम विकास समिति" नामक स्थायी समिति को सौंपे गए हैं। ये कार्य मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,
2. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम,
4. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, और इस संबंध में अधिक विवरण अध्याय 5, 6 एवं 8 में दिया गया है।

2.7 कम्प्यूटरीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के साथ प्रक्रियाओं एवं प्रपत्रों का सरलीकरण करते हुए समस्त पंजीयन, अनुज्ञप्ति, निरीक्षण प्रक्रिया, बंधक मजदूरी पर नियंत्रण एवं उनके उन्मूलन संबंधित सभी सेवाओं को ऑन-लाईन कर दिया गया है। विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा निरंतर प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु अग्रसर है। इस संबंध में किये गए उत्कृष्ट प्रयासों एवं कार्यों की प्रशंसा भारत सरकार स्तर पर भी की जा रही है।

"ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस" की उपलब्धियां :

1. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा लगातार इस वर्ष भी सभी बिंदुओं पर 100% अनुपालन किया गया। जिससे की मध्यप्रदेश राज्य ने भारत सरकार की रैंकिंग के अंतर्गत चतुर्थ स्थान प्राप्त किया।
2. म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त की गई।

जनसामान्य तक सेवाओं की उपलब्धता

1. सभी कार्यालयों को सरकारी डोमेन (mp.gov.in) पर ई-मेल की उपलब्धता।
2. पोर्टल द्वारा "आप पर लागू श्रम कानूनों" को जानने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी ताकि सभी कानूनों/अधिनियमों के अंतर्गत अनुपालन किया जा सके।

नवाचार की पहल

- नवाचार के दृष्टिगत निम्नलिखित अधिनियमों में प्राप्त आवेदनों को 1 कार्य दिवस में निपटारा किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी।
- ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।
 - ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन/संशोधन।
 - भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत स्थापनाओं का पंजीयन/संशोधन।
 - मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश नियम, 1963 के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का पंजीयन/नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।
 - अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।
 - अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन/संशोधन।

श्रम विभागीय सेवाओं के मोबाइल एप

शासन द्वारा विभिन्न श्रम विभागीय सेवाओं को "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल एप के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। श्रम विभागीय सेवाओं के मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। वर्तमान में "एम-श्रम सेवा एप" के माध्यम से श्रम-विभाग की महत्वपूर्ण सेवाएँ नागरिकों हेतु उपलब्ध रहेगी।

ई-गवर्नेन्स एवं प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के प्रयासों को सराहना एवं पुरस्कार

विभाग के ई-गवर्नेन्स एवं प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के प्रयासों को विभिन्न स्तरों से सराहना एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनकी संक्षेप में जानकारी निम्नवत है :-

1. भारत सरकार द्वारा आयोजित डिजीटल इण्डिया अवार्ड्स 2020 के अंतर्गत श्रम विभाग के रोजगार सेतु एवं प्रवासी श्रमिक पोर्टल को Innovation in Pandemic श्रेणी के अंतर्गत रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ।
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (जी.पी.आर.) में उत्कृष्टता हेतु प्रथम पुरस्कार।
3. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017-18 में मध्यप्रदेश राज्य 97.30 प्रतिशत अंकों के साथ अग्रणी 7 राज्यों में शामिल। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा श्रम विभाग के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुपालनों को 100 प्रतिशत स्वीकृत किया गया।
4. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (जी.पी.आर.) में उत्कृष्टता हेतु रजत पुरस्कार।
5. स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स सिटीजन्स सर्विस डिलीवरी पोर्टल 2015
6. स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट फॉर लेबर रिफॉर्मस 2015
7. सीएसआइ-निहिलेंट ई-गवर्नेन्स अवार्ड फॉर श्रम सेवा पोर्टल 2014-15
8. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु विश्व बैंक द्वारा भी श्रम विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा की गई पहल को सराहा गया है।
9. मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (जी.पी.आर.) में उत्कृष्टता हेतु प्रथम पुरस्कार।
10. मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु एक्सिलेंस इन ई-गवर्नेन्स इनिशिएटिवज फॉर श्रम सेवा पोर्टल

श्रम विभाग की समस्त गतिविधियों से संबंधित जानकारी विभागीय वेब पोर्टल www.labour.mp.gov.in/www.shramsewa.mp.gov.in पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है।

2.8 बजट प्रावधान

श्रम आयुक्त संगठन, श्रम न्याय पालिका एवं कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ के लिए विगत तीन वर्षों के बजट प्रावधान तथा उनके विरुद्ध व्यय की जानकारी परिशिष्ट-2.5 में दर्शायी गयी है।

* * *

अध्याय-3 औद्योगिक संबंध

3.1. सामान्य

प्रदेश में औद्योगिक संबंधों के नियमन के लिये दो प्रमुख श्रम कानून लागू हैं— मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 प्रदेश की ऐसी समस्त अनुसूचित औद्योगिक इकाइयों पर लागू है, जहां विगत एक वर्ष में 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची परिशिष्ट-3.1 में दी गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जो केंद्रीय अधिनियम है, प्रदेश की शेष ऐसी इकाइयों पर लागू है, जो मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची में नहीं हैं अथवा जहां 100 से कम संख्या में श्रमिक नियोजित हैं।

जब कभी किसी उद्योग में हड़ताल, तालाबंदी आदि की संभावना होती है या उसकी स्थिति उत्पन्न होती है तो श्रम विभाग के अधिकारी श्रमिक और नियोक्ता पक्षों से लगातार चर्चा कर समस्या का सौहार्द्रपूर्ण विधि अनुकूल हल निकालने और औद्योगिक शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

3.2. औद्योगिक विवाद की स्थिति में सुलह कार्यवाही

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में उद्योग में किसी एक बहुसंख्य श्रमिक सदस्यता वाले श्रमिक संघ को, शासन द्वारा नियुक्त पंजीयक, प्रतिनिधि संघ, के द्वारा मान्यता दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के कारण उद्योगों में विभिन्न पंजीकृत श्रमिक संघों में प्रजातांत्रिक प्रतियोगिता रहती है। उक्त अधिनियम में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में, वरीयता क्रम में मान्यता प्राप्त यूनियन, पंजीयत यूनियन और इन दोनों की अनुपस्थिति में श्रम पदाधिकारी को श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने, "परिवर्तन" की सूचना देने तथा विवाद की सूचना देने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में सुलह कार्यवाही को अनिवार्य बनाया गया है ताकि यथासंभव हड़ताल या आंदोलन की स्थिति निर्मित न हो।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, में सभी श्रमिक संघों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है। वे अपने सदस्य श्रमिकों के लिये मांगें प्रस्तुत करते हैं, जिन पर श्रम विभाग द्वारा मध्यस्थता कर सुलह के प्रयास किये जाते हैं।

श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों में त्वरित हस्तक्षेप कर जहां औद्योगिक अशांति का वातावरण दूर कर उत्पादन वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर श्रमिक प्रतिनिधियों तथा प्रबंधन के मध्य समझौतों के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सहमति कराकर उसका क्रियान्वयन कराया जाता है।

उक्त दोनों अधिनियमों में विवादों के निराकरण की सिलसिले-वार ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें समझौता न हो सकने की स्थिति में भी हड़ताल टाली जा सके और औद्योगिक विवाद पर श्रम/औद्योगिक न्यायालय का अधिनिर्णय प्राप्त किया जा सके।

3.3. ले-ऑफ, छंटनी और बंदीकरण हेतु अनुमति

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, का अध्याय 5-ख विशेष रूप से ले-ऑफ, छंटनी और बंदीकरण के बारे में उन संस्थानों के लिये प्रावधान करता है जहां विगत एक वर्ष में प्रति कार्य दिवस, औसतन, 300 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। इस अध्याय के अंतर्गत नियोक्ता को ले-ऑफ, छंटनी अथवा बंदीकरण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को अनुमति हेतु आवेदन देना आवश्यक है। अनुमति के बिना ले-ऑफ, छंटनी अथवा बंदीकरण नहीं किया जा सकता। राज्य शासन ने ले-ऑफ एवं छंटनी के संबंध में अनुमति देने के अधिकार श्रमायुक्त को प्रत्यायोजित किये हैं, जबकि बंदीकरण हेतु अनुमति देने का अधिकार स्वयं शासन में वेष्टित है। बंदीकरण, छंटनी एवं ले-ऑफ की अनुमति के आवेदनों का निराकरण संबंधित पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोषों पर किया जाता है। अध्याय 5-ख के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के किया गया ले-ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये अभियोजन की स्वीकृति दी जा सकती है।

3.4 मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन

औद्योगिक विवाद उद्भूत होने की दशा में सुलह अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद हस्तगत कर सुलह की कार्रवाई करते हैं। इसके असफल होने पर विवाद को श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। प्रदेश में विगत वर्षों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई की जानकारी परिशिष्ट-3.2 में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान सक्षम न्यायालय द्वारा समुचित शासन द्वारा प्रस्तुत शिकायत अथवा प्राधिकृत शिकायत पर ही लिया जा सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत स्वीकृत अभियोजन की जानकारी परिशिष्ट 3.3 में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी(1) के अंतर्गत जहाँ किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन या (अध्याय 5 क या अध्याय 5 ख) के उपबंधों के अधीन किसी कर्मकार को नियोजक से कोई धन शोध्य हो, वहाँ स्वयं वह कर्मकार या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या कर्मकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका कोई वारिस, उस धन की वसूली के लिये सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो वह उस रकम की भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली के लिये कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र जारी करता है। उक्त धारा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर जारी वसूली प्रमाण पत्र तथा उनमें निहित वसूली योग्य राशि की जानकारी परिशिष्ट 3.4 में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एम, 25 एन तथा 25 ओ के अंतर्गत कमशः ले-ऑफ, छंटनी तथा बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट 3.5 में दी गई है।

मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 31 के अंतर्गत कोई भी नियोजक, अथवा कर्मचारियों का कोई भी प्रतिनिधि किसी औद्योगिक विषय में परिवर्तन के संबंध में कोई सूचना / विवाद सुलह अधिकारी को दे सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर

क्षेत्रीय सुलह अधिकारी विवाद को हस्तगत कर सुलह की कार्यवाही सम्पादित करता है। सुलह न होने की स्थिति में विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 43 (5) में असफल घोषित कर विवाद को सम्बन्धित श्रम न्यायालय को संदर्भित करने हेतु मुख्य सलहाकार को प्रेषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 51 में श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय या बोर्ड को संदर्भित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई की जानकारी परिशिष्ट-3.6 में दर्शाई गयी है।

श्रम विभाग प्रयास करता है कि औद्योगिक स्थापनाओं में हड़तालों तथा उनके कारण होने वाली मानव दिवसों की हानि कम से कम हों। प्रदेश में औद्योगिक स्थापनाओं में विगत वर्षों में हड़ताल के परिणाम के फलस्वरूप मानव दिनों की हानि संबंधी जानकारी तालिका क्रमांक 3.1 में दर्शाई गई है:-

तालिका 3.1

वर्ष	हड़तालों संख्या	मानव दिनों की हानि
2015-16 मार्च	14	53351
अप्रैल 2016 से मार्च 17 तक	13	171430
अप्रैल 2017 से मार्च 18 तक	10	34976
अप्रैल 2018 से मार्च 19 तक	08	124273
अप्रैल 2019 से मार्च 20 तक	08	40873
अप्रैल 2020 से दिसंबर 20	03	8137

3.5. मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन

यह अधिनियम पूर्व में ऐसे औद्योगिक संस्थानों तथा उपक्रमों पर लागू होता था जहां 20 से अधिक श्रमिक नियोजित हों। मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन(स्थाई आदेश) संशोधन अध्यादेश, 2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2014) के अन्तर्गत श्रमिक संख्या " 20 से अधिक" के स्थान पर " 50 से अधिक" संशोधित कर दी गयी है तथा सूक्ष्म उद्योगों को इस अधिनियम से मुक्त किया गया है। इस अधिनियम के तहत बने नियमों में " मानक स्थाई आज्ञाओं" का प्रावधान किया गया है। इनमें श्रमिकों का नियुक्ति पत्र, सेवा शर्तें, चयन की प्रक्रिया, कार्य के घण्टे, वर्गीकरण (जैसे स्थाई, अस्थाई, बदली, सीजनल) इत्यादि के बारे में प्रावधान किये गये हैं। इसके अलावा स्थाई आज्ञाओं के अन्तर्गत श्रमिक को टिकिट, जिसमें उसकी पाली का प्रारंभ होना तथा व्यक्तिगत विवरण अंकित रहता है प्रदत्त किये जाने तथा अस्थायी श्रमिक को स्थाई होने की पात्रता तथा श्रमिक/कर्मचारी द्वारा अनुशासनहीनता किये जाने पर आरोप पत्र देना, विभागीय जांच करने तथा दण्ड दिये जाने संबंधी प्रावधान भी हैं।

अध्यादेश 2014 में यह भी प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि सरकार मानक स्थाई आदेशों में कोई संशोधन करती है तो वह किसी पंचाट, करार या समझौते में और किसी उपक्रम में लागू स्थाई आदेशों के प्रमाणित संशोधनों में सम्मिलित समझा जायेगा एवं उल्लंघनों के प्रशमन का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप श्रमविभागीय अधिसूचना दिनांक 28.6.2014 द्वारा मानक स्थाई आज्ञाओं में सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किये जाने बाबद संशोधन सभी पर लागू होगा। इसके अंतर्गत निरीक्षण के अधिकार सहायक श्रम पदाधिकारी तथा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही दिये गये हैं।

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई उद्योग-विशेष, मानक स्थायी आज्ञाओं में कुछ संशोधन करना चाहता है तो वह अपना आवेदन प्रमाणीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्रमाणीकरण अधिकारी, श्रम संगठन एवं नियोजक की सुनवाई करके, अधिनियम की परिधि में, संशोधन किये जाने के आदेश प्रसारित करता है। आदेश से व्यथित पक्ष औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी परिशिष्ट-3.7 में दर्शाई गई है।

3.6 व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 मुख्यतः श्रमिक संगठनों के पंजीयन के लिये निर्मित केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार किसी संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत न्यूनतम 07 श्रमिक अपना संगठन पंजीकृत कराने की पात्रता रखते थे, परन्तु केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 09 जनवरी, 2002 द्वारा उक्त अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार किसी संघ के पंजीयन के लिए आवेदन के दिनांक को, ऐसे संघ की सदस्यता, उस संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत कुल श्रमिकों के 10 प्रतिशत अथवा 100 श्रमिक, जो भी कम हो होना अनिवार्य है, किन्तु 70 अथवा इससे कम नियोजन पर न्यूनतम सदस्यता 07 आवश्यक है। पंजीयन का कार्य पंजीयक, व्यावसायिक संघ द्वारा किया जाता है। इसके लिये संगठन को अपने नियम (विधान), रसीद बुक, चंदे की दर तथा अपने प्रतिनिधित्व को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। पंजीयक गुण-दोष के आधार पर संगठन का पंजीयन करते हैं अथवा आवेदन निरस्त करते हैं। आवेदन निरस्त करने पर व्यथित श्रमिक संघ, औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। पंजीयक व्यावसायिक संघ को व्यावसायिक संघ अधिनियम द्वारा पंजीयक के रूप में कार्य करने तथा जांच करने के लिये प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के अधिकार प्रदत्त हैं। यह अधिनियम संगठन के अधिकारों के अलावा उसके दायित्वों को भी निर्धारित करता है। यथा अपना लेखा-जोखा तथा वार्षिक विवरण नियमित रूप से पंजीयक से अनुमोदित कराना इत्यादि। इसका पालन न करने की दशा में संगठन को कारण बताओ सूचना दी जाती है, और समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।

2- ऐसे श्रम संगठनों जिनके द्वारा निर्वाचन एवं वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाते उन्हें सुनवाई का अवसर देकर उनके पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है। इसके फलस्वरूप ऐसे त्रुटिकर्ता श्रम संगठनों की संख्या अब कम होती जा रही है। 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति में प्रदेश में 3077 पंजीकृत श्रम संगठन हैं। विगत दो वर्ष में पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन, उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्तीकरण की जानकारी परिशिष्ट-“अ” में प्रदर्शित है। अनेक पंजीकृत श्रम संगठन इण्टक, भारतीय मजदूर संघ, हिन्द मजदूर सभा, एटक, सीटू, एच.एम.के.पी. तथा यू.टी.यू.सी. जैसे केन्द्रीय श्रम संगठनों से संबद्ध हैं, परन्तु लगभग 60 प्रतिशत श्रमिक संगठन किसी भी केन्द्रीय श्रम संगठन से संबद्ध नहीं हैं।

3- व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 (यथा मध्यप्रदेश के लिये संशोधित) के अध्याय तीन - क में 15 प्रतिशत से अधिक सदस्यता वाले संघ को “अनुमोदित संघ” घोषित करने का अधिकार पंजीयक को है। अनुमोदित संघ, परिसर में चंदा एकत्रित करने, संगठन का

नोटिस बोर्ड लगाने एवं कारखाना परिसर में चर्चा करने के लिये अधिकृत रहता है। अनुमोदित श्रम संगठनों की प्रदेश में संख्या 23 है।

4- व्यावसायिक संघ अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अलावा मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक, प्रतिनिधि संघ किसी भी उद्योग में 25 प्रतिशत से अधिक सदस्यता वाले संघ को "मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि संघ" घोषित कर सकता है। यदि दो या इससे अधिक श्रम संगठनों की 25 प्रतिशत से अधिक सदस्य संख्या हो, तो अधिकतम सदस्य संख्या के आधार पर प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता दी जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 14.08.2007 द्वारा टेक्सटाइल, आयरन एण्ड स्टील, विद्युत सामग्री, शुगर, सीमेंट, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, लोक मोटर परिवहन, इंजीनियरिंग उद्योग, पाटरीज, रसायन तथा चमड़ा उद्योग सम्मिलित हैं, को मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 1(4) के अन्तर्गत सूची से पृथक किया गया था। तत्पश्चात राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 14.09.2019 द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 14.08.2007 को निरस्त किया गया था। वर्तमान में अधिसूचना दिनांक 05.05.2020 द्वारा पुनः उपरोक्त 11 उद्योगों को औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1960 की अनुसूची से पृथक कर दिया गया है। फलस्वरूप वर्तमान में पुनः 17 प्रतिनिधि संघ अस्तित्व में हैं। मान्यता प्राप्त संघ, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत नियोजक से औद्योगिक विवाद पर परिवर्तन सूचना तथा विवाद प्रतिवेदन प्रस्तुत कर वार्ता के माध्यम से समझौता करने हेतु एकमात्र अधिकृत संघ होता है। इससे बहुसंख्यक श्रम संगठनों की परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण औद्योगिक विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होती है तथा स्थाई औद्योगिक शान्ति को बढ़ावा मिलता है।

पंजीयक, प्रतिनिधि संघ, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पक्षों के बीच द्विपक्षीय ठहराव एवं त्रिपक्षीय समझौतों का विधि अनुसार परीक्षण कर पंजीयन भी करता है। पंजीयक द्वारा पंजीयन न करने के आदेश दिये जाने पर व्यथित पक्ष औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। विगत दो वर्षों में पंजीकृत ठहराव एवं समझौतों की जानकारी तालिका—“परिशिष्ट-3.8” में प्रदर्शित है।

अध्याय-4

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 2020-21

4.1 सामान्य

कारखाना अधिनियम, प्रथमतः वर्ष 1881 में प्रभावशील हुआ था। इसके पूर्व सामाजिक कार्यकर्तागण कारखानों का भ्रमण करते थे और मानवीय दृष्टि से कारखाना प्रबंधन को सलाह दिया करते थे। अधिनियम को प्रभावशील करने का उद्देश्य कारखानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में अत्यंत सीमित अधिकारों के साथ निरीक्षण किये जाते थे। समय के साथ-साथ अधिनियम में संशोधन होते गये और अधिक विस्तृत और सुस्पष्ट प्रावधान किये गये। निरीक्षक को भी अधिक अधिकार संपन्न बनाया गया। वर्तमान में कारखाना अधिनियम, 1948, लागू है, जो 1.4.49 से प्रभावशील हुआ। दिसम्बर, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात इसमें व्यापक संशोधन किये गये।

श्रमायुक्त के अंतर्गत कार्यरत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948, के अतिरिक्त कारखानों में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961, परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989, तथा रासायनिक दुर्घटनायें (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996, के अंतर्गत निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई मुख्यतः आयुक्त, कर्मकार क्षतिपूर्ति, अर्थात् श्रम न्यायालय द्वारा की जाती है। संचालनालय के अधिकारी, सलाहकार के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं।

4.2. कारखाना अधिनियम, 1948

कारखाना अधिनियम, 1948 निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर लागू होता है:-

(1) जिसमें दस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता से कोई निर्माण (उत्पादन) प्रक्रिया चलाई जा रही हो, या साधारणतः चलाई जाती हो

अथवा

(2) जिसमें बीस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों, या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता के बिना कोई निर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो या साधारणतः चलाई जाती हो।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत राज्य शासन ने निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर भी यह अधिनियम प्रभावशील किया है, जहां श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने या व्यवसायजन्य बीमारी से पीड़ित होने की संभावना रहती है-

(1) आरा मशीन

(2) चावल मिल

(3) तेल मिल

(4) स्लेट पेन्सिल उद्योग

(5) दाल मिल

(6) रासायनिक प्रक्रिया के ऐसे कारखाने जहाँ खतरनाक रसायन, अति

ज्वलनशील, विस्फोटक या विषैले पदार्थ उपयोग में लाये जाते हों अथवा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित होते हों

- (7) एरबेस्टास उपयोग करने वाले कारखाने
- (8) चूना भट्टे
- (9) स्टोन कशर एवं पल्चराइजर

कारखाना अधिनियम, 1948, के स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण से संबंधित प्रावधान उपर्युक्त परिसरों में लागू होते हैं। वर्ष 1987 के पूर्व, खतरनाक प्रक्रिया चलाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम की धारा-87 के अंतर्गत नियम-107 में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिये विशेष प्रावधान थे, जो वर्तमान में भी हैं। वर्ष 1987 के पश्चात् अधिनियम में धारा-2 (सी.बी.) जोड़कर अनुसूची-1 का प्रावधान किया गया, जो खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित है। इन प्रक्रियाओं को चलाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम में एक नया अध्याय "चार-ए" जोड़ा गया, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से विशेष प्रावधान किये गये। इसमें जहां एक ओर श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान हैं, वहीं दूसरी ओर ऑन साइट आपात योजना बनाये जाने का प्रावधान भी किया गया है। दंडात्मक प्रावधानों को भी अधिक कठोर बनाया गया है। अधिनियम की धारा 92, 94, 95, 96-ए, 98, एवं 99 में विभिन्न अपराधों के लिये दंडात्मक प्रावधान किये गये हैं।

4.2.2 कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 112 के साथ पठित धारा 41-ख के अन्तर्गत सितम्बर-2000, में मध्य प्रदेश कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड नियम (CIMA) अधिसूचित किये गये। ये नियम "परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989" के समरूप है जो केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अन्तर्गत बनाये हैं। (देखे आगे पद 4.4.1)

4.2.3 वर्ष 2005-06 में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने के अधिकार मुख्य कारखाना निरीक्षक को थे तथा 100 श्रमिकों तक के कारखानों के लायसेन्स का नवीनीकरण के अधिकार उप मुख्य कारखाना निरीक्षक को प्रदत्त थे। शासन द्वारा लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर लायसेन्स नवीनीकरण कार्य झोनल/ संभागीय/ उप संभागीय स्तर के कार्यालयों को प्रदत्त किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नानुसार अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर नवीनीकरण कार्य के अधिकार प्रत्यायोजित किये गए हैं :-

1. संचालक- धारा-2 एम के अंतर्गत 250 श्रमिकों से अधिक नियोजन वाले एवं अतिखतरनाक कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार
2. संयुक्त संचालक - धारा 2 एम के अन्तर्गत 101 श्रमिकों से 250 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार
3. उप संचालक - धारा 2 एम के अन्तर्गत 100 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार
4. सहायक संचालक - धारा 85 के अन्तर्गत संगठित होने वाले 9 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार।
5. जहाँ पर सहायक संचालक पदस्थ नहीं है, वहाँ धारा-85 के अन्तर्गत लायसेन्स नवीनीकरण उप संचालक भी जारी कर सकते हैं।
6. नवीन पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 23.07.15 से ऑन लाइन प्रारंभ कर दिया गया है।
7. कारखाना लायसेन्स नवीनीकरण का कार्य दिनांक 22.10.15 से ऑन लाइन प्रारंभ कर दिया गया है।

इस प्रकार लगभग 95 प्रतिशत लायसेन्स प्रकरणों से संबंधित कार्य झोनल/ संभागीय कार्यालयों द्वारा किया जाने लगा है जिससे कि कारखाना प्रबंधन को अपने घर/कार्यालय या एम.पी. आन लाइन कियोस्को से ही आवेदन करना होगा वही दूसरी ओर नवीनीकरण कार्य विभिन्न कार्यालयों द्वारा एवं आन लाइन किये जाने से प्रकरणों का निराकरण भी त्वरित गति से होने लगा है।

8. सक्षम व्यक्तियों को सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने एवं उक्त के नवीनीकरण की प्रक्रिया दिनांक- 1.5.2017 से पूर्णतः आन लाईन कर दी गई हैं।

9. खतरनाक श्रेणी के कारखानों के ऑन साइट इमरजेन्सी प्लान को नोटिफाई करने की प्रक्रिया दिनांक- 20. 11. 2017 से पूर्णतः आन लाईन कर दी गई हैं।

4.2.4 प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लागू "एकल एजेंसी प्रणाली" की अवधारणा के तहत, श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.1.2001 द्वारा उद्योग विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को कारखाना अधिनियम की धारा 6 (1) (aa) के तहत कारखानों के स्थल अनुमोदन की शक्तियां प्रदान की गई हैं :-

1. औद्योगिक केंद्र विकास निगमों के प्रबंध संचालक
2. जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक

4.2.5 प्रदेश में गत चार वर्षों में नवीन पंजीकृत कारखानों की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	नवीन पंजीकृत कारखाने	नियोजन क्षमता
2016-17	261	16784
2017-18	234	11016
2018-19	343	15369
2019-20	334	21944
2020-21 (31.12. 20 तक)	251	13079

प्रदेश में दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में 7119 पंजीकृत कार्यरत कारखाने थे, जिनकी नियोजन क्षमता 659249 थी। इन पंजीकृत कार्यरत कारखानों में 1732 कारखान "खतरनाक" / "अतिखतरनाक" श्रेणी के हैं। प्रदेश में पंजीकृत कार्यरत कारखानों की जिलेवार जानकारी (परिशिष्ट-4.1) में दी गई है।

कुल पंजीकृत कार्यरत कारखानों की नियोजन क्षमता के आधार पर विभाजन की जानकारी निम्नानुसार है:-

संदर्भ तिथि	पंजीकृत कार्यरत कारखानों का नियोजन क्षमता के आधार पर विभाजन						
	10 से कम श्रमिक (धारा 85)	10-20 श्रमिक	21-50 श्रमिक	51-100 श्रमिक	101-250 श्रमिक	250 से अधिक श्रमिक	योग
1.1.2021	2149	2175	1480	549	393	373	7119

कारखाना अधिनियम के प्रवर्तन की दृष्टि से कारखानों के निरीक्षण नियमित रूप से किये जाते हैं। त्रुटिकर्ता कारखाना प्रबंधन के विरुद्ध अभियोजन की कारवाई भी की जाती है। निरीक्षणों और अभियोजनों का विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	20-21 (31 दिसंबर तक)
1. निरीक्षण	1609	843	861	1572	77
2. दायर अभियोजन	103	140	140	147	27
3. निर्णीत अभियोजन	24	27	25	15	01
4. आरोपित अर्थदंड (लाख रुपये में)	5.465	2.77	14.456	8.70	0.10

कारखाना अधिनियम की धारा 88 (नियम 108) के अंतर्गत कारखाना प्रबंधक को प्राणांतक या ऐसी दुर्घटना जिसके फलस्वरूप श्रमिक 48 घण्टे से अधिक कार्य से अनुपस्थित रहे या अग्नि दुर्घटना घटित हो, की सूचना मुख्य कारखाना निरीक्षक/निरीक्षक को दी जाना आवश्यक है। ऐसी दुर्घटनाओं की जानकारी परिशिष्ट-4.2 में दर्शायी गई है।

मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीयन एवं लाइसेंस के नवीनीकरण से प्राप्त राजस्व के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	आय (करोड़ रु. में)
2014-15	6.10
2015-16	6.402
2016-17	10.149
2017-2018	9.08
2018-2019	9.139
2019-2020	15.234
2020-21 (31 दिसम्बर 2020 तक)	10.750

4.3 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 का कार्यान्वयन

इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति की हैसियत से श्रम न्यायालय कार्यवाही करते हैं। संचालनालय के अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या उनके आश्रितों के सलाहकार के रूप में भूमिका निभाते हैं। प्रभावित व्यक्ति या उसके आश्रित अधिवक्ता के माध्यम से आयुक्त के समक्ष दावा पेश करते हैं और आयुक्त द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। जिन कारखानों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम प्रभावशील है, वहाँ क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भुगतान की जाती है।

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(ई)4-2000-ए-सोलह, दिनांक 7.10.2004 द्वारा प्रदेश के समस्त उपश्रमायुक्त और अपर श्रमायुक्त को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर आयुक्त कर्मकार प्रतिकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(ई)-8-96-सोलह-ए(1) दिनांक 26 जून, 1998 द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों को आयुक्त, कर्मकार प्रतिकार नियुक्त किया गया है जिसके अनुक्रम में उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अंतर्गत दावा सुनवाई हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ4(ई)4-2000 सोलह-ए दिनांक 6 नवंबर, 2000 द्वारा (म.प्र. असाधारण राजपत्र दिनांक 6/11/2000) अधिकृत किया गया है।

4.4 "अति खतरनाक " स्थापनाओं संबंधी प्रावधान : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अंतर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन

4.4.1 संक्षिप्त विवरण

वर्ष 1987 के पूर्व खतरनाक संक्रियाएं (**Dangerous Operations**) संचालित करने वाले कारखानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 87 तथा मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962, के नियम 107 में विशेष प्रावधान किये गये थे। वर्ष 1987 में कारखाना अधिनियम में धारा-2 (सी बी) जोड़कर परिसंकटमय प्रक्रिया (**Hazardous process**) को परिभाषित करते हुये तत्संबंधी अनुसूची-एक भी जोड़ी गई और ऐसी प्रक्रियाएं अपनाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम में नवीन अध्याय 4-ए जोड़कर विशेष प्रावधान किये गये।

वर्ष 1989 तथा 1996 में भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित दो नियम अधिसूचित किये:-

क. परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989

ख. रासायनिक दुर्घटनायें (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996

दोनों नियमों में "अति खतरनाक स्थापनाओं" अर्थात् - "**Major Accident Hazard (M.A.H.) Installations**" को परिभाषित किया गया है।

नियमों में विषैले, ज्वलन शील, विस्फोटक और अति क्रियाशील रसायनों को "परिसंकटमय रसायन" के रूप में परिभाषित करते हुए उनमें से प्रत्येक की एक सीमांत मात्रा (**Threshold Quantity**) निर्धारित की गई है। यदि किसी स्थापना में किसी परिसंकटमय रसायन को सीमांत मात्रा से अधिक मात्रा में भंडारित या प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थापनाओं को "अति खतरनाक स्थापना" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर (क) में उल्लिखित नियमों में ऐसी स्थापनाओं के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:-

1. उनके लिये ऑन साइट और ऑफ साइट आपात योजनायें क्रमशः धारक एवं कलेक्टर द्वारा बनाई जायेंगी, इन्हें अद्यतन रखा जाएगा, और कम से कम क्रमशः प्रति छः माह एवं एक वर्ष में उनका पूर्वाभ्यास किया जायेगा।
2. विशिष्ट श्रेणियों की अति खतरनाक स्थापनाओं द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक को सुरक्षा रिपोर्ट भेजी जावेगी, जिसमें कारखाने के बारे में "जोखिम एवं परिणाम संबंधी विश्लेषण" भी शामिल है। इसके अलावा वर्ष में एक बार स्वतंत्र एजेन्सी से सुरक्षा आडिट करा कर तत्संबंधी आडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। किसी दुर्घटना होने की स्थिति में नियमों के तहत निर्धारित अनुसूची 6 में दुर्घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
3. स्थापना के आसपास रहने वाले लोगों को उससे जुड़े खतरों के बारे में जानकारी दी जायेगी।

ऊपर (ख) में उल्लिखित नियमों में अति खतरनाक स्थापनाओं में संभावित रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिये "संकट स्थिति समूह" गठित करने का प्रावधान किया गया है और इन समूहों के कृत्य परिभाषित किये गये हैं :-

(1) स्थानीय संकट स्थिति समूह, जो औद्योगिक केंद्र के स्तर पर अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होता है, के मुख्य कृत्य स्थानीय आपात योजना बनाना, सुरक्षा के बारे में स्थानीय लोगों को शिक्षित और कर्मियों को प्रशिक्षित करना, प्रति माह बैठक करना, कम से कम 6 माह में एक बार एक रासायनिक दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना, और दुर्घटना घटित होने की स्थिति में उसके आघात को न्यूनतम करने के लिये समस्त आवश्यक कदम उठाना है।

(2) जिला संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद् दुर्घटनाओं के प्रबंध के लिये समस्त आवश्यक मार्गदर्शन देना, ऑन साइट आपात योजनाओं की समीक्षा करना, ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी में सहायता करना, हर डेढ़ माह में बैठक करना, और वर्ष में कम से कम एक बार दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना है।

(3) राज्य संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद् दुर्घटनाओं के प्रबंध में विशेषज्ञ मार्गदर्शन देना, जिला ऑफ साइट आपात योजनाओं की तथा जिला समूहों के कार्य की समीक्षा करना, हर तीन माह में बैठक करना आदि हैं।

4.4.2 "अति खतरनाक" श्रेणी के कारखाने

दिनांक 01.01.21 की स्थिति में अतिखतरनाक कारखानों की संख्या 92 तथा संबंधित जिलों की संख्या 27 है।

4.4.3 ऑन साइट आपात योजनाएं

सभी 92 अति खतरनाक कारखानों के लिए ऑन-साइट आपात योजनाएं तैयार कराई गई हैं, जिनमें से 84 योजनाओं को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है। 02 अतिखतरनाक कारखाने वर्तमान में बन्द हैं। 06 कारखानों की योजनायें प्रक्रियाधीन हैं।

अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों के नाम तथा ऑन साइट आपात योजनाओं की तैयारी की स्थिति परिशिष्ट-4.3 में दर्शायी गई है।

4.4.4 ऑफ साइट आपात योजनाएं

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 1997 में ऑफ साइट आपात योजना तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रसारित की थी। प्रदेश के 20 जिलों की ऑफ साइट आपात

योजनाओं का मार्गदर्शिका के अनुरूप तैयार की गई है। 02 जिले में स्थापित एकमात्र अतिखतरनाक कारखाने वर्तमान में बन्द होने से जिले की आफ साइट आपात योजना बनाई नहीं गई तथा भोश 05 जिलों में आफ साइट आपात योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों वाले जिलों के लिए ऑफ साइट आपात योजनाओं की तैयारी एवं उनके पूर्वाभ्यास की स्थिति परिशिष्ट-4.4 में दर्शायी गई है।

4.4.5 सुरक्षा आडिट

“परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989” के अनुरूप 30 अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों का सुरक्षा आडिट कराया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है। कारखानों के नाम तथा सुरक्षा आडिट कराने का विवरण परिशिष्ट -4.5 में दिया गया है।

अति खतरनाक कारखानों की संख्या, उनके लिए ऑन साइट एवं ऑफ साइट आपात योजनाओं की तैयारी एवं सुरक्षा आडिट संबंधी स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	संख्या
1.	अति खतरनाक कारखानों की संख्या	92
2.	जिलों की संख्या जहां कारखाने स्थित हैं	27
3.	कारखानों की संख्या जिनके लिये	
	(1) ऑन साइट आपात योजनाएं तैयार की गई	92
	(2) ऑन साइट आपात योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया	82
4.	जिलों की संख्या जिनके लिये ऑफ साइट आपात योजना बनाई गई	20
5.	कारखानों की संख्या जिनका सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य है	30

संकट स्थिति समूहों के गठन की स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.	विवरण	संख्या
1.	गठित स्थानीय संकट स्थिति समूहों की संख्या	03 (मालनपुर, मंडीदीप, पीथमपुर)
2.	जिलों की संख्या, जहां जिला संकट स्थिति समूह का गठन आवश्यक है	27
3.	जिलों की संख्या, जहां गठन किया जा चुका है	23

नोट - 3 जिलों में नये एम.ए.एच. कारखाने की पहचान किये जाने के कारण जिला संकट स्थिति समूह के गठन की कार्यवाही की जा रही है तथा 1 जिले में स्थापित एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बंद होने से जिला संकट स्थिति समूह का गठन नहीं हुआ है।

4.5 औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर

4.5.1 कारखानों के कार्य वातावरण में हानिकारक रसायनों (यथा गैस, वाष्प आदि), भाोर और प्रकाश का स्तर उचित सीमा में बनाए रखना आव यक है, ताकि उनमें कार्य करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इनके स्तर को विनियमित करने के लिये मध्य प्रदेश कारखाना नियम, 1962, में किये प्रावधान निम्नानुसार है :-

क.	पदार्थ आदि जिकी कार्य वातावरण में मात्रा, नियमों में निर्धारित की गई है।	मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962, के सुसंगत प्रावधान का विवरण
1	रासायनिक पदार्थ (मुख्यतः गैसों एवं वाष्प)	नियम 124-बी एवं उसके अन्तर्गत बनी अनुसूची
2	भाोर	नियम 107 के अन्तर्गत बनी अनुसूची पच्चीस
3	प्रकाश	नियम 36 व 37
4	विस्फोटक तथा अत्याधिक ज्वलनशील धूल या गैस	धारा 37 व नियम 107 के अन्तर्गत बनी अनुसूची XVIII

4.5.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, श्रम विभाग के अंतर्गत वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से एक औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित की गई थी। वर्ष 1988 में इसके लिये केंद्र सरकार के तहत कार्यरत महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई, के माध्यम से भी उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रयोगशाला का मुख्य कार्य कारखानों के कार्य वातावरण में हानिकारक पदार्थों आदि का स्तर जांच कर आव यक कार्रवाई करना है।

वर्तमान में प्रयोगशाला, उपलब्ध उपकरणों से, कार्य वातावरण में मौजूद निम्नलिखित हानिकारक पदार्थों आदि के स्तर की जांच करती है:-

1.	विशक्त गैसों व रसायन	क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड व हाइड्रोजन क्लोराइड (वाष्प)
2.	अति ज्वलनशील गैसों एवं वाष्प	
3.	विभिन्न प्रकार के धूलि कण	जैसे कोयला, सिमेंट, सिलिका आदि
4.	एसबेस्टस	
5.	ध्वनि प्रदूशन	
6.	प्रकाश	
7.	दृष्टि दोष	क्रेन ऑपरेटर व अन्य श्रमिकों उनके नियोजनों के प्रकार के आधार पर, आंखों तथा रंग-अन्धत्व (Colour Blindness) की जांच

कार्य वातावरण में हानिकारक अवयव निर्धारित सीमा से अधिक पाये जाने की दशा में प्रबंधन को उपकरणों/ व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु निर्देश देकर सुधार करवाया जाता है।

4.5.3 प्रयोगशाला द्वारा विगत वर्षों में हानिकारक पदार्थों की जाँच की जानकारी परिशिष्ट -4.6, स्थल पर उपकरणों की सहायता से जाँच एवं उनके परिणामों की जानकारी परिशिष्ट 4.7, तथा स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश एवं ध्वनि की जाँच की जानकारी परिशिष्ट -4.8 में दी गई है।

4.5.4 जाँच - पडताल (Testing) की जो सुविधाएं अभी केवल इंदौर स्थित प्रयोगशाला में केंद्रित हैं, उन्हें विकेंद्रीकृत रूप से संभागीय कार्यालयों में भी निर्मित करने की एक योजना, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07, में आरंभ की गई तथा सभी संभागीय कार्यालयों को निरीक्षण कीट उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2011-12 में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला का उन्नयन कर इसके अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना माह जून 2011 में की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14, 14-15 तथा 15-16 में भी उपकरण कए किये जाकर उन्नयन की कार्यवाही निरन्तर जारी है। श्रमिकों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा क प्रति जागरूकता लाने क उद्देश्य से केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

* * *

अध्याय-5

मजदूरी, उपादान और बोनस संबंधी अधिनियमों का कार्यान्वयन**5.1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948**

यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा संगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु बनाया गया है, जिनकी सांमूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की क्षमता अल्प है तथा वे नियोजक से जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने की सामर्थ्य भी साधारणतः नहीं रखते।

इसके अंतर्गत प्रदेश में 72 "अनुसूचित नियोजन" हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-5.1 में दी गई है। इसके क्रमांक 1 से 64 में उल्लेखित अनुसूचित नियोजनों एवं क्रमांक 65 में उल्लेखित नियोजन तथा भाग दो कृषि नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की दरें पुनरीक्षित कर निर्धारित की गई हैं, और उन पर देय जीवन निर्वाह भत्ता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध कर नियमित रूप से घोषित किया जाता है।

उक्त नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की गई हैं :-

परिशिष्ट 5.1 में अंकित नियोजन		न्यूनतम मजदूरी की मूल दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना का दिनांक
क्रमांक 1-64	नियोजन	10.10.2014
क्रमांक 65	(बीड़ी निर्माण)	12.12.2014
क्रमांक 1 (भाग-दो)	(कृषि में नियोजन)	10.10.2014

इन नियोजनों में प्रभावशील मूल न्यूनतम मजदूरी की दरें परिशिष्ट-5.2 में दर्शाई गई हैं।

मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 16.12.12 में को लिए गये निर्णयानुसार तीन नवीन नियोजनों 1-पुरातत्व कार्य में नियोजन 2-साफ-सफाई कार्य में नियोजन तथा 3-सूचना प्राद्योगिकी के कार्य में नियोजन को अनुसूची के भाग एक में अधिसूचना क्रमांक 1493/4सी-1/2013/अ-16 दिनांक 22 सितंबर, 2014 जो कि राजपत्र में दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित है, के द्वारा जोड़ा गया है।

राज्य शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4(सी)5-98-ए-सोलह, 2 मार्च, 2006 के द्वारा अधिसूचित अनुसूची के भाग-1 में प्रविष्टि क्रमांक 68 में दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन को जोड़ा गया है उक्त सहित चारों नियोजनों में वेतन दरें राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 में प्रकाशित की गई है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अंतर्गत निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान के प्रकरणों में कम दी गई राशि का भुगतान कराया जाता है, तथा नियोजकों के विरुद्ध दावा प्रकरण भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

कृषि में नियोजित श्रमिकों की संख्या एवं प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए शासन के कतिपय अन्य विभागों के निम्नलिखित कार्यपालक अधिकारियों को भी, अधिसूचना दिनांक 16.06.86 द्वारा, कृषि में नियोजन के संबंध में अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में "निरीक्षक" नियुक्त किया गया है:-

1. विकास खण्ड अधिकारी
2. सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
3. नायब तहसीलदार
4. पंचायत निरीक्षक
5. मंडल संयोजक, आ.जा. एवं अनु. जाति कल्याण

इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को भी कतिपय नियोजनों के लिये "निरीक्षक" की शक्तियों से निम्नानुसार वेष्टित किया गया है :-

तालिका 5.1

श्रम विभाग की अधिसूचना का दिनांक	पंचायती राज संस्था का नाम, जिसे 'उसके कार्यक्षेत्र के लिए, "निरीक्षक" की शक्तियों से वेष्टित किया गया	नियोजन जिनके लिए वेष्टित किया गया
19.6.76	समस्त ग्राम पंचायतें	1. कृषि में नियोजन
17.4.96	समस्त ग्राम पंचायतें	2. तंबाकू कारखाने/बीड़ी निर्माण में नियोजन 3. सड़क/भवन निर्माण और रख-रखाव 4. ईट भट्टों में नियोजन 5. सिमेंट टाइल्स के अलावा अन्य टाइल्स निर्माण 6. पत्थर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन
19.7.2001	समस्त ग्राम सभाएं	उपर्युक्त सभी 6 नियोजनों के लिए

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 नवंबर, 1976, द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, की धारा-20 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले दावों की सुनवाई हेतु "प्राधिकारी" नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 06 नवंबर 2000 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, की धारा-20 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य के समस्त सहायक श्रम आयुक्तों को, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले दावों की सुनवाई हेतु "प्राधिकार" प्राप्त हुआ है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन एवं उससे लाभावित श्रमिकों की जानकारी नीचे दर्शाई गई है :-

तालिका- 5.2

वर्ष	निरीक्षण संख्या	अभियोजन	सक्षम न्यायालय में दायर दावों की जानकारी			न्यायालय से बाहर कम भुगतान हुई राशि जो श्रमिकों को विभागीय प्रयासों से भुगतान कराई गई		
			दावा प्रकरण संख्या	दावा राशि (लाख रु. में)	प्रभावित श्रमिक	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि (लाख रु. में)	लाभावित श्रमिक
2018-2019	855	145	218	348.57	894	413	126.21	1506
2019-2020	3542	434	150	352.17	622	322	107.78	886
2020-2021 (दिसम्बर 2020 तक)	2327	494	62	168	340	—	—	—

5.2. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

विभिन्न संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु इस अधिनियम में प्रावधान है। अधिनियम की धारा 1 (6) के अनुसार यह वर्तमान में अधिकतम रुपये 24,000/- प्रतिमाह तक मजदूरी पाने वालों के लिए लागू है।

5.3 उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

यह अधिनियम ऐसे सभी संस्थानों पर लागू होता है, जहां दस या दस से अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। ऐसे संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को पाँच वर्ष की या इससे अधिक सेवा के उपरांत, सेवानिवृत्ति अथवा कार्य छोड़ने की स्थिति में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिवस के वेतन के बराबर राशि उपादान के रूप में देय होती है। नियोजक द्वारा उपादान का भुगतान न किये जाने अथवा गणना संबंधी विवाद उठने की दशा में व्यथित श्रमिक, इस अधिनियम के अंतर्गत "नियंत्रण प्राधिकारी" के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट श्रमिक/नियोजक "अपीलीय प्राधिकारी" के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में उप श्रमायुक्तों को अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2020 में संस्थित एवं निराकृत प्रकरणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

तालिका-5.3

प्रकरण का प्रकार	वर्ष के आरम्भ में लंबित प्रकरण	वर्ष के दौरान		वर्ष के अंत में शेष प्रकरण दिसम्बर 2020 तक
		संस्थित	निराकृत	
1	2	3	4	5
ग्रेच्युटी अपील प्रकरण (इंदौर/उज्जैन)	163	50	32	181
भोपाल संभाग	—	89	38	51
योग :-	163	139	70	232

5.4. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

यह अधिनियम उन सभी कारखानों पर प्रभावशील है जो कारखाना अधिनियम, 1948, के अनुसार "कारखाना" की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम ऐसी अन्य स्थापनाओं पर भी प्रभावशील है, जिनमें बीस या इससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 01 जनवरी 2016 द्वारा संशोधन करते हुए वेतन सीमा में वृद्धि कर रु. 21000/- एवं बोनस गणना हेतु वेतन सीमा में वृद्धि कर रु. 7000/- कर दिया गया है। इस संशोधन को दिनांक 01.04.2014 से लागु किया गया है। अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी जानकारी नीचे दी गई है:-

तालिका-5.4

क्र.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)
1.	निरीक्षण	528	1241	378
2.	अभियोजन	66	112	35

* * *

अध्याय-6 बाल श्रमिक

6.1. बाल श्रमिक

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधन किया जाकर अधिनियम के नये प्रावधान 2 जुन 2017 से लागू किये गये हैं। यह कानून अब बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2017 के नाम से जाना जायेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत म.प्र. बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम 2019 का प्रारूप प्रकाशन राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, प्रक्रिया प्रचलन में है। कारखाना अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, खान अधिनियम तथा मध्य प्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत बाल श्रमिकों का नियोजन पूर्व से निषिद्ध है।

संशोधित प्रावधान अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का किसी प्रकार के कार्य में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। 14 से 18 वर्ष तक की आयु के कुमार बालकों का खतरनाक नियोजन में कार्य करने को प्रतिबंधित किया गया है। वह कुटूंब के उपक्रम में भी विद्यालय समय एवं रात 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक कोई कार्य नहीं करेगा।

वर्ष 1991, 2001 एवं 2011 की जनगणना में प्रदेश के 5 से 14 वर्ष आयु समूह के कामकाजी बच्चों, जिनमें मुख्य एवं सीमांत कामकाजी बच्चे सम्मिलित हैं, के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

तालिका 6.1

		1991	2001	2011
1.	कामकाजी बच्चे	13.52 लाख	10.65 लाख	7.02 लाख
2.	ग्रामीण क्षेत्र	—	10.00 लाख	6.08 लाख
3.	शहरी क्षेत्र	—	0.65 लाख	0.92 लाख
4.	कामकाजी बच्चों का प्रतिशत (5-14 आयु वर्षों में)	—	10 प्रतिशत	07 प्रतिशत

जनगणना 2011 में प्रदेश के निम्नलिखित दस जिलों में 5-14 आयु वर्ग के बच्चों में कामकाजी बच्चों का प्रतिशत निम्न पाया गया :-

तालिका 6.2

क्र.	जिला	5 से 14 वर्ष आयु समूह की कुल जनसंख्या में कार्यशील (मुख्य एवं सीमांत) संख्या का प्रतिशत
1.	अलीराजपुर	
2.	झाबुआ	12.7
3.	बडवानी	11.8
4.	डिंडोरी	8.0
5.	बैतुल	7.9
		7.3

6.	देवास	6.8
7.	रतलाम	6.5
8.	धार	6.3
9.	मंडला	5.7
10.	खरगोन	5.7

उपर्युक्त आंकड़ों में सभी प्रकार के कार्यशील बच्चे शामिल हैं, अर्थात् वे भी, जो पारिवारिक कार्य जैसे कृषि में हाथ बंटाते हैं अथवा बूट पॉलिश, कचरा बीनने आदि कार्यों में स्व-नियोजित हैं।

बाल श्रम प्रथा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने विविध याचिका (सिविल क्रमांक 465/1986) में दिनांक 10.12.96 को आदेश पारित कर निम्नलिखित निर्देश दिए थे:-

- बाल श्रमिकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाए।
- जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य कर रहे बालकों को वहां से हटा कर उपयुक्त संस्थाओं में उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
- बाल श्रम के दोषी नियोजकों से 20,000/- रुपये प्रति बालक के हिसाब से अंशदान लिया जाए और उस रकम को इस प्रयोजन के लिए स्थापित कल्याण निधि में जमा किया जाए।

मध्य प्रदेश में अप्रैल, 1997 में सर्वेक्षण कराया गया था। यह सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्रों में खतरनाक तथा गैर-खतरनाक दोनों प्रकार के नियोजनों में और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल खतरनाक नियोजनों में बाल श्रमिकों को चिन्हित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कुल 13,291 बाल श्रमिक चिन्हित किये गए थे जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 6.3

खतरनाक उद्योगों में	10,246
गैर-खतरनाक उद्योगों में	3,045
योग	13,291

उक्त सर्वेक्षण के पश्चात्, विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण के आंकड़ों का परीक्षण कर आवश्यक परिमार्जन किया गया। इस परीक्षण में अनेक बाल श्रमिकों की उम्र 14 वर्ष से अधिक पाई गई, उनके एवं नियोजक के मध्य पिता-पुत्र के संबंध पाए गए, उनके नामों में पुनरावृत्ति पाई गई या फिर नियोजक का नाम गलत पाया गया। उपर्युक्तानुसार संशोधन एवं त्रुटि निवारण के पश्चात् उक्त सर्वे के दौरान पाए गए बाल श्रमिकों के आंकड़े नीचे दर्शाये गए हैं :-

तालिका 6.4

खतरनाक उद्योगों में	8,826
गैर-खतरनाक उद्योगों में	2,994
योग	11,820

निम्नलिखित छः जिलों में पांच सौ से अधिक बाल श्रमिक चिन्हित हुए थे :-

तालिका 6.5

जिला	चिन्हित बाल श्रमिक		योग
	खतरनाक नियोजनों में	गैर-खतरनाक नियोजनों में	
1. दमोह	4079	122	4201
2. रायसेन	1000	43	1043
3. सागर	890	61	951
4. टीकमगढ़	719	7	726
5. जबलपुर (1998 में गठित कटनी जिले सहित)	378	240	618
6. भोपाल	36	573	609

उक्त सर्वेक्षण में खतरनाक नियोजनों में नियोजित पाए गए समस्त बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया, दोषी 3630 नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण दायर किये गए तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनके विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र भी जारी किये गए। अभी तक 13 जिलों में 23 बाल श्रमिकों के संबंध में कुल रुपया 4.95 लाख की क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जा चुकी है। इनमें से 19 बाल श्रमिकों के संबंध में पूर्ण तथा चार के संबंध में आंशिक राशि नियोजकों द्वारा जमा कराई गई है। नियोजकों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर 76 याचिकाओं में कुल 4222 बाल श्रमिकों के संबंध में जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों पर स्थगन प्राप्त किया गया है। अन्य याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त को पक्षों की सुनवाई कर युक्तियुक्त आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरणों में अनुवर्ती कार्रवाई प्रचलित है।

प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत " निरीक्षक" की शक्तियों से निम्नानुसार वेष्टित किया गया है:-

1. जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को अधिसूचना दिनांक 13.10.97 द्वारा

2. ग्राम सभाओं को अधिसूचना दिनांक 19.07.01 द्वारा

6.2 श्रम कानूनों का प्रवर्तन -

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रवर्तन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-

तालिका 6.6

वर्ष	निरीक्षण	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	अभियोजन	दण्ड
2017-18	999	95	65	975000 / -
2018-19	739	24	36	37500 / -
2019-20	2393	501	118	51000 / -
2020-2021 (दिसम्बर 2020 तक)	847	816	157	98000 / -

संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:-

- (1) सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन एवं बैठकों का आयोजन
- (2) प्रत्येक जिले में एक श्रम निरीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया
- (3) जिलों में जन जागरण अभियान का संचालन जन जागरण हेतु राशि रुपये 1 लाख बजट प्रत्येक जिले को प्रदान किया गया
- (4) बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु निधी का गठन किये जाने हेतु राशि रुपये 1 लाख बजट प्रत्येक जिले को प्रदान किया गया।

1. दिनांक 03 एवं 04.01.2018 को बाल श्रम पर यूनिसेफ के सहयोग से इंदौर में राज्य स्तरीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को पेंसिल पोर्टल, बाल श्रम संबंधी कानूनों तथा हाल ही में किये गये संशोधनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अभ्युदय पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी तथा बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त नोडल अधिकारी (श्रम निरीक्षक) तथा परियोजना निदेशक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना उपस्थित रहे।

2. दिनांक 25.11.2019 को राज्य स्तरीय परामर्श बैठक/कार्यशाला का आयोजन आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, भोपाल में माननीय श्रम मंत्री म.प्र. शासन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि, पुलिस विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, एन.जी.ओ. एवं श्रम विभाग के अधिकारी सम्मिलित हुये।

बाल श्रम कुप्रथा की समाप्ति हेतु कार्ययोजना

श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम कुप्रथा को समाप्त करने के लिये कार्ययोजना 2019 बनाई गई है। कार्ययोजना के अन्तर्गत 5000 बाल श्रमिकों को कार्य से विमुक्त कराया जाकर पुनर्वास किया जाना है।

इस हेतु संभाग स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन निम्नानुसार किया गया :-

क्रमांक	संभाग का नाम	कार्यशाला दिनांक
01	इन्दौर	26.08.2019
02	उज्जैन	29.08.2019
03	जबलपुर	05.09.2019
04	रीवा	06.09.2019
05	शहडोल	06.09.2019

जिलों में जनजागरण अभियान निरन्तर चलाये जा रहे हैं।

जिलों में टास्कफोर्स समिति की बैठकों का आयोजन निरन्तर किया जा रहा है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 55805-57, दिनांक 28.11.2019 द्वारा टास्कफोर्स समिति में लीड बैंक अधिकारी को सम्मिलित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस संबंध में दिनांक 25.11.2019 को राज्य स्तरीय परामर्श बैठक/कार्यशाला का आयोजन आर.सी. व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, भोपाल में माननीय श्रम मंत्री म.प्र. शासन की अध्यक्षता में किया गया।

6.3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की प्रगति

राज्य के चुनिंदा जिलों में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिये भारत सरकार "राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना" क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत चुने गए जिलों में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कर उन्हें खतरनाक किस्म के व्यवसायों/प्रक्रियाओं से विमुक्त कराकर विशेष विद्यालयों में भर्ती किया जाता है। इन विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण की भी व्यवस्था अपेक्षित है, तथा दर्ज बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकें, गणवेश तथा मध्याह्न भोजन दिए जाने के अतिरिक्त नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का प्रावधान है। योजनान्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे बाल श्रम परियोजना समिति को बजट प्रदान किया जाता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक जी- 20013/1/2012- सीएल दिनांक 31.10.2017 द्वारा संशोधित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना लागू की गई है।

एनसीएलपी

जिन जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित है, वहां जिला स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

दिनांक 20.06.2019 को परियोजना निदेशक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की समीक्षा बैठक का आयोजन श्रमायुक्त कार्यालय में किया गया।

वर्तमान में राज्य में 09 जिलों में परियोजना संचालित की जा रही है:-

- (1) ग्वालियर (2) रीवा (3) बडवानी (4) दमोह (5) जबलपुर (6) मन्दसौर (7) शाजापुर (8) राजगढ़ (9) कटनी की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना – प्रगति प्रतिवेदन

क्रमांक	जिला	प्रारंभ वर्ष	विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	अध्ययनरत बच्चों की संख्या	परियोजना के माध्यम से मेनस्ट्रीम बच्चे
01	मन्दसौर	1988	07	176	0
02	शाजापुर	2006	15	307	0
03	ग्वालियर	2000-01	17	387	24
04	बडवानी	2006-07	30	900	900
05	दमोह	01/04/2009	15	467	04
06	रीवा	2005-06	39	1785	471
07	जबलपुर	2008	09	207	187
08	कटनी	2010	36	1581	354
09	राजगढ़	2005	0	0	0
	योग		168	5810	1940

अध्याय-7 बीड़ी श्रमिक

7.1. प्रारंभिक

मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग का प्रमुख स्थान है। तेंदू पत्ते की प्रचुर उपलब्धता के कारण प्रदेश में वर्ष 1904 में बीड़ी निर्माण प्रारंभ हुआ। कालांतर में दक्षिण के राज्यों में भी बीड़ी का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रदेश के असंगठित उद्योगों में बीड़ी उद्योग का प्रमुख स्थान है।

7.2. बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का कार्यान्वयन

बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर उनके हित संरक्षण हेतु बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 बनाया गया है। अधिकांश बीड़ी श्रमिक सट्टेदार के माध्यम से प्रमुख नियोजक के लिए बीड़ी बनाते हैं जिससे अन्य उद्योगों की अपेक्षा उनके नियोजन की परिस्थितियाँ भिन्न हो जाती हैं।

बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन शर्तें) अधिनियम, 1966, के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या की जानकारी परिशिष्ट-7.1 में दी गई है।

उक्त अधिनियम में औद्योगिक परिसर में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कल्याणकारी प्रावधान किये गये हैं ताकि उन्हें कार्य करने के लिये स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पेयजल इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

7.3. बीड़ी श्रमिक कल्याण

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नलिखित दो केंद्रीय अधिनियम प्रभावशील हैं जिनका क्रियान्वयन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार द्वारा किया जाता है।

1. बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976
2. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि का संचालन पूरी तरह भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के तहत गठित श्रम कल्याण महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में कल्याण एवं उपकर आयुक्त का कार्यालय जबलपुर में स्थापित है तथा उसका एक उप कार्यालय इंदौर में कार्यरत है। उक्त निधि से श्रम कल्याण महानिदेशालय चार प्रकार की कल्याण गतिविधियाँ (स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा मनोरंजन संबंधी) संचालित करता है।

उक्त दो स्त्रोतों के अनुसार बीड़ी श्रमिकों की संख्या का संभाग एवं जिले-वार विवरण परिशिष्ट-7.1 में दिया गया है।

7.4. बीड़ी श्रमिकों के लिये आवास संबंधी योजना

बीड़ी श्रमिकों के आवास निर्माण हेतु केन्द्र सरकार की बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से 01.04.2007 से रुपये 1,50,000/- अनुदान/आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास योजना के कार्यान्वयन की स्थिति परिशिष्ट-7.2 में दर्शायी गई है।

7.5 घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिए जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा का निर्धारण

बीड़ी श्रमिकों की कार्यदशा एवं बीड़ी उद्योग की दशा का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की एक अनुशांसा घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिये जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा के निर्धारण के बारे में थी। इसके अनुसरण में बीड़ी उत्पादक जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र दिनांक 5.10.02 तथा 18.07.2008 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। तदनुसार कच्चे माल की जिले-वार निर्धारित मात्राओं की जानकारी परिशिष्ट-7.3 पर देखी जा सकती है।

7.6 बीड़ी श्रमिकों के परिचय पत्र

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से संचालित कार्यक्रमों के अंतर्गत वही बीड़ी श्रमिक लाभान्वित होते हैं जिनके पास तत्संबंधी परिचय पत्र हों। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत बने बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978, के नियम 41 के अनुसार बीड़ी श्रमिक को परिचय पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व उस मालिक या सट्टेदार का है जिसके लिए बीड़ी श्रमिक कार्य करता हो। परंतु मालिकों/सट्टेदारों द्वारा इस कार्य में यथेष्ट रुचि प्रदर्शित न करने के कारण भारत सरकार के कल्याण आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत औषधालयों के अधिकारियों द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाते हैं। प्रदेश में कुल 440612 परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12011/02/2017-डब्ल्यूबी, दिनांक 19.01.2018 द्वारा नये परिचय पत्र बनाने के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स में केन्द्रीय श्रम कल्याण संगठन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बीड़ी निर्माण संस्थान के प्रतिनिधि तथा जिले के सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/कार्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे।

अध्याय-8 असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक

8.1. प्रारंभिक

देश के श्रमिक वर्ग के 90 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम है। परंतु, अधिकांश श्रम कानूनों का लाभ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलता है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इनका लाभ उठाने से वंचित रहते हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विशिष्ट समस्याएं इस प्रकार हैं :-

- * अस्थायी, अनियमित एवं परिवर्तनशील रोजगार
- * शिक्षा एवं जागरूकता की कमी
- * नियोजक स्थापनाओं का लघु आकार, एवं भौगोलिक रूप से छितरा हुआ होना
- * उत्पादकता तथा आय के निम्न स्तर
- * सामाजिक सुरक्षा का अभाव
- * असंतोषजनक व असुरक्षित कार्य दशाएं
- * साख, विपणन और सूचना सुविधाओं का अभाव
- * संगठित होने में कठिनाई तथा संगठन क्षमता का अभाव
- * उपर्युक्त के परिणामस्वरूप वर्ग हितों की प्राप्ति हेतु सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता का अभाव।

राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक प्रमुख रूप से कृषि, वानिकी, खदान, बीड़ी, हम्माल, परिवहन, निर्माण कार्य, होटलों/ढाबों तथा ईट भट्टों जैसे कार्यों में नियोजित हैं।

8.2. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये कार्यदल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की विशिष्ट एवं गंभीर समस्याओं को देखते हुये राज्य शासन ने इस क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश के श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के बारे में विचार कर अनुशंसाएं देने के लिये जुलाई, 2001 में एक कार्यदल गठित किया गया था।

कार्यदल ने अपना कार्य सितम्बर, 2002 में पूर्ण किया एवं अपनी रिपोर्ट का मुख्यमंत्रीजी तथा श्रम राज्य मंत्रीजी के समक्ष औपचारिक प्रस्तुतीकरण 27 दिसम्बर, 2002 को किया। कार्यदल ने वर्ष 2001 में प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की संख्या करीब 2.01 करोड़ आकलित की है, जिसका नियोजन-वार विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 8.1

क.	नियोजन	असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या (लाखों में)	कुल असंगठित श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत
1.	सीमांत / लघु कृषक	69.60	34.6
2.	भूमिहीन कृषि श्रमिक	73.57	36.6
3.	खनि एवं खनिकर्म	0.64	0.3
4.	विनिर्माण (Manufacturing)	14.95	7.4
5.	संनिर्माण (Construction)	8.97	4.5
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	17.47	8.7
7.	परिवहन	3.95	2.0
8.	अन्य	11.78	5.9
	योग	200.93	100

कार्यदल द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं में से श्रम विभाग से संबंधित अनुशंसाओं को मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार पर्वद को परामर्श हेतु तथा अन्य अनुशंसाओं को संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु संदर्भित किया गया है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी असंगठित श्रमिकों के लिए व्यापक कानून (Umbrella Legislation) सुझाया है, और अन्य सिफारिशें भी की हैं, जिन पर भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। राज्य शासन उक्त कार्यदल की अनुशंसाओं पर, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए, कार्रवाई कर रहा है। असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य एवं केंद्र दोनों ने ही कानून बनाये हैं।

8.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक

भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु वर्ष 1996 में निम्नलिखित दो केंद्रीय अधिनियम पारित किये गये हैं :-

1. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा
2. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

यह अधिनियम उन नियोजकों/ठेकेदार के संस्थानों पर लागू होता है जो अस्थायी प्रकृति के कार्यों को संपन्न कराने की प्रक्रिया का संपादन करते हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुबंधित कार्य के संपादन में किसी भी दिन दस या उससे अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित होने की दशा में, नियोजक/ठेकेदार द्वारा स्थापनाओं के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण कराना, आवश्यक है।

प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996, के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या तथा श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय-वार जानकारी परिशिष्ट-8.1 में दी गई है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 8.2

क्र.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21 (दिसंबर 2020 तक)
1.	निरीक्षण	136	352	46
2.	अभियोजन	14	26	18

उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रदेश में फरवरी, 2001 में विभिन्न प्रकार के अधिकारी निम्नानुसार अधिसूचित किये गए हैं:-

क. प्रथम अधिनियम के अंतर्गत-

तालिका 8.3

अधिनियम के तहत प्राधिकारी	खाना-1 में उल्लेखित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी
1. मुख्य निरीक्षक -	श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश
2. निरीक्षक -	समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक
3. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी -	समस्त सहायक श्रमायुक्त और श्रम पदाधिकारी
4. अपील अधिकारी -	अपर एवं उप श्रमायुक्त

ख. द्वितीय अधिनियम के अंतर्गत-

तालिका 8.4

अधिनियम के तहत प्राधिकारी	खाना-1 में उल्लेखित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी
1. उपकर निर्धारण अधिकारी-	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, समस्त अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी
2. अपील प्राधिकारी-	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कलेक्टर, आयुक्त, नगर पालिक निगम, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त, श्रमायुक्त

3 उपकर संग्राहक-	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी अनुविभागीय अधिकारी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो) समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत / जिला पंचायत, समस्त श्रम विभागीय अधिकारी,
------------------	--

उक्त प्रथम अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2002" बनाकर राजपत्र (असाधारण) में 1 जनवरी, 2003, को अधिसूचित किए हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन दिनांक 9 अप्रैल, 2003 को किया जाकर सामान्य तौर पर 3 वर्ष उपरांत नियमानुसार पुनर्गठन होने तक पूर्व सदस्यगण यथावत कार्यरत रहते हैं।

8.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके कल्याण को सुनिश्चित कराये जाने को ध्यान में रखकर म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल का गठन वर्ष 2008 में किया गया। राज्य शासन द्वारा दिनांक 25.01.2016 को मण्डल के प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री म.प्र. शासन मण्डल के अध्यक्ष हैं।

01 अप्रैल 2018 से असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना प्रारंभ की गई। राज्य में वर्तमान में 1,49,81,842 पंजीकृत श्रमिक हैं जिनमें से 1,37,13,336 पात्र श्रमिक हैं तथा 12,68,506 श्रमिकों के पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया प्रचलित है। श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत 1. अंत्येष्टि सहायता, 2. अनुग्रह सहायता (सामान्य मृत्यु) 3. अनुग्रह सहायता (दुर्घटना में मृत्यु), 4. अनुग्रह सहायता (स्थायी अपंगता), 5. अनुग्रह सहायता (आंशिक स्थायी अपंगता) संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 जनवरी 2021 की स्थिति में 61 हजार 207 हितग्राहियों को 456.78 करोड़ के हितलाभ वितरित किये गये हैं। योजना प्रारंभ से 20 जनवरी 2021 तक 1 लाख 90 हजार 987 हितग्राहियों को 1654.08 करोड़ का हितलाभ वितरण किया गया है।

अध्याय-9 बंधक श्रमिक

9.1 प्रारंभिक

संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसरण में बंधक श्रम पद्धति को समाप्त करने के लिये वर्ष 1976 से बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 लागू है। बंधक श्रम पद्धति से आशय ऐसा बलात् श्रम या अंशतः बलात् श्रम लेने की पद्धति से है जो साधारणतः स्वयं श्रमिक या उसके पूर्वजों को दिये गये ऋण की वसूली के रूप में या रूढ़िगत अथवा सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में लिया जाता है।

बंधक श्रम प्रथा का विषय जुलाई, 1999 तक राज्य शासन के राजस्व विभाग को आबंटित था। राज्य शासन के कार्य आबंटन नियमों में 01.08.1999 से हुए संशोधन द्वारा यह विषय श्रम विभाग को आबंटित किया गया। इस संशोधन के पालन में यह कार्य वास्तव में फरवरी, 2000 में श्रम विभाग को हस्तांतरित हुआ।

उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसार बंधक श्रम प्रथा के अस्तित्व के बारे में छानबीन, बंधक श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं कल्याण की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है।

अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य शासन ने समस्त जिला एवं उपखण्डीय मजिस्ट्रेटों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत घटित अपराधों के ट्रायल के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, की शक्तियों से वेष्टित किया है।

9.2 बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से संवेदनशील जिले

योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07 के संदर्भ में "श्रमिकों के कमजोर वर्गों" के लिये गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के बीस जिलों की बंधक श्रम पद्धति की दृष्टि से संवेदनशील जिलों के रूप में पहचान की है। इनके अलावा, गत वर्षों में प्रदेश के छः अन्य जिलों में भी बंधक श्रमिक पाये गये हैं। कुल 24 जिलों की संभाग-वार सूची निम्नानुसार है -

क्रमांक	संभाग	जिले
1	ग्वालियर	1- ग्वालियर 2- शिवपुरी 3- गुना
2	जबलपुर	4- भिण्ड 5- मुरैना
3	इन्दौर	6- अलीराजपुर 7- झाबुआ 8- धार

4	उज्जैन	—	9—बुरहानपुर
			10—शाजापुर
			11— मंदसौर
			11— रतलाम
5	भोपाल	—	12— रायसेन
6	होशंगाबाद	—	13— बैतूल
			14—हरदा
			15—नरसिंहपुर
			16— मंडला
7	सागर	—	17— सागर
			18— छतरपुर
			19— टीकमगढ़
			20— पन्ना
8	रीवा	—	21— रीवा
			22— सतना
			23— सीधी
			24— शहडोल

9.3 जिला एवं उपखंड—स्तरीय निगरानी समितियाँ

अधिनियम की धारा 13 में जिला एवं उपखंड स्तर पर निगरानी समितियाँ गठित करने का प्रावधान है।

जिला—स्तरीय निगरानी समिति :-

यह समिति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य, दो सामाजिक कार्यकर्ता तथा किसी वित्तीय संस्था का एक व्यक्ति सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबद्ध तीन व्यक्ति सदस्य होते हैं। भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के पत्र दिनांक 29.5.06 द्वारा इन समितियों में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपखंड—स्तरीय निगरानी समिति :-

यह समिति उपखंडीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। इसमें उनके द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य, दो सामाजिक कार्यकर्ता एवं वित्तीय संस्था के एक प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इनके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबद्ध तीन व्यक्ति भी सदस्य होते हैं। इन समितियों के मुख्य कार्य अधिनियम के प्रावधानों के परिपालन में जिला/उपखंडीय मजिस्ट्रेट को परामर्श देना, बंधक श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक पुनर्वास में सहायता करना, ग्रामीण एवं सहकारी वित्तीय संस्थाओं से उन्हें वित्तीय मदद उपलब्ध कराना तथा बंधक श्रमिकों को उनके ऋणों से मुक्ति दिलाना है। जिला एवं उप खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा बंधक श्रमिक नियोजित करने वाले संभावित स्थलों जैसे—ईट भट्टा, कशर, निर्माण कार्य, कृषि, बोरवेल, चूना भट्टा, होटल एवं ढावा आदि का भ्रमण किया जाकर स्थल निरीक्षण किये जाने के

निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं। तदनुसार समिति द्वारा स्थल निरीक्षण भी किये जा रहे हैं।

प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि वे उक्त निगरानी समितियों को पुनर्गठित कर सक्रिय बनाएं और हर तिमाही में उनकी कम से कम एक बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें। अद्यतन स्थिति अनुसार प्रदेश के जिन जिलों में समितियों का दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है अथवा समाप्त हो रहा है, उन जिला कलेक्टरों को समितियों के पुनर्गठन किये जाने हेतु सूचित किया जाता है। सभी 52 जिलों की समिति गठित है।

राज्य स्तरीय बंधक श्रम समीक्षा एवं समन्वय समिति--

मान. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6190 / 2007 जे. प्रसाद विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से सुनवाई की गई। मा. उच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन के प्रतिवेदन को संतोषजनक मानते हुए समिति की बैठक पाक्षिक के स्थान पर प्रति दो माह में करने की अनुमति प्रदान की गई। उक्त याचिका में पारित निर्देशों के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय बंधक श्रम समीक्षा एवं समन्वय समिति द्वारा राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति एवं पुनर्वास की समीक्षा की जाती है। उक्त याचिका का निराकरण दिनांक 06.08.2018 को हो गया है। राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति एवं पुनर्वास की निगरानी की जा रही है।

9.4 विमुक्त बंधक श्रमिकों का पुनर्वास

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन "बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016" दिनांक 18.05.2016 से लागू की गई है।

नई पुनर्वास नीति में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राशि पुरुष वयस्क हितग्राहियों हेतु रु.1.00 लाख, बालक एवं महिला हितग्राहियों के लिए रु. 2.00 लाख तथा गंभीर शोषण के प्रकरणों में महिला एवं बालकों के लिए रु. 3.00 लाख प्रावधानित है। इसके अतिरिक्त बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु रु. 4.50 लाख प्रति जिला राज्य स्तरीय जन जागरण हेतु रु.10.00 लाख तथा मूल्यांकन अध्ययन हेतु रु. 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले में जिला दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में बंधक श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जावेगा जिसमें रु. 10 लाख की स्थायी निधि रहेगी जो विमुक्त बंधक श्रमिकों को तत्कालिक सहायता राशि रु. 20 हजार प्रदान करने हेतु प्रयुक्त होगी। शेष राशि हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जावेगे तथा शेष राशि बंधक श्रमिक के नियोजक के अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्धि उपरांत केंद्र सरकार से राशि प्राप्त कर बंधक श्रमिक को भुगतान की जावेगी। निधि में बंधक श्रमिक के नियोजकों से प्राप्त होने वाली दण्ड की राशि जमा की जावेगी। प्रदेश के सभी 52 जिलों में बंधक श्रम पुनर्वास निधी का गठन (CARPUS FUND) किया जाकर समिति का बैंक खाता खोला गया है। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक जिले को राशि आवंटित की गई।

विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों को विभिन्न प्रचलित शासन की हितग्राहीमूलक कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकतानुसार निम्नलिखित लाभ दिलाकर पुनर्वासित कराया जाना अपेक्षित है :-

1. आवासहीनों को आवास हेतु भूखंड तथा आवास निर्माण हेतु सहायता।
2. भूमिहीनों को यथासंभव कृषि भूमि का आवंटन, और कृषि संसाधन के लिये सहायता या विकल्प में अन्य उत्पादक आस्तियों (यथा दुधारू पशु) के लिये सहायता अथवा रोजगार-मूलक कार्यक्रम के तहत रोजगार,
3. बी.पी.एल. राशन कार्ड का प्रदाय एवं शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में पात्रतानुसार लाभान्वित करना।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित विमुक्त बंधक श्रमिकों को अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक सहायता एवं अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ प्रदान करना।
5. बंधक श्रमिकों के नियोजकों के विरुद्ध बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं अन्य श्रम अधिनियमों जैसे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम में अभियोजन/दावा कार्यवाही करना।

विमुक्त होकर राज्य में निवासरत बंधक श्रमिकों के लिये कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में आनेवाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें शासन की कल्याणकारी, हितग्राहीमूलक एवं रोजगारमूलक, योजनाओं से अतगत कराया जाकर, लाभान्वित किया गया।

राज्य स्तरीय कार्यशाला

- दिनांक 24.10.2017 को बंधक श्रमिकों की विमुक्ति, पहचान एवं पुनर्वास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- राज्य में बाल एवं बंधक श्रम कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। दिनांक 25.11.2019 राज्य स्तरीय परामर्श बैठक/कार्यशाला का आयोजन आर.सी.वी.पी. नरोन्हा, प्रशासकीय अकादमी, भोपाल में माननीय श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में जिला-कलेक्टर के प्रतिनिधी, पुलिस विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, एन.जी.ओ. एवं श्रम विभाग के अधिकारी सम्मिलित हुए।

केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ती राशि की प्राप्ति हेतु कार्यवाही

• श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नई बंधक श्रम पुनर्वास नीति 2016 के प्रावधान अनुसार राज्य शासन द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ती केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी तदनुसार नई योजना प्रारंभ दिनांक से वर्ष 2019-2020 तक विमुक्त बंधक श्रमिकों को प्रदत्त सहायता राशि की प्रतिपूर्ती राशि रु. 31,08,000/- की मांग केन्द्र सरकार से की गई है।

• अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल द्वारा बंधक श्रमिक पाए जाने वाले चयनित जिलों सागर, छतरपुर, बुरहानपुर, मुरैना, गुना एवं मंडला में मूल्यांकन अध्ययन कार्य किया गया है। मूल्यांकन अध्ययन कार्य में व्यय राशि रु. 4,24,350/- की मांग भी केन्द्र सरकार से की गई है।

बंधक श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास की वर्षवार जानकारी परिशिष्ट 9.1 में अवलोकनीय है।

* * *

अध्याय-10

कतिपय अन्य महत्वपूर्ण श्रम कानूनों का कार्यान्वयन

10.1. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

यह अधिनियम मोटर परिवहन व्यवसाय में संलग्न उन नियोक्ताओं पर लागू होता है जो दो या दो से अधिक कर्मकार नियोजित करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत वाहन पर नियुक्त कर्मकारों की सेवाशर्तें (मुख्यतः काम के घंटे, अवकाश, ओवर टाइम, गणवेश आदि) का नियमन किया जाता है। नियोक्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वह श्रम कार्यालय से उपक्रम का पंजीयन कराये एवं अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का पालन करे। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने की स्थिति में अधिनियम में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

प्रदेश में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों की संख्या तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय- वार जानकारी परिशिष्ट-10.1 में दी गई है।

अधिनियम के अंतर्गत संपन्न निरीक्षणों की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 10.1

क्र.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21 (दिसंबर 2020 तक)
1.	निरीक्षण	16	06	01
2.	अभियोजन	00	00	00

10.2. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955

भारत सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना दिनांक 1 नवंबर 2011 द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के संबंध में मजीठिया वेतन मण्डल की अनुशंसायें प्रभावशील की हैं।

प्रदेश के समाचार पत्र संस्थाओं तथा प्रेस संस्थानों में मजीठिया वेतन मंडल की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु श्रमायुक्त संगठन के मैदानी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

10.3. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

यह अधिनियम, 1 जनवरी, 1959, से प्रभावशील है। इसका उद्देश्य दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित कर्मियों की कार्यदशाओं को विनियमित करता है।

यह अधिनियम 01.01.03 तक प्रदेश के 144 नगरों कस्बों में लागू था। दिनांक 15.7.2011 से इसे 47 जिलों के 219 और कस्बों में प्रभावशील किया गया है। इस प्रकार अब यह प्रदेश के कुल 363 नगरों/कस्बों में लागू है, जिनकी जिले-वार सूची परिशिष्ट-10.2 में दी गई है।

प्रदेश में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/ कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या की जिले-वार जानकारी परिशिष्ट-10.3 में दी गई है।

इस अधिनियम, की धारा 6 (2) एवं 6(5) के अंतर्गत दुकानों/स्थापनाओं के पंजीयन एवं नवीनीकरण का कार्य पुनः जुलाई 2009 से श्रम विभाग को सौंपा गया है।

इस अधिनियम की धारा 9 में दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना खुलने एवं बंद होने के समय विनियमित किए जाने का और धारा 13 में ऐसी स्थापनाओं में एक साप्ताहिक अवकाश दिये जाने का प्रावधान है। कतिपय विशिष्ट स्वरूप की स्थापनाओं के उक्त अधिनियम की धारा 9 तथा धारा 13 के प्रावधानों से, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान की गई है। उदाहरणार्थ, अधिसूचना दिनांक 23.3.2000 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी स्थापनाओं को, कतिपय शर्तों के तहत, धारा 9(1) एवं धारा 13(1) के प्रावधानों से छूट दी गई है, अर्थात् इस प्रकार की स्थापनाएं प्रदेश में सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे कार्य कर सकती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के खुलने एवं बंद होने के समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। धारा-9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 05.05.2020 द्वारा इनके बंद होने का समय प्रातः 06.00 से रात्रि 12.00 बजे निर्धारित है।

श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 20 मई 2013 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों में रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक महिलाओं को कार्य करने की छूट उनकी सुविधा एवं सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्थाओं की शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 तथा म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत प्रक्रियाओं को सरलीकृत करते हुए दिनांक 15 जनवरी, 2014 से समस्त अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संधारित करने की अनुमति जारी की गई है तथा पंजीयन एवं नवीनीकरण की सुविधा ऑनलाईन की गई है। यह सेवा लोक सेवा के रूप में भी सम्मिलित है।

म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीयन के नवीनीकरण का प्रावधान म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 के अनुसार तथा म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17.11.2020 के अनुसार साप्ताहिक अवकाश भी समाप्त किया गया है।

म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 में संशोधन करते हुए, म.प्र. दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 लाया गया है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रमुख प्रावधान किए गए हैं:-

1. विहित कालावधि में निरीक्षक द्वारा विपरीत आदेश न होने पर पंजीयन स्वतः का दिया गया, समझा जाएगा।
2. प्रत्येक स्थापना में आग से बचाव व कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए विहित किए जाएंगे।

3. 10 से कम श्रमिकों की स्थापना में निरीक्षण श्रम आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
4. सभी उल्लंघनों हेतु प्रशमन के प्रावधान किए गए हैं।
5. पंजियों एवं अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल फॉर्मेट में रखा जा सकेगा।

अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 10.2

क.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)
1.	निरीक्षण	231	2093	305
2.	अभियोजन	67	233	—

10.4. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

यह अधिनियम उन प्रमुख नियोजकों एवं ठेकेदार के संस्थानों पर लागू होता है जो अस्थायी प्रकृति के कार्यों को संपन्न कराने की प्रक्रिया का संपादन करते हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुबंधित कार्य के संपादन में किसी भी दिन बीस या उससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित होने की दशा में, प्रमुख नियोजक स्थापनाओं के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण कराना, और संबंधित ठेकेदार को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन ने रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी और अनुज्ञापन अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किए हैं :-

तालिका 10.3

अधिनियम के तहत प्राधिकारी	किसे नियुक्त किया गया
1. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी
2. अनुज्ञापन अधिकारी	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी

प्रदेश में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या, अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या तथा श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय-वार जानकारी परिशिष्ट-10.4 में दी गई है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 10.4

क.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)
1.	निरीक्षण	891	1796	748
2.	अभियोजन	225	126	—

10.5. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

यह अधिनियम उन स्थापनाओं (एवं ठेकेदारों) पर लागू होता है जो न्यूनतम पांच या अधिक ऐसे श्रमिकों से काम लेते हैं, जो किसी अन्य राज्य से ठेकेदार, सरदार अथवा एजेंट के माध्यम से आये हों। स्थापना को ऐसे श्रमिकों से कार्य लेने के पूर्व अपना पंजीयन कराना होता है, तथा संबंधित ठेकेदार /सरदार/ एजेंट को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत भी राज्य शासन ने उन्हीं अधिकारियों को क्रमशः रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी और अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किया है, जिन्हें ठेका श्रम अधिनियम के तहत ऊपर पद 10.4 में इस हैसियत से नियुक्त दर्शाया गया है।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों में राज्य से बाहर जाने वाले एवं अन्य राज्यों से आने वाले, दोनों प्रकार के श्रमिक सम्मिलित होते हैं। राज्य के सीमावर्ती जिलों में प्रायः श्रमिकों का अंतर्राज्यीय प्रवास प्रचलित है। भारी इंजीनियरिंग, लोहा एवं इस्पात, तथा ईट भट्टे आदि कार्यों में बिहार तथा उत्तरप्रदेश राज्यों के श्रमिक प्रायः कार्यरत पाये जाते हैं। अधिकांश श्रमिक स्वयं ही प्रवास करते हैं और किसी सरदार/ठेकेदार/एजेंट के माध्यम से प्रवास न करने के कारण ये अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं।

किसी ग्राम से अन्य राज्य को जाने वाले श्रमिकों की पंजी संधारित करने का दायित्व गत जनवरी, 2001, से ग्राम सभाओं को सौंपा गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2002 द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य की नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को, एवं नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों को, संबंधित नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत "निरीक्षक" नियुक्त किया गया है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 10.5

क्र.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)
1.	निरीक्षण	01	30	20
2.	अभियोजन	00	00	—

अध्याय-11

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

11.1 प्रारंभिक

भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रवर्तित की गई है। योजना अन्तर्गत देय विभिन्न हितलाभों में से एक हितलाभ योजना के हितग्राही सदस्यों व उनके परिजनों को संपूर्ण चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने का दायित्व राज्य शासन को सौंपा गया है, जिसके लिये म0प्र0 शासन, श्रम विभाग अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ विभाग की स्थापना की गई है। शेष हितलाभ भारत शासन अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, के अंतर्गत संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना, अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित ऐसे सभी कारखानों, व अन्य स्थापनाओं पर लागू होती है, जहां कार्यरत व्यक्तियों की संख्या ऊर्जा-चालित स्थापनाओं तथा गैर-ऊर्जा चालित स्थापनाओं में दस या दस से अधिक हों। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31.3.2020 की स्थिति में दी गई जानकारी अनुसार प्रदेश में 10,44,440 बीमित व्याप्ति में है। निगम द्वारा दिनांक 1.10.2016 से रुपये 21,000/- तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मचारों को व्याप्ति में लेने का निर्णय लिया गया है। योजना में व्याप्त कर्मचारों व उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा एवं अन्य विभिन्न हितलाभ प्राप्त होते हैं जिनका विवरण आगे पद 11.2 में दिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) योजना के तहत नियोजक स्थापनाओं और उनमें कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन तथा उनसे अभिदाय की प्राप्ति/वसूली का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम (जो एक केंद्रीय उपक्रम है) करता है। श्रमिक को उसकी कुल परिलब्धियों के 0.75% के बराबर अभिदाय देना होता है और नियोजक 3.25% अभिदाय देता है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में है तथा उसके अंतर्गत 27 स्थानीय कार्यालय हैं।

11.2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले हितलाभ और योजना के कार्यान्वयन का पेटर्न

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित श्रमिक को निम्नलिखित हितलाभ प्राप्त होते हैं :-

1-चिकित्सा हितलाभ— श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा।

2-बीमारी हितलाभ— दीर्घकालिक रोगों से ग्रस्त बीमाकृत व्यक्ति 91 दिन की बीमारी हितलाभ अवधि की समाप्ति पर बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे थे। प्रायः कार्य के लिए स्वस्थ न होने पर भी वे अंतिम प्रमाण-पत्र के लिए जोर देते थे। अब 3 वर्ष की वि.बी.हित. अवधि में 2 वर्ष तक की विस्तारित अवधि

(विस्तारित बीमारी हितलाभ) हेतु बीमारी हितलाभ का भुगतान करने का प्रावधान कर दिया गया है।

3-मातृत्व हितलाभ— महिला श्रमिकों को 26 Weeks के वेतन के बराबर राशि प्रसूति की दशा में देय है।

4-अपंगता हितलाभ— कार्य संबंधित दुर्घटना से उत्पन्न अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्तियों को मुआवजा देय है जिसकी दर श्रमिक की आयु व वेतन पर निर्भर है। स्थायी अपंगता के लिए मासिक पेंशन देय है।

5-पुनर्वास हितलाभ— अपंग हुए हितग्राहियों को कृत्रिम अंग लगवाने तथा दुरस्त कराने के लिए, एवं कृत्रिम अंग केंद्र तक आने-जाने के व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शारीरिक पुनर्वास भत्ते के रूप में वहन किया जाता है। इसके अलावा, शारीरिक अपंगता की स्थिति में व्यावसायिक पुनर्वास/पुनर्प्रशिक्षण हेतु सहायता, व्यावसायिक पुनर्वास भत्ते के रूप में दी जाती है।

6-आश्रित हितलाभ— कार्य संबंधित दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को मासिक पेंशन की पात्रता होती है।

7-अंत्येष्टि हेतु सहायता— बीमित श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को अधिकतम रुपये 15,000/- अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं।

उपर्युक्त में से प्रथम हितलाभ (अर्थात् चिकित्सा हितलाभ) का प्रशासन पूरी तरह राज्य शासन की जिम्मेदारी है। शेष हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नगद रूप में दिये जाते हैं, परंतु उनके लिए आवश्यकतानुसार प्रमाणीकरण करा.बी. सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है।

राज्य शासन के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं दिए जाने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 1.4.2016 से रुपये 3,000/- प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष का मापदंड निर्धारित किया गया था। इस सीमा तक होने वाले व्यय को वर्तमान में निगम द्वारा वहन किया जा रहा है। इससे अधिक होने वाला व्यय पूर्णतः राज्य शासन को वहन करना होता है। निगम ने रुपये 3,000/- प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष की उक्त दर को निम्न मदों में विभक्त किया है :-

1. प्रशासनिक मद	
2. अन्य मद	रुपये 1,250/-
योग	रुपये 1,750/-
	रुपये 3,000/-

11.3. कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रदेश में विस्तार एवं बीमित व्यक्तियों की संख्या

प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रथमतः जनवरी, 1955, में मध्य भारत क्षेत्र के चार मुख्य औद्योगिक केंद्रों— इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, तथा रतलाम—के लगभग 55,000 श्रमिकों के लिये प्रारंभ की गयी थी। शनैः-शनैः प्रदेश में औद्योगिक केंद्रों के विस्तार के साथ-साथ कर्मचारी राज्य बीमा योजना का भी विस्तार होता गया।

दिनांक 31.3.2019 की स्थिति में प्रदेश के 17 जिलों में 20 केन्द्रों पर 10,44,440 बीमित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों को इस योजना के तहत चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। तथा प्रत्येक केंद्र पर कार्यरत चिकित्सालयों और औषधालयों की सूची परिशिष्ट-2.3 में दी गयी है।

11.4. चिकित्सा हितलाभ

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत देय पूर्ण चिकित्सा सेवा (Full medical care) के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों को बाह्य रोगी चिकित्सा, अन्तः चिकित्सालयीन सुविधा व विशेष जांच व उपचार की सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती है।

अन्तः चिकित्सालयीन सुविधा प्रदेश के मुख्य नगरों में 6 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों एवं एक एनेस्की वार्ड के माध्यम से दी जाती है। जिनमें कुल 456 शैयाएँ उपलब्ध हैं। इन्दौर क्षेत्र चिकित्सालय में 75, उज्जैन चिकित्सालय में 50, खालियर चिकित्सालय में 100, भोपाल चिकित्सालय में 100, देवास चिकित्सालय में 50, नागदा चिकित्सालय में 50 एवं एनेस्की वार्ड नंदसौर में 25, मिल क्षेत्र औषधाल में परिवार कल्याण कार्यक्रम यूनिट, में 6 शैयाओं की व्यवस्था है। द्वितीयक उपचार एवं जांच की केश रहित सुविधा हेतु प्रदेश के 20 निजी चिकित्सा संस्थानों को अनुबन्धित किया गया है।

वर्तमान में 3 रोगी वाहन विभिन्न चिकित्सालयों एवं औषधालयों में कार्यरत हैं। गंभीर बीमारियों व जटिल सर्जरी, विशेष जांचें आदि के मामलों में, जो सुविधा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है उन्हें राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम माओ द्वारा विभिन्न अतिविशिष्ट चिकित्सालयों को अनुबन्धित कर, केशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जरूरत पड़ने पर बीमित व्यक्तियों को ऐनक, कृत्रिम अंग, हियरिंग एड आदि भी निःशुल्क दिए जाते हैं।

बीमित व्यक्तियों को, उनके द्वारा चिकित्सा पर किए गए व्यय के शीघ्र पुनर्भुगतान के उद्देश्य से जुलाई 2001 से स्थापित रिवाल्विंग फंड दिनांक 31.3.2015 से समाप्त करते हुये एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 के अनुसार हितग्राहियों को भुगतान रहित उपचार सुविधा दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में दिनांक 31.12.2020 तक का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 11.4

क्र.	उपचार	प्रकरणों की संख्या (अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक)	चिकित्सालयों को भुगतान करने हेतु स्वीकृत राशि
1	द्वितीयक उपचार एवं जांच सुविधा	5,161	3,86,92,937 / -

क.रा.बी. संस्थाओं में उपचारित मरीजों का विवरण परिशिष्ट-11.1 में दिया गया है।

11.5. परिवार कल्याण एवं अन्य सेवाएँ

उपर्युक्त चिकित्सा सेवाओं के अलावा संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियां भी संचालित करता है। श्रमिक एवं परिवार शिक्षक द्वारा श्रमिक बस्तियों व औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। टेलिविजन, प्रोजेक्टर, बेनर, पोस्टर आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।

श्रमिक बस्तियों में टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, क्षयरोग, नेत्र रोग एवं निदान शिविर, स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता एवं परिवार नियोजन आपरेशन शिविर आयोजित किए जाते हैं। इनमें बीमारियों के प्रतिरोधक टीके, हेल्थ स्कैनिंग व स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है।

परिवार कल्याण आदि कार्यक्रमों के तहत विगत तीन वर्षों में किए गए कार्य का विवरण परिशिष्ट-11.2 में दिया गया है। इसी प्रकार विगत तीन वर्षों में टीकाकरण संबंधी जानकारी परिशिष्ट-11.3 में दर्शाई गई है।

चिकित्सालय द्वारा किये गये आपरेशन का विवरण परिशिष्ट-11.4 में दिया गया है।

हिपेटाइटिस "बी" से बचाव के लिये बीमितों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये हिपेटाइटिस-बी का विशेष सत्र औद्योगिक इकाइयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 110 हितग्राहियों को टीके लगाये गये हैं।

प्रदेश के कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ को परिवार कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता रहा है। दिनांक 31.10.06 को नई दिल्ली में चिकित्सा हितलाभ परिषद की आयोजित 76 वीं बैठक में वर्ष 2004-05 में प्रथम पुरस्कार के साथ रुपये 10,000/- नगद, टीकाकरण के क्षेत्र में प्रावीण्यता प्रमाण-पत्र तथा वर्ष 2005-06 में द्वितीय पुरस्कार के साथ रुपये 5,000/- नगद प्रदान किये गये हैं। वर्ष 2008-09 में परिवार कल्याण की उपलब्धियों के लिये महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार घोषित किया गया है, इसमें रुपये 3,000/- का नगद व प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। वर्ष 2011-12 व 2012-13 तथा 2013-14 के पुरस्कारों के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में रुपये 10,000/- का नगद प्रथम पुरस्कार एवं प्राविण्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

11.6 श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार संबंधी कार्ययोजना

पूर्व में राज्य योजना मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय "श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार" में श्रम विभाग को संगठित / असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 0 से 18 वर्ष आयु के 1,00,000 बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया था।

इस संबंध में कर्मचारी राज्य सेवायें म.प्र. द्वारा निर्धारित अधिनस्थ 10 केन्द्रों एवं चिकित्सालय के माध्यम से वर्ष 2004-2005 से सतत शिविरों का आयोजन कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में (दिसम्बर 2020 तक) सभी केन्द्रों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से 28 शिविर आयोजित कर 3,025 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।

11.7 एच. आय. बी. / एड्स प्रकोष्ठ

एड्स के प्रसार को रोकने एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा नीति निर्देश तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क.रा.बी. सेवाओं के लिये कार्यक्रम निर्धारण व धनराशि आवंटन क.रा.बी.निगम के माध्यम से किया जाता है। संचालनालय में कार्यरत एड्स प्रकोष्ठ के अधीन ग्वालियर स्थित चिकित्सालयों में 31.3.2000 से आय. सी.टी. सी (समग्र परामर्श/ परीक्षण केन्द्र) प्रारंभ किये गये हैं एवं यौन जनित रोग निदान एवं उपचार क्लीनिक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं। यह कार्यक्रम क.रा.बी.निगम द्वारा वित्त पोषित है। लगातार प्रचार-प्रसार एवं जनजागृति के प्रयास हर स्तर पर किये जा रहे हैं जिसके कारण एड्स के नवीन प्रकरणों में कमी आयी है।

एच0आय0बी0/एड्स के प्रसार के रोकथाम हेतु विभागीय चिकित्सकों एवं पैरामेडीकल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। निदान केन्द्रों पर सम्पन्न परीक्षण में एच0आय0बी0 पॉजिटिव के कुछ प्रकरण पाये गये हैं, जिन्हें विशेष उपचार चिकित्सा महाविद्यालयों के ए0आर0 टी0 केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

11.8 विभागीय अमले की स्थिति

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें म. प्र. के अन्तर्गत वर्ष 2020-2021 में (दिसम्बर 2020 तक) स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अमले की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रथम श्रेणी	71	18	53
2	द्वितीय श्रेणी	289	205	84
3	तृतीय श्रेणी	886	577	309
4	चतुर्थ श्रेणी	783	460	323
5	कुल योग	2029	1260	769

11.9 विभागीय पदोन्नतियों की स्थिति

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें म. प्र. के अन्तर्गत वर्ष 2020-2021 में (दिसम्बर 2020 तक) पदोन्नति हेतु शासन से निर्देश प्राप्त नहीं होने से प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी में निरंक तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में निरंक एवं तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी में निरंक तथा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में निरंक पदोन्नतियों की गई हैं।

11.10 विभागीय जाँच की स्थिति

वर्ष 2020-2021 में (दिसम्बर 2020 तक) विभागान्तर्गत प्रथम श्रेणी में 01, द्वितीय श्रेणी में 03 प्रकरणों में निर्णय शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी में 05 तथा चतुर्थ श्रेणी में 02 प्रकरण में जांच कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

11.11 नियुक्तियों की स्थिति

वर्ष 2020-2021 में (दिसम्बर 2020 तक) विभागान्तर्गत प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी पदों नियुक्ति कर्ता अधिकारी शासन, लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीमा चिकित्सा पदाधिकारी एवं सहायक चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के रिक्त 67 पदों की पूर्ति की कार्रवाई के तहत लोक सेवा आयोग द्वारा 62 उम्मीदवारों की मुख्य सूची जारी की गई है, इसमें से 42 चिकित्सकों को श्रम विभाग द्वारा प्रदान की गई है। उक्त अनुसार नियुक्त चिकित्सकों में से 32 चिकित्सकों ने दिनांक 31.12.2020 तक कार्य भार ग्रहण किया है। तृतीय श्रेणी में 02 पदों पर तथा चतुर्थ श्रेणी के 03 पदों पर नियुक्ति की गई।

11.12 स्थानान्तरण की स्थिति

वर्ष 2020-2021 में (दिसम्बर 2020 तक) प्रथम श्रेणी में 01, द्वितीय श्रेणी में 03, तृतीय श्रेणी में 01 तथा चतुर्थ श्रेणी में निरंक स्थानान्तरण किये गये हैं।

11.13 न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :-

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें में वर्तमान में कुल 169 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। जिसमें से 128 न्यायालयीन प्रकरण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित हैं तथा शेष 41 प्रकरण हितग्राहियों से संबंधित हैं।

अध्याय-12 श्रम न्यायपालिका

12.1 संवैधानिक व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 323-ख (1) में व्यवस्था है कि समुचित विधान मंडल, कानून द्वारा, उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) में उल्लेखित प्रकार के विवादों के अधिकरणों द्वारा न्याय निर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में उल्लेखित विषयों में "औद्योगिक और श्रम विवाद" भी सम्मिलित है।

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय गठित है। साथ ही, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-क के अंतर्गत मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित है। धारा 7-क के अनुसार कोई भी औद्योगिक विवाद, चाहे वह अधिनियम की अनुसूची दो का विषय हो अथवा अनुसूची तीन का, राज्य शासन द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सौंपा जा सकता है। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष ही औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8, सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अंतर्गत प्रदेश में श्रम न्यायालय कार्यरत हैं।

औद्योगिक न्यायालय तथा श्रम न्यायालय, विभिन्न केन्द्रीय व राज्य विधानों के अंतर्गत औद्योगिक विवादों की सुनवाई करते हैं।

12.2 औद्योगिक न्यायालयों की खंडपीठ व प्रशासन

मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय की मुख्य खंडपीठ इन्दौर में है, तथा 4 खंडपीठें कमरा: जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा में स्थापित है। औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं जिनमें से दो मुख्यालय इन्दौर में, एवं शेष चार खंडपीठों के लिए हैं। मुख्यालय पर प्रशासकीय व कार्यपालक कार्य के लिए एक रजिस्ट्रार है, जो न्यायिक कार्य के लिए कराधान अधिकारी होकर वर्तमान में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ है। खंडपीठों में संयुक्त पंजीयक, प्रशासकीय अधिकारी हैं। राज्य में कुल 25 श्रम न्यायालय गठित हैं जिनमें से 23 श्रम न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं। जिन श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां का प्रभार अन्य निकटस्थ श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।

औद्योगिक न्यायालय तथा विभिन्न श्रम न्यायालयों द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी परिशिष्ट 12.1 एवं 12.2 में दी गई है।

पदोन्नति :- वर्ष 2020-21 में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी में किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई।

विभागीय जाँच :- वर्ष 2020-21 में दिनांक 31-12-2020 की स्थिति में विभागीय जाँच के 2 प्रकरण लंबित है।

नियुक्तियाँ :- वर्ष 2020-21 में तृतीय श्रेणी में एक सहायक ग्रेड-3 की नियुक्ति की गई।

स्थानांतरण :- श्रम न्यायिक संस्थान में वर्ष 2020-21 में तृतीय श्रेणी में 02 चतुर्थ श्रेणी में 02 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया।

न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :-

शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासन के विरुद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरण वर्ष 2020 की स्थिति में 44 लंबित हैं।

श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले

क्र.	संभाग	श्रम न्यायालय	श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले
1.	इन्दौर	1. इन्दौर	इन्दौर
		2. धार	धार
		3. खण्डवा	1. खण्डवा, 2. खरगोन, 3. बड़वानी, 4. बुरहानपुर
2.	उज्जैन	1. उज्जैन	1. उज्जैन, 2. शाजापुर, 3. आगर
		2. देवास	देवास
		3. रतलाम	1. रतलाम, 2. झाबुआ 3. अलीराजपुर
		4. मन्दसौर	1. मन्दसौर, 2. नीमच
3.	भोपाल	1. क्र. 1, भोपाल	1. भोपाल, 2. रायसेन
		2. क्र. 2, भोपाल	1. सीहोर, 2. विदिशा, 3. राजगढ़,
		3. बैतुल	बैतूल
4.	सागर	1. सागर	1. सागर, 2. पन्ना, 3. टीकमगढ़ 4. दमोह 5. छतरपुर
5.	जबलपुर	1. जबलपुर	1. जबलपुर, 2. मंडला, 3. सिवनी, 4. कटनी, 5. डिंडोरी
		2. नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
		3. छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
		4. बालाघाट	बालाघाट
6.	रीवा	1. रीवा	रीवा
		2. शहडोल	1. शहडोल, 2. उमरिया 3. अनुपपुर
		3. सीधी	1. सीधी 2. सिंगरौली
		4. सतना	सतना
7.	ग्वालियर	1. क्र. 1, ग्वालियर	1. ग्वालियर,
		2. क्र. 2, ग्वालियर	1. गुरैना, 2. गिण्ड 3. दतिया, 4. शिवपुरी, 5. श्योपुर
		3. क्र. 3, ग्वालियर	1. गुना 2. अशोक नगर
8.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	1. होशंगाबाद, 2. हरदा
9.	चंबल	-	-

नोट - श्रम न्यायालय दमोह एवं छतरपुर अस्तित्व में नहीं है।

अध्याय-13

राज्य-स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समितियाँ**13.1. प्रारंभिक**

श्रम संबंधी मामलों में साधारणतः तीन हितधारी पक्ष—श्रमिक, नियोजक एवं शासन होते हैं जिन्हें समाजिक भागीदार (Social Partners) भी कहा जाता है। श्रम के क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में इन तीन सामाजिक भागीदारों के बीच नियमित और सार्थक संवाद और विचार-विमर्श होते रहना आवश्यक हैं। त्रिपक्षीयता का यह सिद्धांत अनेक श्रम कानूनों एवं कार्यकारी आदेशों के तहत गठित समितियों में प्रतिबिंबित होता है। कुछ प्रमुख राज्य - स्तरीय त्रिपक्षीय समितियों का विवरण आगे दिया जा रहा है।

13.2 राज्य श्रम सलाहकार परिषद

मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद, राज्य शासन के कार्यकारी आदेश के तहत गठित एक महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च त्रि-पक्षीय मंच है जो राज्य शासन को उद्योग संबंधी प्रक्रिया में सुधार, श्रम कल्याण प्रवृत्तियों को असरकारक बनाने, श्रम अधिनियमों के मूल्यांकन एवं कियान्वयन तथा उद्योग एवं श्रम संबंधी विषयों पर परामर्श देता है।

परिषद के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री हैं तथा श्रमायुक्त इसके सचिव हैं, प्रमुख सचिव श्रम तथा शासन के अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, नियोक्ता एवं श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी भी इसके सदस्य हैं। परिषद में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 02 सदस्य, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 2 सदस्य, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के 9 सदस्य, श्रमिक संघों के 14 सदस्य तथा 1 माननीय लोकसभा सदस्य एवं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम निर्दिष्ट 4 सदस्य हैं। मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद का पुनर्गठन दिनांक 25 जून 2019 को हो चुका है, जिसकी अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12.7.2019 को प्रकाशित हुई है।

13.3. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड

यह बोर्ड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत गठित होता है। बोर्ड का पुनर्गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2019 के द्वारा किया गया है। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 26 जुलाई, 2019 को हुआ है। श्रमायुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, और वह अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में कार्रवाई करता है। बोर्ड की बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को हुई है।

13.4 राज्य सलाहकार टेका श्रम बोर्ड

यह बोर्ड टेका श्रम अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित होता है। इसका कार्य अधिनियम के प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर राज्य शासन को सलाह देना है। बोर्ड का गठन 7 जनवरी 2013 को हुआ था। बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

13.5 समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति

यह समिति उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत महिलाओं को नियोजन में अधिक अवसर प्रदान करने तथा समान कार्य हेतु समान वेतन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित की जाती है। इस समिति के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रचलित है।

* * *

अध्याय-14

सांविधिक मंडल

14.1 म0प्र0 श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल

प्रदेश में श्रमिक कल्याण गतिविधियों की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 को म.प्र. विधानसभा में वर्ष 1982 में पारित किया गया। म.प्र.शासन श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार 14 नवम्बर, 1987 से मंडल में विधिवत कार्य प्रारंभ किया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिभाषित कारखानों तथा दस या इससे अधिक कर्मचारी संख्या वाली वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनाएं/गतिविधियों को संचालित करना है। वर्तमान में मंडल द्वारा नियमित रूप से विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

01. श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केंद्रों का संचालन
02. संभागीय/राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताएं
03. मासिक श्रम कल्याण का प्रकाशन
04. निःशुल्क सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण

मंडल की उपरोक्त नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त मंडल निम्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करता है :-

01. शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
02. शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
03. कापियों का रियायती मूल्य पर वितरण
04. विवाह सहायता योजना
05. अंतिम संस्कार सहायता योजना
06. कल्याणी सहायता योजना
07. अनुग्रह सहायता योजना
08. उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना
09. श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना

1. श्रम कल्याण निधि एवं उसका उपयोग

म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के उपबंधों के अधीन अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारा-11 की उपधारा -1 के अनुसार "निधि" मंडल में न्यासी के रूप में निहित होगी और मंडल द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जाएगी। उसके धनों का उपयोग मंडल द्वारा ऐसे कियाकलापों को जो श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाए कार्यान्वित करने हेतु उपयोग किया जाएगा।

उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मंडल द्वारा निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किये जाने वाले व्ययों को चुकाने में किया जा सकेगा:-

- (क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केंद्र जिनके अंतर्गत वाचनालय और पुस्तकालय भी हैं,
- (ख) सामुदायिक आवश्यकताएं,
- (ग) बालकों, स्त्रियों तथा प्रौढ़ों के लिये शैक्षणिक सुविधाएं,
- (घ) खेल तथा खेलकूद,
- (ङ.) भ्रमण, पर्यटन और अवकाश गृह (हालिडे होम्स),
- (च) मनोरंजन और अन्य प्रकार के आमोद-प्रमोद,
- (छ) स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गृह उद्योग और सहायक उपजीविकाएं,
- (ज) सामाजिक स्वरूप के सामुदायिक क्रियाकलाप,
- (झ) अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अंतर्गत मंडल के सदस्यों के भत्ते तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्ते आते हैं,
- (ञ) ऐसे अन्य उद्देश्य जो मंडल की राय में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों और उनकी सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हों।

2. मंडल की आय के स्रोत

1. अभिदाय— मंडल की आय का मुख्य स्रोत म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 9 (2) (3) के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमिकों, नियोजकों से प्राप्त अभिदाय एवं शासन से प्राप्त अंशदान है। शासन द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2013 के राजपत्र में आम सूचना प्रकाशित कर अभिदाय दरों में वृद्धि उपरांत श्रमिकों से रुपये 10/- प्रति श्रमिक प्रति छमाही तथा नियोजकों से रुपये 30/- प्रति श्रमिक/कर्मचारी प्रति छमाही निर्धारित किए गए हैं। धारा 9 (2)(ख) परन्तुक के अनुसार नियोजक का अंशदान न्यूनतम रुपये 1500/- निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा नियोजकों से प्राप्त अभिदाय के बराबर अंशदान मंडल को दिये जाने का प्रावधान है।

मण्डल को वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) की स्थिति में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों तथा स्थापनाओं से अभिदाय स्वरूप राशि रु 3,57,62,627/- (तीन करोड़ सत्तावन लाख बासठ हजार छः सौ सत्ताईस मात्र) प्राप्त हुई है। शासन से प्राप्त होने वाले अंशदान की अवशेष राशि में राशि रुपये-40 लाख शासकीय अंशदान मण्डल को प्राप्त हुआ है।

2. असंदत्त संचित राशि— मंडल को अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत असंदत्त संचित राशि प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से असंदत्त संचित राशि रु. 17,31,996/- (सत्रह लाख इकत्तीस हजार नौ सौ छियानवें मात्र) प्राप्त हुई है। असंदत्त संचित राशि के संबध में अधिनियम की धारा 8 प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही मंडल द्वारा की जाती है।

3. **सावधि जमा**— मंडल में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 29.49 करोड़ की सावधि जमा थी। जो वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में रुपये-40.13 करोड़ सावधि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है।

14.1 मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी योजनाएँ

वर्तमान में मंडल द्वारा निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं :-

(01) शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना :-

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 1989 से प्रतिवर्ष प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों एवं स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। मंडल द्वारा वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति का उद्देश्य यह है कि आर्थिक अभाव के कारण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो सके।

मण्डल द्वारा दिनांक 05.10.2018 से कक्षा पांचवीं से आठवीं तक रुपये 1000/- प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9वीं से बारहवीं तक रु. 1200/- प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है। स्नातक, आई.टी. आई. एवं पोलिटेक्निक, पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. (कम्प्यूटर पाठ्यक्रम) में रु. 1500/- प्रतिवर्ष से तथा स्नातकोत्तर रु. 3000/- प्रतिवर्ष, बी.ई. में रु. 10,000/- प्रतिवर्ष, एम.बी.बी.एस. में रु. 20,000/- प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं को लाभ देने का प्रावधान है। दिनांक 02 अक्टूबर 2019 से शेष कक्षा 5वीं से 12वीं तक आवेदन ऑफलाइन पद्धति से जमा किये गये हैं। अतः योजना के अन्तर्गत स्नातक एवं ऊपर की कक्षाओं के आवेदन पत्र मण्डल के पोर्टल www.shramkalyan.gov.in पर ऑनलाइन जमा किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में 3675 छात्र/छात्राओं को राशि रुपये-41,11,400/- की शैक्षणिक छात्रवृत्ति वितरित की गई है।

(02) शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना :-

यह योजना वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा 10वीं, 12वीं में स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.ई. तथा एम.बी.बी.एस. में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।

मण्डल द्वारा दिनांक 05.10.2018 से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण (एम.पी. बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक तथा सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक) तक रुपये-1500/- प्रतिवर्ष एवं कक्षा 12 वीं (एम.पी. बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक तथा सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक) तक रु. 1600/- प्रतिवर्ष, स्नातक/ स्नातकोत्तर (70 प्रतिशत से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य अन्तराल नहीं होना चाहिये) रुपये-10,000/- प्रतिवर्ष बी.ई. (70 प्रतिशत से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैंक नहीं होना चाहिये)

रुपये-15,000/- प्रतिवर्ष तथा एम.बी.बी.एस. (60 प्रतिशत से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक नहीं होना चाहिये) रुपये-25,000/- प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत ऑफ-लाईन आवेदन प्राप्त किये गये हैं।

उपरोक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं, जिसमें चयन की प्रक्रिया अभी जारी है। अतः भुगतान नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में हितग्राहियों को राशि वितरण निरंक है।

(03) सस्ती दरों पर कापियों का वितरण :-

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को सस्ती दरों पर कापियों का वितरण किया जाता है। वर्तमान में उक्त योजना प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) कापियों का वितरण नहीं हुआ है अतः हितग्राही संख्या तथा राशि का विवरण जानकारी निरंक है।

(04) विवाह सहायता योजना :-

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की पुत्री अथवा स्वयं महिला श्रमिक के विवाह हेतु प्रति प्रकरण रु. 15,000/- दी जाती है

वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में 547 हितग्राहियों को राशि रुपये-82,05,000/- की विवाह सहायता राशि वितरित की गई।

(05) अंतिम संस्कार हेतु सहायता योजना :-

1 अप्रैल, 2003 से अंतिम संस्कार के लिये यह सहायता राशि श्रमिक (पुरुष/स्त्री) के मरणोपरांत श्रमिक की पत्नी अथवा उसके ज्येष्ठ पुत्र अथवा जो पुत्र अंतिम संस्कार करेंगे उसे दी जाती है। पुत्र न होने की स्थिति में जो भी अंतिम संस्कार करेगा उसे यह राशि प्रदान की जा सकती है। आवेदक को नियोजक से यह सत्यापित कराना होगा कि मृत श्रमिक उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत था, इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सहायता राशि जारी की जायेगी। आवेदन मृत्यु दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य होता है। मण्डल द्वारा दिनांक 31.05.2019 से रु. 6,000/- प्रति प्रकरण सहायता राशि प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में 60 हितग्राही को राशि रुपये 3,58,000/- अंतिम संस्कार हेतु सहायता राशि वितरित की गई।

(06) कल्याणी सहायता योजना :-

01 अप्रैल 2003 से श्रमिकों की कल्याणी (विधवा पत्नी) को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा सहायता योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना उन श्रमिकों की उन कल्याणी को प्रदान की जा सकेगी जो मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत आने वाली किसी स्थापना/संस्थान में कम से कम एक वर्ष निरंतर कार्यरत रहे हों। पेंशन हेतु आवेदिका को संस्थान के माध्यम से यह प्रमाणित करना होगा कि मृत श्रमिक विगत 1 वर्ष से निरंतर उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत रहा है। आवेदिका मृत श्रमिक की पत्नी है तथा उसे अन्य किसी जगह से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है अथवा प्राप्त करने की पात्रता नहीं है, तो उसे मण्डल द्वारा योजना का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। आवेदिका का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवेदन मृत्यु दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा।

मण्डल द्वारा दिनांक 05.10.2018 से रु. 12,000/- वार्षिक (छःमाही अर्थात् प्रत्येक जून एवं दिसम्बर में रु 6000-6000) प्रति प्रकरण दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में हितग्राहियों को राशि वितरण निरंक है।

(07) अनुग्रह सहायता योजना :-

मण्डल द्वारा पूर्व में संचालित चिकित्सा क्षतिपूर्ति सहायता योजना, शारीरिक असमर्थता पर सहायता योजना, विटिया शिक्षा योजना के स्थान पर दिनांक 05.10.2018 से अनुग्रह सहायता योजना का प्रारंभ किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर श्रमिक के संस्थान से कार्यरत होने तथा पात्रता के सम्बन्ध में सत्यापन क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं प्रकरण में अनुग्रह राशि क्यों दी जानी है इसके कारणों सहित अनुशंसा के साथ प्रस्ताव मुख्यालय में भेजा जायेगा, जिसमें (मान. अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन कोटे से) किसी श्रमिक को सहायता अत्यंत आवश्यक है, उनमें मान. अध्यक्ष महोदय कल्याण आयुक्त के प्रस्ताव पर अनुग्रह सहायता राशि रु. 5,000/- से रु. 25,000/- तक प्रदान की जा सकेगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में 03 हितग्राहियों को राशि रु. 40,000/- वितरित की गई।

(08) उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना :-

मण्डल द्वारा प्रदेश के उत्कृष्ट श्रमिकों के सम्मान हेतु उत्तम श्रमिक योजना का प्रारंभ वर्ष 1994-95 में किया गया। यह पुरस्कार प्रदेश के उन श्रमिकों को दिया जाता है जिन्होंने संस्थान में उत्पादन वृद्धि, कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इन्हें पुरस्कृत करने से जहां इनकी पहचान स्थापित होती है, वहीं सहयोगी श्रमिकों को भी इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्रेरणा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिक को मण्डल द्वारा सम्मान पत्र,

शील्ड एवं राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में 15 चयनित श्रमिकों को पुरस्कृत किया जाता है।

मण्डल द्वारा दिनांक 05.10.2018 के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत चयनित श्रमिक को रु. 15,000/- नगद एवं सम्मान पत्र तथा शील्ड प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र मण्डल को प्राप्त हो चुके हैं। अतः चयन समिति का गठन किया जाकर योजना के अन्तर्गत उत्तम श्रमिकों का चयन किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में हितग्राहियों को राशि वितरण निरंक है।

(09) श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना :-

मंडल द्वारा श्रमिकों की साहित्यिक अभिरुचि एवं प्रतिभा को विकसित तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994-95 से यह योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत कविता, कहानी, निबंध तथा प्रेरक प्रसंग विधा के अंतर्गत कुल 12 श्रमिकों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक विधा में तीन श्रमिकों को श्रमिक साहित्य रत्न, श्रमिक साहित्य विशारद तथा श्रमिक साहित्य प्रवीण से सम्मानित किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिकों को मण्डल द्वारा रु. 5,000/- नगद एवं सम्मान पत्र तथा शील्ड प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र मण्डल को प्राप्त हो चुके हैं। अतः चयन समिति का गठन किया जाकर योजना के अन्तर्गत उत्तम श्रमिकों का चयन किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में हितग्राहियों को राशि वितरण निरंक है।

मंडल द्वारा उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के अलावा संचालित कल्याणकारी गतिविधियां:-

(01) श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केंद्र

मंडल द्वारा प्रदेश में 25 श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं:- इंदौर, बुरहानपुर, खण्डवा, पीथमपुर (धार), उज्जैन, नागदा, देवास, गोले का मंदिर-ग्वालियर, हजीरा-ग्वालियर, मालनपुर (भिण्ड) सागर, नरसिंहगढ़ (दमोह), खजुराहो, भीमाल, मण्डीदीप, सीहोर, पिपरिया (होशंगाबाद), जबलपुर, बालाघाट, बोरगाँव (छिन्दवाड़ा) कटनी, अमलाई, बिरसिंहपुर-पाली, चचाई, रीवा।

इन कल्याण केंद्रों में वाचनालय, पुस्तकालय, इंडोर तथा आउटडोर गेम्स की व्यवस्था की गई है जिनका लाभ श्रमिक एवं उनके परिवारजन नियमित रूप से लेते हैं। उक्त केंद्रों पर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्वों पर विविध आयोजन किये जाते हैं। समय-समय पर वृक्षारोपण, श्रमिक परिवार की

महिलाओं व बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण व सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण एवं पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सीहोर, भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर तथा रीवा में मंडल की स्वतः की भूमि पर केंद्र स्थापित हैं, शेष स्थानों पर किराये के भवन में केंद्र संचालित हैं।

उपरोक्त 25 श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्रों में से 15 केन्द्रों में सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण संचालित किये जाते हैं, जिनमें श्रमिक परिवारों की महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए निशुल्क सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

(02) मासिक "श्रम कल्याण" का प्रकाशन

मंडल द्वारा प्रदेश के श्रमिकों, नियोजकों एवं श्रमिक संगठनों को समय-समय पर मंडल की कल्याणकारी गतिविधियों/योजनाओं की जानकारी एवं अनपेड की सूची प्रकाशित करने के उद्देश्य से मासिक श्रम कल्याण का प्रकाशन वर्ष 1991 से निरंतर किया जा रहा है। श्रम कल्याण मासिक में श्रम कानूनों एवं इनके अंतर्गत मान. न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों को विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है इससे श्रमिकों में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजगता में वृद्धि होती है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि मासिक श्रम कल्याण ने प्रदेश के औद्योगिक एवं श्रमिक जगत में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। वर्तमान में मासिक "श्रम कल्याण" की 4000 प्रतियों का प्रकाशन किया जाता है। मासिक श्रम कल्याण का आजीवन सदस्यता रुपये 2000 है एवं वार्षिक शुल्क श्रमिक एवं श्रमिक संघों हेतु रुपये 100 एवं नियोजकों हेतु रुपये 200 निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में "श्रम कल्याण" मासिक हेतु सदस्यता शुल्क राशि निरंक है।

(03) श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता :-

मंडल द्वारा श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन संभाग स्तर पर किया जाकर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान तथा टीम खेलों के विजेता एवं उपविजेता को राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु अर्हता दी जाती है। मंडल द्वारा प्रथमतः संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, तत्पश्चात् राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एवं 1500 मीटर दौड़, लम्बी कूद, ऊँची कूद, तवा फेंक, गोला फेंक एवं भाला फेंक प्रतियोगिताएं तथा टीम खेलों में कबड्डी एवं बालीवाल प्रतियोगितायें सम्मिलित की जाती हैं।

मण्डल द्वारा नवम्बर तथा दिसम्बर 2019 में इन्दौर संभाग, उज्जैन संभाग, जबलपुर संभाग, भोपाल संभाग/नर्मदापुरम् संभाग, सतना-रीवा संभाग/शहडोल संभाग तथा ग्वालियर संभाग/चम्बल संभाग की संभागीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न हो चुकी है। अतः मार्च-अप्रैल 2021 में राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है।

मंडल श्रमिक हित में निरंतर सक्रिय है तथा योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर रहा है। मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु भी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल

कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों एवं वितरित राशि की जानकारी
वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)

कं.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल 20 से 31 दिसम्बर 2020 तक)	
		लाभान्वित हितग्राही संख्या	प्रदत्त सहायता राशि (रूपये में)
	2	3	4
1	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना	3675	41,11,400
1	शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	—	—
2	सस्ती दरों पर कापियों का वितरण	—	—
3	विवाह सहायता योजना	547	82,05,000 / —
4	अंतिम संस्कार सहायता योजना	60	3,58,000 / —
5	कल्याणी सहायता योजना	—	—
6	उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना	—	—
7	श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना	—	—
8	अनुग्रह सहायता योजना	03	40,000 / —
9	योग —	4285	1,27,14,400 / —

अभिदाय/असंदत्त संचित राशि प्राप्ति की जानकारी
वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)

कं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल 20 से 31 दिसम्बर 2020 तक)
1	अभिदाय	रूपये—3,57,62,627 / —
2	असंदत्त संचित राशि —	रूपये—17,31,996 / —

14.2 मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल

राज्य के मन्दसौर जिले में लगभग 124 स्लेट पेंसिल कारखाना पंजीकृत हैं, जिनमें सर्वेक्षण अनुसार लगभग 1200 श्रमिक कार्यरत हैं। मन्दसौर जिले में स्थापित स्लेट पेन उद्योग में कार्यरत एवं आश्रित कुटुम्ब के सदस्यों के लिये म.प्र. स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 4 के तहत निधि के प्रशासन के लिये एक निगमित निकाय के रूप में राज्य शासन द्वारा मण्डल का गठन 3 वर्ष के लिये किया जाता है।

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-2020 माह दिसंबर तक कुल आय-व्यय की जानकारी-

क्रमांक	वर्ष	कुल आय	कुल व्यय
1	2015-16	1,95,77,390.00	1,45,13,676.00
2	2016-17	1,85,85,328.00	1,43,86,976.00
3	2017-18	1,91,29,185.00	1,45,86,399.00
4	2018-19	2,10,06,012.00	1,57,07,370.00
5	2019-2020	1,98,92,850.00	1,58,78,893.00
6	2020-2021 दिसंबर 2020 तक	1,36,06,491.00	1,09,71,760.00

वर्ष 2019-2020 में मण्डल का प्रशासकीय व्यय लगभग 44.67 प्रतिशत रहा ।

कल्याणकारी योजनाएँ

मण्डल द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी निम्नलिखित है :-

1. सिलिकोसिस उपचार सहायता

स्टेट पेन्सिल उद्योग में कार्य के दौरान जिन श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है , ऐसे श्रमिकों को उपचार हेतु 1450/- प्रतिमाह दी जाती है ।

2. मृत्यु सहायता

सिलिकोसिस बीमारी के पश्चात् तथा कार्यरत श्रमिकों की मृत्यु होने पर श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार हेतु 2000/- एवं मृत्यु अनुदान के रूप में 13000/- की सहायता प्रदान की जाती है ।

3. विधवा सहायता

सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों की मृत्यु पश्चात् उनकी विधवाओं की 1000/- प्रतिमाह एवं निराश्रित बच्चों के भरण - पोषण हेतु 700/- प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाती है ।

4. परिवार नियोजन

स्टेट पेन्सिल कारखानों में कार्यरत महिला एवं पुरुष श्रमिकों को परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने पर प्रथम संतान पर रुपये 7000/- एवं द्वितीय संतान पर रु. 5000/- परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।

5. विवाह अनुदान

दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रत्येक विवाह पर 7000/-का अनुदान भुगतान किया जाता है ।

6. छात्रवृत्ति

स्टेट पेन्सिल उद्योग में कार्यरत सिलिकोसिस से पीड़ित/मृत श्रमिकों के बच्चों को अध्ययन हेतु पहली से आठवी तक रुपये 850/-, कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक रुपये 1450/- स्नातक/स्नातकोत्तर/इंजीनियरिंग को रुपये 2050/- वार्षिक प्रदान किये जाते हैं ।

7. मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन योजना

स्टेट पेंसिल श्रमिकों के मेधावी छात्र-छात्राओं को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है :-

- (अ) कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पर रुपये 1000/-
- (ब) कक्षा 12वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पर रुपये 1250/-
- (स) कक्षा स्नातक को 1500/-

8. खेलकुद हेतु सामग्री

स्टेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत एवं उनके आश्रित बच्चों को उनकी रुचि अनुसार खेल सामग्री की मांग करने पर निःशुल्क प्रदाय की जाती है।

9. निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

प्रत्येक तीन माह में उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के चिकित्सक दल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा उनको लगने वाली दवाईयाँ निःशुल्क वितरित की जाती है।

10. निःशक्त भरण पोषण योजना-

स्टेट पेंसिल उद्योग में लगे श्रमिक-श्रमिकाओं एवं उनकी विकलांग संतान को भरण पोषण हेतु 40 से 70 प्रति अत विकलांग होने पर रु. 750/- प्रतिमाह एवं 71 से 100 प्रति अत विकलांग होने पर रु. 1500/- प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है।

मण्डल की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. वित्तीय वर्ष 2019-2020 में मण्डल की आय का कुल बजट रु. 2,28,89,264/- रखा गया था, जिसके विरुद्ध रु. 1,98,92,850/- प्राप्त हुआ। इसी प्रकार व्यय का बजट रु. 1,99,09,000/- रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 1,58,78,893/- व्यय किया गया जो बजट का 79.75 प्रति अत ही व्यय किया गया।

2. वर्ष 2019-20 में मण्डल का प्रशासकीय व्यय लगभग 44.67 प्रतिशत रहा है।

3. स्टेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं बेहतर रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं ऋण स्वयं सहायता समूह बनाकर दिए जाने संबंधी 3 वंशीय परियोजना 08/12/2015 से प्रारंभ की गई। जिसमें अभी तक 79 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाकर 760 महिलाओं को वित्तीय स्थिरता की ओर उन्मुख किया गया तथा भारत सरकार की बीमा योजनाओं से सम्बद्ध किया गया। 79 स्वयं सहायता समूहों को रु. 1-1 लाख का ऋण वितरण बैंक के माध्यम से रुपये 1,05,35,000/- वितरण किया जा चुका है तथा 51 स्वयं सहायता समूह को द्वितीय ऋण के रूप में 1,38,13,230/- दिया जा चुका है। स्टेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत समूह की महिलाओं के द्वारा गजदूरी के साथ-साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन, किराना व्यावसाय, आर्टिफियन ज्वेलरी, जनरल स्टोर का व्यवसाय भी इस ऋण से किया जा रहा है एवं छः माह तक सफलतापूर्वक स्वयं सहायता समूह संचालन करने वाली महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं ऋण की उपलब्धता करायी जावेगी।

14.3 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

मण्डल द्वारा दिसम्बर 2020 तक कुल 10.08 लाख निर्माण श्रमिकों को तथा वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में कुल 1,12,796 निर्माण श्रमिकों के ऑनलाईन पंजीयन जारी किए गए हैं। मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) में कुल 25,280 हितग्राहियों को कुल राशि रुपये 150.36 करोड़ तथा कोविड-19 महामारी के कारण दूसरे राज्य के निर्माण श्रमिक जो मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के दौरान रुके थे, ऐसे 6671 श्रमिकों को राशि रुपये 1000 के मान से 66.71 लाख रुपये का भुगतान म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में 8,85,089 पंजीकृत श्रमिकों को प्रति श्रमिक 2000 रुपये के मान से राशि रुपये कुल 177 करोड़ वितरित किये गये।

राज्य में योजना प्रारंभ से अब तक कुल 45,11,902 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में रुपये 1630.02 करोड़ के हितलाभ वितरण किए गए। शेड निर्माण (143), रैनबसेरा (34) एवं श्रमोदय विद्यालय (04), आईटी आई भवन निर्माण एवं आरपीएल योजनांतर्गत राशि रुपये 312.51 करोड़ सम्मिलित करते हुए सभी योजनाओं में कुल राशि रुपये 1942.53 करोड़ व्यय की गई है। मंडल द्वारा प्रदेश में संचालित निर्माण कार्यों में वर्ष 2020-21 में दिसम्बर 2020 तक कुल राशि रुपये 123.89 करोड़ तथा प्रारंभ से अब तक राशि रुपये 3141.39 करोड़ उपकर संग्रहित किया गया है।

निर्माण कर्मकारों का पंजीयन

मण्डल की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये सर्वप्रथम निर्माण श्रमिक का मण्डल द्वारा नियुक्त पदाभिहित अधिकारी से पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। पंजीयन की पात्रता उन्हीं कर्मकारों को है, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो तथा जिन्होंने पिछले 12 महीनों में न्यूनतम 90 दिन निर्माण कर्मकार के रूप में कार्य किया हो। पंजीयन हेतु निर्माण कर्मकारों को संबंधित पदाभिहित अधिकारी के समक्ष रुपये 05 पंजीयन शुल्क, रुपये 10 (पांच वर्ष हेतु) अभिदाय के रूप में तथा पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। इस आधार पर सक्षम अधिकारी आवेदन की जांच कर श्रमिक का पंजीयन करेगा और उसे फोटोयुक्त ऑनलाईन परिचय-पत्र जारी करेगा।

प्रदेश में निर्माण श्रमिक पंजीयन का कार्य मंडल के विभागीय श्रम सेवापोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। 31 दिसम्बर 20 तक कुल-10,08,466 ऑनलाईन पंजीयन जारी किये गए हैं।

मण्डल द्वारा हिताधिकारियों को देय प्रसुविधायें

मण्डल द्वारा शासन के अनुमोदन से निम्न कल्याणकारी योजनायें निर्माण श्रमिकों को प्रसुविधायें प्रदान करने के लिये म.प्र. राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर प्रभावशील कर दी गई है :-

क्र.	अधिसूचना का नाम	दिनांक
1	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना	03.12.2004
2	प्रसूति सहायता योजना	13.12.2004
3	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना (13 जुलाई 2018 से मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना के अनुरूप प्रवर्तित की गई है)	13.07.2018

4	चिकित्सा सहायता/दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना	30.09.2005/03.12.2004/01.08.2014
5	हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता	30.09.2005
6	निर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना	12.10.2012/18.01.2013
7	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	27.09.2013
8	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना	27.09.2013/13.07.2018
9	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना	27.09.2013
10	सुपर 5000 (कक्षा-10) योजना	16.08.2013
11	सुपर 5000 (कक्षा-12) योजना	16.08.2013
12	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना	16.08.2013
13	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	05.12.2014
14	खिलाडी प्रोत्साहन योजना	05.12.2014
15	औजार/उपकरण खरीदी योजना(13 जुलाई 2018 मुख्यमंत्री जनकल्याण के अनुरूपप्रवर्तित की गई।)	13.07.2018
16	निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना	15.02.2019
17	निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना	11.08.2014
18	साईकल अनुदान योजना	13.03.2015
19	विदेश अध्ययन हेतु निशुल्क शिक्षा योजना 2019	29.11.2019

इन योजनाओं में समय-समय पर मण्डल द्वारा शासन के अनुमोदन से संशोधन किये गये हैं। उक्त योजनाओं में से निम्न 09 योजनायें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। जिससे निर्माण श्रमिकों को निर्धारित समय-सीमा में योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

1. मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना,
2. प्रसूति सहायता योजना,
3. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता
4. निर्माण श्रमिक पंजीयन
5. राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना,
6. निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना,
7. खिलाडी प्रोत्साहन योजना,
8. उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना
9. साईकल अनुदान योजना

योजना प्रारंभ से दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदाय किये गये हितलाभ:-

क्र.	योजनाकानाम	हितग्राही संख्या	हितलाभ राशि(करोड़में)
1	प्रसूति सहायता योजना	3,08,420	192.42
2	विवाह सहायता योजना	2,07,189	565.99
3	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	33,33,706	321.37
4	मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार योजना	5,19,183	103.16
5	चिकित्सा सहायता योजना/दुर्घना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना	10,376	34.53
6	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना	50,327	334.32
7	सुपर 5000 (कक्षा-10) योजना	335	0.83
8	सुपर 5000 (कक्षा-12) योजना	780	2.03
9	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	13	0.065
10	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना	402	4.02
11	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना	47	0.03
12	सायकल अनुदान योजना 2014	16,732	6.18
13	दोपहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना	175	0.16
14	व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना	168	0.17
15	औजार उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना	2,239	0.98
16	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	156	4.05
17	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना	7,082	7.67
18	खिलाडी प्रोत्साहन योजना 2014	87	0.22
19	व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना	3,735	5.50
20	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेशन योजना	---	---
21	कौशल प्रशिक्षण योजना	45,750	43.23

इसके अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों हेतु शेड निर्माण, रैनबरोरा एवं श्रमोदय विद्यालयों का निर्माण भी किया गया है।

क्र.	योजना का नाम	संख्या	व्यय राशि (करोड़ में)
22	प. दीनदयाल उपाध्याय निर्माण श्रमिक शेड योजना	143	2.23
23	निर्माण श्रमिक रैनबसेरा योजना	34	3.02
24	श्रमोदय विद्यालय निर्माण	4	207.96
	श्रमोदय विद्यालय संचालन		84.24
25	आई.टी.आई., भवन निर्माण, भोपाल	1	15.04

दिनांक 01.04.2018 से समस्त हितग्राही मूलक योजनांतर्गत श्रम सेवा पोर्टल के द्वारा ईपीओ पद्धति से ऑनलाईन भुगतान की प्रक्रिया निरंतरित है।

श्रमोदय आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्थिति एवं लागत:-

क्र.	विद्यालय का नाम	निर्माण एजेंसी	निर्माण लागत (करोड़ में)	निर्माण की स्थिति
1.	भोपाल	एम.पी. आर.डी.सी.	61.59	पूर्ण
2.	इंदौर	पी.आई.यू. (पी.डब्लू.डी.)	49.96	पूर्णता की ओर
3.	ग्वालियर	पी.आई.यू. (पी.डब्लू.डी.)	47.35	पूर्णता की ओर
4.	जबलपुर	पी.आई.यू. (पी.डब्लू.डी.)	49.84	निर्माणाधीन है

इसके अतिरिक्त 01 निर्माण श्रमिक आई.टी.आई. भोपाल में पी.आई.यू.(पी.डब्लू.डी.) द्वारा निर्मित कराया जा रहा है। जिसकी निर्माण लागत 15.04 करोड़ है।

श्रमोदय आवासीय विद्यालय में छात्र/छात्राओं का विवरण

श्रमोदय आवासीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2018-19 से प्रारंभ किए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करवायी जाकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया एवं वर्तमान में विद्यालय में कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 11वीं, एवं 12वीं में 3392 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं।

उपकर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं उपकर नियम 1998 के अंतर्गत मण्डल को प्रारंभ से दिसम्बर 2020 तक रुपये 3141.39 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

14.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके कल्याण को सुनिश्चित कराये जाने को ध्यान में रखकर म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल का गठन वर्ष 2008 में किया गया। राज्य शासन द्वारा दिनांक 25.01.2016 को मण्डल के प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री म.प्र. शासन मण्डल के अध्यक्ष हैं।

1. अंत्येष्टि सहायता, 2. अनुग्रह सहायता (सामान्य मृत्यु) 3. अनुग्रह सहायता (दुर्घटना में मृत्यु), 4. अनुग्रह सहायता (स्थायी अपंगता), 5. अनुग्रह सहायता (आंशिक स्थायी अपंगता) संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में (20 जनवरी 2021 की स्थिति में) 61 हजार 207 हितग्राहियों को 456.78 करोड़ के हितलाभ वितरित किये गये हैं। योजना प्रारंभ से 20 जनवरी 2021 तक 1 लाख 90 हजार 987 हितग्राहियों को 1654.08 करोड़ का हितलाभ वितरण किया गया है।

योजना के सुचारु संचालन हेतु सत्यापन में लंबित श्रमिकों के सत्यापन हेतु निर्देश जारी किये गये। सत्यापन अभियान में केवल मृत्यु के कारण अपात्र चिन्हांकित श्रमिकों के मृत्यु के समय की स्थिति में पुर्न सत्यापन के निर्देश जारी किये गये। इसी प्रकार ईकेवायसी की बाध्यता के कारण कोई व्यक्ति हितलाभ प्राप्ति से वंचित न हो इस हेतु आधार की अनिवार्य शर्त के शिथिलीकरण के अधिकार जिला कलेक्टर को दिये गये। हितलाभ प्राप्ति में विलंब न हो इसके दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर त्रुटिपूर्ण रूप से अपात्र घोषित प्रकरणों पर विचारण हेतु अपील के अधिकार जिला कलेक्टर / उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर को प्रदान किये गये। हितलाभ आवेदन में त्रुटि सुधार/विसंगति सुधार हेतु अधिकार भी जिला कलेक्टर/उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर को प्रदान किये गये।

अध्याय-15

महिला श्रमिक

1. संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा जोड़े गये अनुच्छेद 51-क से स्पष्ट है कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, उनके सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया है।
2. महिलाये समाज का अभिन्न अंग है। महिलाओं के हितों, कल्याण एवं अधिकारों के संरक्षण के लिये संविधान एवं अनेक अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं, लेकिन वे सभी बिखरे होने से उनका अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। श्रम विभाग द्वारा महिलाओं को सामाजिक स्तर प्रदान करने के लिये प्रमुख कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है। विभिन्न श्रम अधिनियमों में अनेक सार्थक प्रावधान किये गये हैं। इसी के अन्तर्गत (1) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (2) मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (3) कारखाना अधिनियम, 1948 में भी विशेष प्रावधान किये गये हैं।

15.1 महिलाओं की संख्या और कार्यशील महिलाएं

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 48.21 प्रतिशत था। महिला श्रमिक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिक, बीडी व अगरबत्ती निर्माण एवं भवन संनिर्माण में अधिकतम रूप से कार्यरत हैं। निम्न तालिकाओं द्वारा प्रदेश में महिलाओं की संख्या उनमें शिक्षित, ग्रामीण, नगरीय एवं कार्यशील महिलाओं की जानकारी में दर्शाई गई है।

तालिका 15.1
जनगणना 2011

	पुरुष	महिला	कुल
जनसंख्या	3,76,12,306	3,50,14,503	7,26,26,809
ग्रामीण	2,71,49,388	2,54,08,016	5,25,57,404
नगरीय	1,04,62,918	96,06,487	2,00,69,405

शिक्षित जनसंख्या

	पुरुष	महिला	कुल
शिक्षित	2,51,74,328	1,76,76,841	4,28,51,169
ग्रामीण	1,70,54,982	1,12,27,004	2,82,81,986
नगरीय	81,19,346	64,49,837	1,45,69,183

वृद्धि दर तथा लिंग अनुपात

	ग्रामीण	नगरीय	कुल
दस वर्षीय जनसंख्या (2001-11) वृद्धि दर	-15.25	119.29	20.25
लिंग अनुपात (प्रति, 1000 पुरुषों पर महिलाएं)	936	918	931

तालिका 15.1.2
मुख्य कार्यशील जनसंख्या - 2011

कुल ग्रामीण एवं शहरी	व्यक्ति महिला पुरुष	कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या	कृषक	कृषि श्रमिक	पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत	अन्य कार्यशील जनसंख्या
कुल	व्यक्ति	3,15,74,133	82,14,993	66,30,821	6,47,565	72,08,740
	पुरुष	2,01,46,970	60,38,749	40,27,711	3,96,320	58,99,285
	महिला	1,14,27,163	21,76,244	26,03,110	2,51,245	13,09,455
ग्रामीण	व्यक्ति	2,47,15,198	78,85,302	63,03,841	3,48,081	21,92,334
	पुरुष	1,47,41,977	57,65,124	38,07,102	1,98,997	17,16,960
	महिला	99,73,221	21,20,178	24,96,739	1,49,084	4,75,374
शहरी	व्यक्ति	68,58,935	3,29,691	3,26,980	2,99,484	50,16,406
	पुरुष	54,04,993	2,73,625	2,20,609	1,97,323	41,82,325
	महिला	14,53,942	56,066	1,06,371	1,02,161	8,34,081

15.2 महिलाओं के लिये विशेष श्रम अधिनियमों का राज्य में क्रियान्वयन :-

महिला श्रमिकों को सभी श्रम कानूनों में पुरुष श्रमिकों की भांति ही संरक्षण दिया गया है, किंतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुये समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, तथा मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961, विशेष रूप से प्रभावशील किये गये हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम और मातृत्व हितलाभ अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (प्रमुख प्रावधान):-

1. समान कार्य के लिये लिंग भेद के आधार पर महिला कर्मियों को पुरुषों से कम मजदूरी का भुगतान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात् महिलाओं को भी पुरुष श्रमिकों के समान ही समान प्रकृति के कार्य के लिये समान मजदूरी का भुगतान का प्रावधान उक्त अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।
2. रोजगार में भर्ती करने के लिये लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भर्ती में नियोजकों को पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को भी अवसर देना आवश्यक है।
3. महिलाओं को नियोजन में बराबरी के अवसर दिये जाने के साथ ही उनके लिये प्रशिक्षण एवं स्थानांतर के संबंध में भी लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
4. महिलाओं के लिये रोजगार में वृद्धि करने के उपाय खोजने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन प्रदेश शासन द्वारा किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर शासन को यह परामर्श दे सकती है, कि किन-किन क्षेत्रों में महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं।

(ब) मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 एवं संशोधन अधिनियम, 2017 :-

यह अधिनियम कामकाजी महिलाओं के लिए पारित किया गया एक सामाजिक विधान है।

अधिनियम सभी ऐसे संस्थानों में प्रभावशील है जहां दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्ष में 80 दिवस कार्य करने वाली महिला कर्मचारी को मातृत्व हितलाभ की पात्रता आती है।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम में हाल ही में निम्नानुसार संशोधन किये जाकर सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

1. प्रसूति अवकाश की सीमा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है।
2. 50 से अधिक कर्मचारी नियोजन करने वाले संस्थानों में झूलाघर की सुविधा।
3. दत्तक पुत्र/पुत्री को ग्रहण करने संबंधी सरोगेसी मदर्स को 12 सप्ताह के अवकाश की सुविधा।
4. नियोक्ता की सहमति से घर से कार्य करने की सुविधा।

अन्य प्रावधान

1. किसी महिला श्रमिक को उसे नियोजन में रहते हुये उसके प्रसूतिकाल में उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता।
2. किसी भी महिलाकर्मि को जो गर्भवती है। नियोजक कठिन कार्य जैसे लम्बी अवधि तक खड़े रहना, जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो, नहीं करवाया जा सकता है।
3. नियोजक द्वारा महिलाकर्मि को प्रसव पूर्व या पश्चात देखरेख का कोई उपबंध निशुल्क न किया गया हो तो, चिकित्सा बोनस दिया जावेगा।

महिला कर्मि को मातृत्व लाभ देने का दायित्व नियोजक का होता है। यदि वह उक्त हितलाभ नहीं देता है तो नियोजक को दंडित किये जाने के प्रावधान है।

इसके परिपालन हेतु श्रम विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई हैं।

तालिका 15.2

श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन की स्थिति

अधिनियम	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21 (दिस. 2020 तक)
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	निरीक्षण	412	1064	274
	अभियोजन	35	115	—
मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	निरीक्षण	70	92	23
	अभियोजन	18	04	—

(स) अन्य श्रम कानूनों में भी उद्योगों में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों के हित में निम्नानुसार विशेष प्रावधान किये गये हैं:-

1. म.प्र.दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी स्थापनाओं में (अधिसूचना दि. 20 मई 2013) तथा कारखाना अधिनियम 1948 में (अधिसूचना दि. 24 जून 2016) द्वारा नियमों के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा संबंधी समुचित शर्तें व प्रावधान सुनिश्चित करने पर महिलाओं को जिनसे रात 8 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच कार्य करने की अनुमति दी गई है।
2. कारखाना अधिनियम, 1948 :- अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा कार्य की दशाओं को सुनिश्चित करने पर ही रात्रि पाली में कार्य हेतु छूट दी गई है। अधिनियम में महिला कर्मचारी की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी विशिष्ट प्रावधानों का परिपालन कराया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निराकरण करने हेतु समिति का गठन श्रमायुक्त कार्यालय में दिनांक 2.1.2001 को किया गया है। जिसमें अध्यक्ष, सचिव, तथा एक सदस्य को मनोनीत किया गया है। अभी तक इस समिति के समक्ष कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

15.3 यौन उत्पीड़न के लिये विशेष सुरक्षा :-

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा निर्णय के अनुपालन में मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961, के अंतर्गत 'कदाचरण' को परिभाषित करते हुए कदाचरण करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को विनियमित करने संबंधी प्रावधान भी हैं। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में राज्य शासन ने अधिसूचना दिनांक 19.12.02 द्वारा, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963, में संशोधन कर "यौन उत्पीड़न" को भी "गंभीर कदाचरण" की श्रेणी में शामिल किया है। "यौन उत्पीड़न" को 'अवांछनीय यौन संबंधी व्यवहार' (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के रूप में परिभाषित किया गया है, यथा :-

- (क) शारीरिक संपर्क तथा निकटता,
- (ख) यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अनुरोध
- (ग) कामासक्त फब्तियाँ,
- (घ) अश्लील साहित्य दिखाना, तथा
- (ङ) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण।

इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण के अधिकार सहायक श्रम पदाधिकारी तथा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही दिये गये हैं।

भारत के संविधान के भाग 3 ("मूल अधिकार") और भाग 4 ("राज्य की नीति के निदेशक तत्व") के "श्रम" संबंधी प्रावधान

मूल अधिकार

स्वातंत्र्य-अधिकार

अनुच्छेद 19:

वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण:

- (1) सभी नागरिकों को
- (ग) संगम या संघ बनाने का, अधिकार होगा।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध :

- (1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध :

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व :

राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :

- (क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,
- (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो,

- (ड) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों,
- (च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय्य व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार:

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध :

राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 43: कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि :

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 43-क: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना :

राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपकर्मों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

परिशिष्ट-1.2

(देखें पद 1.3)

महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व

क्र.	श्रम कानून का नाम	कार्यान्वयन का दायित्व		
		पूर्णतः केंद्र सरकार	पूर्णतः राज्य सरकार	दोनों सरकारों का आंशिक
2		3	4	5
1	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947			✓
2	मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960		✓	
3	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926		✓	
4	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	✓		
5	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961		✓	
6	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936			✓
7	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948			✓
8	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965			✓
9	कारखाना अधिनियम, 1948		✓	
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986			✓
11	खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983		✓	
12	मध्यप्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958		✓	
13	बोड़ी तथा सिंगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966		✓	
14	ढेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970			✓
15	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961		✓	
16	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1996			✓
17	भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996		✓	—
18	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979			✓
19	विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976			✓
20	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955			✓
21	सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981	✓		
22	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961			✓
23	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976			✓
24	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976		✓	
25	बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986			✓
26	बाल (श्रम-गिरवीकरण) अधिनियम, 1933		✓	
27	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923			✓
28	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			✓
29	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952	✓		
30	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972			✓
31	बोड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1976	✓		
32	लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	✓		
33	चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972	✓		
34	मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982		✓	
35	मध्य प्रदेश रलैट पेसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982		✓	
36	श्रम विधि (विवरणों देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988			✓
37	मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003		✓	—

प्रदेश में कार्यरत श्रम कार्यालय

संभाग	जिला	जिले में स्थित श्रम कार्यालय का नाम
1-इंदौर संभाग	1 इन्दौर	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर संभाग
	2 धार	1-श्रम पदाधिकारी, धार
		2-श्रम पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर
	3 झाबुआ	श्रम पदाधिकारी, झाबुआ
	4 अलीराजपुर	श्रम पदाधिकारी, अलीराजपुर
	5 बुरहानपुर	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर
	6 खण्डवा	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा
	7 खरगोन	श्रम पदाधिकारी, खरगोन
2-उज्जैन संभाग	8 बड़वानी	श्रम पदाधिकारी, बड़वानी
	9 उज्जैन	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, उज्जैन संभाग
	10 देवास	श्रम पदाधिकारी, देवास
	11 शाजापुर	श्रम पदाधिकारी, शाजापुर
	12 आगर-मालवा	श्रम पदाधिकारी, आगर-मालवा
	13 मन्दसौर	श्रम पदाधिकारी, मन्दसौर
	14 नीमच	श्रम पदाधिकारी, नीमच
	15 रतलाम	श्रम पदाधिकारी, रतलाम
3-ग्वालियर संभाग	16 ग्वालियर	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, ग्वालियर संभाग
	17 शिवपुरी	श्रम पदाधिकारी, शिवपुरी
	18 गुना	श्रम पदाधिकारी, गुना
	19 अशोकनगर	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर
	20 दतिया	श्रम पदाधिकारी, दतिया
4-चंबल संभाग	21 मुरैना	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, चंबल संभाग, मुरैना
	22 श्योपुरकला	श्रम पदाधिकारी, श्योपुरकला
	23 भिण्ड	1- श्रम पदाधिकारी, भिण्ड
		2- श्रम पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर
5-भोपाल संभाग	24 भोपाल	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग
	25 सीहोर	श्रम पदाधिकारी, सीहोर
	26 रायसेन	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप जिला रायसेन
	27 राजगढ़	श्रम पदाधिकारी, राजगढ़
	28 विदिशा	श्रम पदाधिकारी, विदिशा
6-नर्मदापुरम संभाग	29 होशंगाबाद	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद
	30 बैतुल	श्रम पदाधिकारी, बैतुल
	31 हरदा	श्रम पदाधिकारी, हरदा
7-सागर संभाग	32 सागर	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, सागर संभाग
	33 टीकमगढ़	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़
	34 निवाडी	नवगठित जिले का प्रभार श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़ को।
	35 दमोह	श्रम पदाधिकारी, दमोह
	36 छतरपुर	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर
	37 पन्ना	श्रम पदाधिकारी, पन्ना

संभाग	जिला	जिले में स्थित श्रम कार्यालय का नाम
8-जबलपुर संभाग	38 जबलपुर	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, जबलपुर संभाग
	39 नरसिंहपुर	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर
	40 कटनी	श्रम पदाधिकारी, कटनी
	41 बालाघाट	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट
	42 मंडला	श्रम पदाधिकारी, मंडला
	43 डिंडोरी	श्रम पदाधिकारी, डिंडोरी
	44 छिंदवाड़ा	श्रम पदाधिकारी, छिंदवाड़ा
	45 सिवनी	श्रम पदाधिकारी, सिवनी
9-रीवा संभाग	46 सतना	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, रीवा संभाग, सतना
	47 रीवा	श्रम पदाधिकारी, रीवा
	48 सीधी	श्रम पदाधिकारी, सीधी
	49 सिंगरोली	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, सिंगरोली
10-शहडोल संभाग	50 शहडोल	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, शहडोल संभाग
	51 अनूपपुर	श्रम पदाधिकारी, अनूपपुर
	52 उमरिया	श्रम पदाधिकारी, उमरिया

परिशिष्ट-22
(देखें पद 2.2)

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधीन
स्थापित कार्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र

क्रमांक	आंचलिक (जोनल) कार्यालय	क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय	कार्यक्षेत्र में शामिल बाल जिले/क्षेत्र
1	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर	1 उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर 2 उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन	1 इंदौर 1 उज्जैन 2 रतलाम 3 आबुआ 4 नीमच 5 मन्दसौर 6 अलिराजपुर
		3 उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, देवास	1 देवास 2 सीहोर 3 राजगढ़ 4 शाजापुर 5 आगर मालवा
		4 सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मन्दसौर	1 मन्दसौर 2 नीमच
2	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल	5 उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल	1 भापाल 2 बैतूल 3 रायसेन 4 विदिशा 5 होशंगाबाद 6 हरदा
		6 उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जबलपुर	1 जबलपुर 2 मण्डला 3 डिंडोरी 4 बालाघाट 5 छिन्दवाड़ा 6 सितबी 7 नरसिंहपुर
		7 उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बीना (जिला सागर)	1 छत्तरपुर 2 टिकमगढ़ 3 सागर 4 दमोह 5 दतिया

		8	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सतना	1 2 3 4 5 6	सतना कटनी उमरिया पन्ना शहडोल अनुपपूर
		9	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सिंगरौली	1 2 3	रीवा सीधी सिंगरौली
3	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुख्यालय, इंदौर	10	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुख्यालय, इंदौर	1	धार
		11	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, खण्डवा	1 2 3 4	खण्डवा खरगोन बडवानी बुरहानपुर
		12	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ग्वालियर	1 2 3 4 5 6 7	ग्वालियर गुना शिवपुरी मुरैना श्यापुर भिण्ड अशोकनगर
4	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, (हायजिन लेव) इंदौर				संपूर्ण मध्यप्रदेश

(देखें पद 2.3 एवं 11.3)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सम्भाग एवं जिले-वार कार्यरत केन्द्र, उनसे संबद्ध
बीमित व्यक्ति, और कार्यरत संस्थाएं

क	संभाग	जिला	केंद्र	कार्यरत संस्थाएं			बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (दि. 31.3. 20 की स्थिति में)
				चिकित्सालय	औषधालय	पेनल क्लिनिक	
1	इन्दौर	1. इन्दौर	इंदौर	इन्दौर में क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली, द्वारा एक आदर्श हास्पिटल एवं व्यवसाय-जन- य रोग केंद्र- संचालित है, (200 शैया) । क्षय चिकित्सालय (75 शैया) मिल क्षेत्र औषधालय (06 शैया)	1. नेहरूनगर 2. परदेशीपुरा (कम्यूनिटी हॉल) 3. मिल एरिया 4. औद्योगिक संस्थान 5. आनंद नगर. (चितावद रोड) 6. राजमोहल्ला 7. मांगलिया	1. गोकुल गंज, महूँ	3,47,589
		2. बुरहानपुर	बुरहानपुर	—	1. लाल बाग		8,313
		3. धार	पीथमपुर (सेक्टर 1, 2)		1. पीथमपुर (सेक्टर 1,2)		80,863
			पीथमपुर (सेक्टर 3, 4)		1. पीथमपुर (सेक्टर 3,4)		47,486

2	उज्जैन	4. उज्जैन	उज्जैन	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. देसाई नगर 2. फव्वारा चौक - (चिकित्सालय परिसर)	19,603
			नागदा	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. बिड़लाग्राम 2. मंडी	8,622
		5. देवास	देवास	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. कालानी बाग 2. प्राधिकरण भवन 3. बालगढ़	39,634
		6. मंदसौर	मंदसौर	एनेक्सी वार्ड (25 शैया)	1. नई आबादी	16,719
		7. रतलाम	रतलाम	-	1. पोलोग्राउंड 2. जवाहर नगर	22,884
		8. नीमच		-	-	11. डॉ. भाभा मार्ग, फव्वारा चौक, नीमच
	ग्वालियर	9. ग्वालियर	ग्वालियर	सामान्य चिकित्सालय (100 शैया)	1. बिड़ला नगर नं.1 2. बिड़ला नगर नं.2 3. फालके बाजार 4. जवाहर कॉलोनी 5. मुरार 6. गोला का मंदिर	69,203
	चम्बल	10. मुरैना	बामोर	-	1. गायत्री नगर,	13,152
		11. भिंड	मालनपुर	-	1. मालनपुर	---
	भोपाल	12. भोपाल	भोपाल	सामान्य चिकित्सालय (100 शैया)	1. न्यू सुभाष नगर 2. इतवारा 3. बी.एच.ई.एल.	1,96,408

		13. रायसेन	मंडीदीप	—	1. इंदिरा नगर 2. सतलापुर		52,50
6.	होशंगाबाद	14. होशंगाबाद		—	—	आशा निकेतन क्लिनिक, सराफा बाजार, इटारसी	—
7.	जबलपुर	15. जबलपुर	जबलपुर	—	1. घमापुर 2. राइट टाउन 3. हाथीताल 4. अधारताल		65,80
		16. कटनी	कटनी	—	1. गायत्री नगर, निवार		—
8	रीवा	17. शहडोल	अमलाई	—	1. अमलाई		5,324
		18. सतना	सतना	—	1. सतना सिमेंट वर्क्स के पास		30,673
		19. रीवा	—	—	—		—
9	सागर	20. सागर	सागर	—	1. सागर		—
योग	9	20	20	7 (456 शैया) (5 सामान्य चिकित्सालय 1 क्षय चिकित्सालय 1 एनेक्सी वार्ड)	42 औषधालय,	3 पेनल क्लिनिक	10,44,440

नोट:- कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31.3.2020 की स्थिति में दी गई जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश में कुल बीमित व्यक्तियों की संख्या 10,44,440 दी गई है। (इसमें खण्डवा केन्द्र के बीमितों की संख्या 4,628 एवं सनावद केन्द्र के बीमितों की संख्या 14,844 तथा बीना के 50 बीमित व्यक्ति सम्मिलित है)

* * *

परिशिष्ट-2.4
(देखे पद 2.4)

श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले

संभाग	श्रम न्यायालय	श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले
इन्दौर	1. इन्दौर	इन्दौर
	2. धार	धार
	3. खंडवा	1. खंडवा, 2. खरगोन, 3. बडवानी, 4. बुरहानपुर
उज्जैन	1. उज्जैन	1. उज्जैन, 2. शाजापुर, 3. आगर
	2. देवास	देवास
	3. रतलाम	1. रतलाम, 2. झाबुआ 3. अलीराजपुर
	4. मन्दसौर	1. मन्दसौर, 2. नीमच
भोपाल	1. क. 1, भोपाल	1. भोपाल, 2. रायसेन
	2. क. 2, भोपाल	1. सीहोर, 2. विदिशा, 3. राजगढ़,
	3. बैतूल	बैतूल
सागर	1. सागर	1. सागर, 2. पन्ना, 3. टीकमगढ़ 4. दमोह 5. छतरपुर
जबलपुर	1. जबलपुर	1. जबलपुर, 2. मंडला, 3. सिवनी, 4. कटनी, 5. डिंडोरी
	2. नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
	3. छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
	4. बालाघाट	बालाघाट
रीवा	1. रीवा	रीवा
	2. शहडोल	1. शहडोल, 2. उमरिया 3. अनुपपुर
	3. सीधी	1. सीधी 2. सिंगरौली
	4. सतना	सतना
ग्वालियर	1. क. 1, ग्वालियर	1. ग्वालियर,
	2. क. 2, ग्वालियर	1. मुरैना, 2. भिण्ड 3. दतिया, 4. शिवपुरी, 5. श्योपुर
	3. क. 3, ग्वालियर	1. गुना 2. अशोक नगर
होशंगाबाद	होशंगाबाद	1. होशंगाबाद, 2. हरदा
चवल	—	—

नोट — श्रम न्यायालय दमोह एवं छतरपुर अस्तित्व में नहीं है ।

परिशिष्ट-2.5
(देखें पद 2.8)

गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय
श्रमायुक्त संगठन

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	वर्ष	(राशि लाख रुपये में)			
		आयोजनेत्तर		आयोजना	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	2018-19	5016.44	4781.00	64516.16	56124.00
2	2019-20	4297.96	3994.02	64629.55	55187.15
3	2020-21 (31.12.2020 तक)	4617.56	2775.32	60080.01	33604.50
4	Total	13931.96	6769.34	189225.72	55187.15

गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय
श्रम न्यायपालिका

(राशि लाख रुपये में)

क.	वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजना	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	2018-2019	1575.66	1326.15	—	—
2	2019-2020	1579.72	1110.60	—	—
3	2020-2021 (दिसम्बर)	2695.05	1065.90		

गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	आयोजनेत्तर	
	बजट प्रावधान	व्यय
2018-2019	149,55,10	128,41,37
2019-2020	221,25,03	125,23,28
2020-2021	139,26,67	98,48,60
(31 दिसम्बर 2020 तक)		

* * *

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग

1.	चावल मिल
2.	तेल मिल
3.	चूना उद्योग
4.	मुद्रणालय
5.	कागज तथा पुट्टा
6.	एसबेस्टास सीमेंट
7.	चपड़ा (शेलेक)
8.	आटा मिल
9.	बिस्किट तथा कन्फेक्शनरी
10.	कांच
11.	स्टार्च
12.	वनस्पति घी
13.	रबर
14.	कत्था उद्योग
15.	अधातु खनिज उत्पाद उद्योग
16.	एल्युमिनियम उद्योग
17.	जिलेटिन उद्योग (सरेस)
18.	उर्वरक, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची के कंडिका 18 में विनिर्दिष्ट है
19.	औषधि तथा भेषज, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची की कंडिका 22 में विनिर्दिष्ट है
20.	किण्वन उद्योग, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची की कंडिका 26 में विनिर्दिष्ट है
21.	डेयरी उत्पादों का निर्माण एवं उनका वितरण

परिशिष्ट-3.2
(देखें पद 3.4)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई

क्र.	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष विवादों की संख्या	विवाद जो समझौते के लिये पेश हुए	विवाद जिनमें समझौता हो गया या अन्य तरीके से निपटाये गये	पंच निर्णय हेतु प्राप्त	विवाद जो पंच फैसले/न्याय निर्णय के लिये भेजे गये	पंच निर्णय दिया गया	वर्ष के अंत में शेष विवादों की संख्या
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल 19 से मार्च 20 तक	109	777	176	—	690	—	20
2	अप्रैल 20 से दिसंबर 20 तक	20	315	—	—	330	—	05

परिशिष्ट-3.3
(देखें पद 3.4)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 34 के अन्तर्गत स्वीकृत अभियोजन

क्र.	अवधि	अभि.स्वी. हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	दी गई अभियोजन स्वीकृति की संख्या	प्रकरण जिनमें अवार्ड का परिपालन कराया गया
1.	अप्रैल 19 से मार्च 20 तक	161	55	86
2.	अप्रैल 20 से दिसंबर 20 तक	103	51	51

परिशिष्ट-3.4
(देखें पद 3.4)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 33-सी (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर जारी किये वसूली प्रमाण पत्र एवं उनमें निहित वसूली योग्य राशि

क्र.	अवधि	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या	वसूली योग्य रकम(रुपये में)	लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	अप्रैल 19 से मार्च 20 तक	23	25	2,74,55,622 /--	547
2	अप्रैल 20 से दिसंबर 20 तक	9	5	1,30,88,880 /--	39

परिशिष्ट-3.5
(देखें पद 3.4)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 25-एम, 25-एन तथा 25-ओ के अंतर्गत कमशः ले-ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही

आवेदन का प्रकार	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अनुमति प्रदान की गई	प्रकरणों की संख्या जिन्हें निरस्त किया गया	वर्ष के अंत में शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1. ले-ऑफ हेतु (धारा-25-एम)	अप्रैल 19 से मार्च 20 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 20 से दिसंबर 20 तक	—	—	—	—	—
2. छंटनी हेतु (धारा-25-एन)	अप्रैल 19 से मार्च 20 तक	—	02	01	01	—
	अप्रैल 20 से दिसंबर 20 तक	—	01	—	—	01
3. बंदीकरण हेतु (धारा-25-ओ)	अप्रैल 19 से मार्च 20 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 20 से दिसंबर 20 तक	—	01	—	01	—

परिशिष्ट-3.6
(देखें पद 3.4)

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई

क्र.	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष विवादों की संख्या	विवाद जो समझौते के लिये पेश हुए	विवाद जिनमें समझौता हो गया या अन्य तरीके से निपटाये गये	पंच निर्णय हेतु प्राप्त	विवाद जो पंच फैसले/ न्याय निर्णय के लिये भेजे गये	पंच निर्णय दिया गया	वर्ष के अंत में शेष विवादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल 19 से मार्च 20 तक	—	02	02	—	—	—	—
2	अप्रैल 20 से दिसंबर 20	—	02	—	—	02	—	—

परिशिष्ट-3.7
(देखें पद 3.5)

औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष आवेदन पत्रों की संख्या
अप्रैल 19 से मार्च 20 तक	06	07	11	02
अप्रैल 20 से दिसंबर 20 तक	02	01	03	—

व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत श्रम संगठनों के
पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन, उनका निराकरण तथा
पंजीयन निरस्ती हेतु की गई कार्रवाई:-

वर्ष	पूर्व के लम्बित	पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	पंजीकृत श्रम संगठन	अमान्य किये गये आवेदन पत्र	शेष	त्रुटिकर्ता श्रम संगठन जिनका पंजीयन निरस्त किया गया
2019-2020	34	43	32	21	24	—
2020-2021 (31 दिसम्बर, 2020 तक)	24	13	12	—	25	

टीप:- शेष आवेदन पत्र सत्यापन हेतु विभिन्न जिला श्रम कार्यालयों को भेजे गये हैं ।

मान्य किए गए वार्षिक विवरण / निर्वाचन / विधान संशोधन की स्थिति

2019-2020					2020-2021 (31 दिसम्बर, 2020 तक)				
श्रम संघों की संख्या	वार्षिक विवरण	श्रम संघों की संख्या	निर्वाचन	विधान संशोधन	श्रम संघों की संख्या	वार्षिक विवरण	श्रम संघों की संख्या	निर्वाचन	विधान संशोधन
165	318	94	145.	17	93	177	63	79	18

मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु
प्राप्त ठहराव / समझौते

वर्ष	पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव	पंजीकृत ठहराव	पंजीयन हेतु प्राप्त समझौते	पंजीकृत समझौते
2019-2020	03	03	0	0
2020-2021 (31 दिसम्बर, 2020 तक)	01	01	03	03

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कार्यरत कारखानों की संभाग एवं जिले-वार जानकारी (01.01.2021 तक)

संभाग	जिला	पंजीकृत कारखानों की संख्या	नियोजन क्षमता
1. इन्दौर	01. इन्दौर	1438	72227
	02. धार	821	114852
	03. झाबुआ	46	1837
	04. खंडवा	95	7315
	05. बुरहानपुर	70	7494
	06. खरगोन	142	18749
	07. बडवानी	47	2756
	08. अलीराजपुर	34	947
	09. उज्जैन	370	15370
2. उज्जैन	10. देवास	260	33893
	11. आगर	10	579
	12. भाजापुर	30	1975
	13. रतलाम	166	9316
	14. मन्दसौर	261	7831
	15. नीमच	128	5099
	16. ग्वालियर	313	15887
3. ग्वालियर	17. दतिया	10	277
	18. गुना	34	7183
	19. अ. गोकनगर	7	508
	20. िवपुरी	24	1260
	21. भयोपुर	02	60
4. चम्बल	22. मुरैना	130	8261
	23. भिंड	117	20920
	24. भोपाल	454	36320
5. भोपाल	25. सीहोर	40	9834
	26. रायसेन	316	71455
	27. राजगढ़	40	11818
	28. विदिशा	71	3988
	29. बैतूल	54	7979
	30. होंगाबाद	138	14666
6. होशंगाबाद	31. हरदा	80	782
	32. सागर	80	6335
7. सागर	33. टीकमगढ़	14	825
	34. दमोह	06	4828
	35. छत्तरपुर	20	326
	36. पन्ना	04	88
	37. जबलपुर	334	32313
8. जबलपुर	38. नरसिंहपुर	41	3404
	39. कटनी	203	13918
	40. बालाघाट	67	2294
	41. सिवनी	11	2267
	42. मंडला	56	2687
	43. डिंडोरी	02	18
	44. छिन्दवाड़ा	122	14284

९. रीवा	45. सतना	200	31883
	46. रीवा	80	7501
	47. सीधी	12	4110
	48. भाहडोल,	31	4756
	49. अनुपपुर	13	4754
	50. उमरिया	07	907
	51. सिंगरोली	68	10313
	योग -	7119	659249

परिशिष्ट-4.2

(देखें पद 4.2.5)

कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 88 के अंतर्गत आने वाली
दुर्घटनाओं की जानकारी

व. सं.	दुर्घटनाओं से प्रभावित कर्मियों की संख्या			
	मृत कर्मी	गंभीर रूप से प्रभावित कर्मी (पूर्ण/आंशिक स्थायी विकलांगता)	साधारण रूप से प्रभावित कर्मी (48 घंटे से अधिक की परंतु अस्थायी अक्षमता)	अग्नि दुर्घटनाएं
1	2	3	4	5
2012-13	49	26	648	11
2013-14	43	18	405	09
2014-15	56	17	233	13
2015-16	38	20	360	09
2016-17	37	15	503	12
2017-18	36	08	349	14
2018-19	33	15	249	05
2019-20	44	16	226	04
2020-21(31 दिसंबर 20 तक)	21	14	207	02

मध्य प्रदेश में स्थित अति खतरनाक स्थापनाओं की संभाग एवं जिलेवार सूची

संभाग	जिला	स्थान	स्थापना का नाम	उपयोग में लाये जाने वाले खतरनाक रसायन	खतरनाक रसायन की मात्रा (मेटन में)		आने साइट आपात योजना को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि	मिफ
					निर्धारित सीमान्त मात्रा	स्थापना में भंडारण की क्षमता		
	2	3	4	5	6	7	8	
र	इंदौर	मांगलिया	1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000	1200.000	07/08/97	
			2. भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. पोल डिपो	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	1400.000	15/12/97	
			3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. पोल डिपो	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	2220.000	25/07/98	
			4. इंडियन आईल कार्पो. लि. पोल डिपो	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	3051.000	23/02/98	
			5. भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. मांगलिया, इंस्टालेशन	पेट्रोल (गैसोलीन) एच.एस.डी. एस.के.ओ.	1000.000	26880.000 54560.000 12900.000	27/05/03	
		महू	6. बालाजी वेफर्स	प्रोपेन	15.000	60.000	18/06/19	
		संवेर रोड	7. सियर्स फाईटोकेम प्रा. लि.	क्लोरीन	10.000	18-600	-	
		असरावद	8. डायमण्ड किस्टल (प्रा.) लि.	एल.पी.जी.	15.000	20.000	22/01/14	
		कबीट खेडी	9. 245, एम.एल.डी. सिवेल ट्रीटमेन्ट प्लांट (आय.एम.सी)	क्लोरीन	10.000	21.600	30/03/17	
	झाबुआ	भेघ नगर	10. काम्फीडेन्ट पेट्रोकेम इ. लि.	एल.पी.जी.	15.000	60.000	-	
	खण्डवा	डोंगलिया	11. श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन	क्लोरीन	10-000	79.000	14/09/13	
	खरगोन	सनावद	12. एन.टी.पी.सी. खरगोन सुपर थर्मल पावर	क्लोरीन	10-000	32.000	--	
		बडवाहा	13. एसोसिएट अल्कोहल एण्ड ब्रिबेरीज लि.	ईथाईल अल्कोहल	1000.000	2367.60	04/12/20	
	धार	पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र	14. स्वस्तिक प्लास्टि सायजर्स एण्ड पी.बी.सी. पार्फ्यूम प्रा. लि.	क्लोरीन	10.000	25.000	26/09/96	
			15. एवटेक लि.	एल.पी.जी.	15.000	40.000	05/01/98	
			16. भारत पेट्रोलियम कार्पो. बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000	450.000	08/10/99	
			17. गगन गेसेस लि. यूनिट नं.2	एल.पी.जी.	15.000	90.000	03/09/97	
			18. ग्रीन कास एगो केमिकल प्रा.लि.	मिथाईल पैराथिन	00.100	00.250	31/03/99	
			19. स्पेशियलिटी आग्रेनिक्स प्रा. लि.	क्लोरीन	10-000	25.000	09/01/20	
			20. केमफयुजन केमिकल्स प्रा.लि.	क्लोरीन	10.000	17.000	-	
			21. टाटा स्टील लि.	एल.पी.जी.				
		तिरला	22. इंदौर नैसेस	एल.पी.जी.	15.000	16.459	14/01/16	
		सेजवाया	23. गेट गेलान वेन्चर्स लि.	ईथाईल अल्कोहल	15.000	50.000	16/07/12	
		बदनावर	24. ओएसिस डिस्टिलरीज लि	ईथाईल अल्कोहल	1000.000	1959.000	27/03/17	
		खुरेल	25. श्री क्लोरेटस यूनिट ऑफ इनिथ इलेक्ट्रोकेम प्रा.लि.	सोडियम क्लोरेट	1000.000	1141.000	24/12/16	
					25.000	100.000	03/09/96	
न	उज्जैन	नागदा	26. आरसिल कंटैलिस्ट प्रा.लि.	क्लोरीन				
			27. ग्रेसिम इंड. लि.(केमिकल डिवी) यूनिट नंबर 1	क्लोरीन	10.000	21.000	08/02/96	
			28. ग्रेसिम इंड. लि.(केमिकल डिवी) यूनिट नं 2	क्लोरीन	10.000	440.000	23/01/98	
			29. ग्रेसिम इंड. लि.(स्टेपल फाईबर)	कार्बन-डाइऑक्साइड	10.000	380.000	19/01/98	
					20.000	1057.000	14/05/98	

		30. लानसेट इंडिया इण्ड. प्रा. लि.	करोरीन, सल्फर ट्राय आक्साइड	10.000 25.000	39.600 30.000	02/03/96
			एल पी जी	15.000	40.000	08/05/12
	ज्वालखेडी	31. कान्फीडन्स मिलेन्डर एण्ड प्रोडोकेन प्रा. लि.				
	घरिया	32. इंडियन ऑयल कार्पो. लि. वाटलिंग प्लांट	एल पी जी	15.000	1850.000	28/07/00
दशम	इड एरिया	33. गजरा डिफेन्सिवल गिवस प्रा. लि.	एल पी जी / प्रायन	15.000 15.000	20.000 20.000	27/04/06
			पेट्रोल, एक्साइज, एक्साइज तथा अन्य	1000.000	22443. 34965, 15540	04/02/10
रतलाम	बागरोड	34. इंडियन ऑयल कार्पो. लि. रतलाम टर्मिनल	पेट्रोल, एक्साइज, एक्साइज तथा अन्य			
मोपाल	पेरलानी	35. भारत हैवी इन्फ्रीकल्स लि.	एल पी जी	15.000	168.000	18/09/97
			एल पी जी	15.000	8200.000	24/03/98
	डुडु	36. इंडियन ऑयल कार्पो. लि. वाटलिंग प्लांट	एल पी जी			
			पेट्रोल, एक्साइज, एक्साइज तथा अन्य	1000.000	4150.000 5410.000	11/10/04
	निशातपुरा	37. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1736.000	26/09/01
	बकानिया	38. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1230.000	09/11/10
		39. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. वाटलिंग प्लांट	एल पी जी	15.000	200.000	25/03/13
			प्रायन	15.000	100.000	06/11/07
सीहार	डुमरी	40. इन्फ्रीकल्स लि.	एल पी जी	15.000	25.000	30/05/16
			एल पी जी	15.000	50.000	27/10/99
सपलत	दिवानगंज	41. इन्फ्रीकल्स लि.	पेट्रोल / कार्पोरेशन	00.100	27.600	02/05/95
			पेट्रोल / कार्पोरेशन	00.100	30.000	06/03/13
	मन्दीरी	42. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	एल पी जी	15.000	40.000	05/03/13
			प्रायन	15.000	60.000	30/09/19
	पलूखेडी	43. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
राजगढ़	इड इस्टेट	44. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	45. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	46. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	47. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	48. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	49. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	50. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	51. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	52. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	53. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	54. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	55. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	56. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	57. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	58. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	59. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	60. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	61. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
	इड इस्टेट	62. इन्फ्रीकल्स लि. (पेट्रोल डिपो)	पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13
			पेट्रोल	15.000	150.000	22/11/13

		खगरिया	63. आर्डिनन्स फेक्ट्री.	ट्राईनाईट्रो टालविन	50.000	50.000	30/03/98	
	नरसिंहपुर छिंदवाडा	गाडरवारा	64. एन.टी.पी.सी. लि०	क्लोरीन	10.000	52.000	28/10/20	
		सोसर	65. मंसाती इजिनियरिंग पॉलिमर्स लि.	एकी-लोनाईटाईल	20.000	125.000	28/10/92	
		खुनागर	66. कान्फीडेन्स सिलेन्डर एण्ड पेट्रोकेम प्रा.लि.	एल.पी.जी.	15.000	60.000		
		मोहखेड	67. जुगनु फुडस प्रा. लि.	प्रोपेन	15.000	40.220	24/03/17	
		पांडुरना	68. ड्रायटेक प्रोसेसर (इ) प्रा.लि.	प्रोपेन	15.000	40.000	26/12/11	
	मंडला	मनेरी	69. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट.	एल.पी.जी.	15.000	450.000	30/10/00	
		मनेरी	70. इंडियन ऑयल कार्पो. लि. एल.पी.जी बाटलिंग प्लांट.	एल.पी.जी.	15.000	1800.000		
ग्वालियर	ग्वालियर	सिथौली	71. रेल स्त्रींग कारखाना, सेंट्रल रेल्वे.	एल.पी.जी.	15.000	140.000	31/05/99	
		रायरू	72. भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	4858.000	21/06/19	
		रायरू	73. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	1058.000	24/03/98	
	शिवपुरी	आमखेडा	74. गैस पाईन्ट पेट्रोलियम इंडिया लि.	एल.पी.जी.	15.000	50.000	07/08/12	वर्तमान में बन्द है।
	गुना	विजयपुर	75. गेल(इंडिया) लि. एल.पी.जी. रिकवरी प्लांट	एल.पी.जी. / प्रोपेन	15.000	8000.000 2700.000	08/09/97	
			76. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	अमोनिया / क्लोरीन	60.000 10.000	15000.000 20.000	27/01/98	
		डोंगर	77. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. बाटलिंग प्लांट.	एल.पी.जी.	15.000	900.000	13/03/02	
भंड	भंड	मालनपुर औद्यो. क्षेत्र	78. सुर्या रोशनी लि.	प्रोपेन / एल.पी.जी.	15.000	194.000	19/03/97	
			79. इंडियन ऑयल कार्पो. लि. एल.पी.जी बाटलिंग प्लांट.	एल.पी.जी.	15.000	1800.000	25/07/20	
			80. आर. एस. सिलिकेट एण्ड केमिकल	क्लोरीन	10.000	20.000		
	मुरैना	बामीर	81. प्राची गैस बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000	50.000		वर्तमान में बन्द है।
शिव	शहडोल	अगलाई	82. ओरियेंट पेपर मिल.	क्लोरीन	10.000	169.00	13/08/96	
	सिंगरौली	विन्ध्यनगर	83. विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन	क्लोरीन	10.000	25.000	21/10/97	
		जयन्त	84. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो	एच.एस.डी.	5000.000	11000.000	23/02/98	
		जयन्त	85. इंडियन आईल कार्पो. लि. (आईवीपी डिवी)	अमोनियम नाइट्रेट	350.000	955.000	12/03/14	
		वैद्यान	86. सासन पावर लि.	क्लोरीन	10.000	49,500.000	18/03/13	
		वरगवान	87. हिण्डाल्को इण्ड. लि.	प्रोपेन क्लोरीन	15.000 10.000	22.000 72.000	28/01/13	
		वैद्यान	88. साईट मिक्ड इमरशन एक्सप्लोशिव प्लांट	टमोनियम नाइट्रेट	350.000	925.000	12/12/18	
		निगरी	89. जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	क्लोरीन	10.000	80.000	01/10/14	
गंगर	पन्ना	पुरेना	90. शिवा एक्सीम इन्टर प्राईजेस	क्लोरीन	10.000	32.000	03/11/07	वर्तमान में बन्द है।
	सागर	बीना	91. भारत ओमान रिफायनरी लि.	एल.पी.जी. पेट्रोल, एसकेओ, एचएसडी तथा अन्य	15.000 1000.000	8400, 28334, 9540, 35805	05/40/10	
		नरयावली	92. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	3087.000	05/12/11	

परिशिष्ट-4.4

(देखें पद 4.4.4)

ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी एवं पूर्वाभ्यास

क्र.	जिला	पूर्वाभ्यास का दिनांक
1	नागाल	17/12/07, 25/11/08, 16/04/09, 22/10/09, 10/12/14, 20/12/17
2	रायसोन	24/05/07, 23/12/08, 21/12/09, 03/12/11, 29/01/14, 21/07/17
3	मिदिशा	02/01/08, 03/12/11, 12/02/14
4	व्यासियर	08/02/07, 25/03/08, 21/07/08, 28/01/09, 06/07/09, 19/02/10, 02/02/11, 03/12/11, 16/08/12, 24/09/14, 04/09/15, 24/07/17, 27/07/18
5	मिन्ड	20/04/07, 31/01/08, 28/06/08, 31/01/09, 07/04/10, 04/03/11, 03/12/11, 19/10/12, 12/09/14, 05/12/15, 04/12/17, 03/10/18
6	गुना	30/06/07, 15/02/08, 28/08/08, 26/02/09, 28/07/09, 11/03/10, 05/03/11, 03/12/11, 08/08/12, 07/08/14, 03/10/15, 05/10/16, 17/08/17, 02/08/18, 08/08/19
7	जयलपुर	24/12/07, 17/07/08, 22/08/09, 03/12/11, 12/10/12, 17/11/14, 26/12/14, 14/03/16, 01/10/18
8	मण्डला	24/05/07, 15/12/07, 26/11/08, 03/12/11, 19/09/14, 25/09/19
9	छिन्दवाडा	26/12/07, 23/12/08, 03/12/11, 17/12/14, 29/06/19, 17/01/20
10	इंदौर	17/08/08, 22/03/11, 03/12/11, 11/02/15
11	धार	12/03/07, 08/07/07, 17/03/08, 28/08/09, 27/09/10, 27/03/11, 03/12/11, 27/02/14, 16/03/18, 22/09/18, 29/09/20
12	उज्जैन	24/03/07, 20/09/08, 22/09/09, 28/12/10, 07/07/11, 03/12/11, 03/12/12, 03/12/14, 18/06/15, 03/12/15, 26/12/16, 31/07/17, 26/06/18, 28/12/18, 15/10/20
13	देवास	20/12/07, 31/12/08, 03/12/11, 07/12/12, 07/11/14, 04/03/15, 03/12/16, 05/03/18, 03/12/18
14	सोडौर	22/12/07, 26/12/08, 03/12/11, 07/12/12, 23/03/14, 03/03/15, 04/03/16, 16/01/18
15	शहडोल	07/03/07, 24/09/08, 02/12/09, 07/02/11, 03/12/11, 22/05/15, 18/09/17, 11/08/18, 22/07/20
16	पन्ना	06/02/08, 11/01/11, 03/12/11, 04/03/12, 30/04/14, 23/05/15, 20/02/17 वर्तमान में एक मात्र एमएच. कारखाना बन्द है।
17	रैमरोली	27/09/08, 03/12/11, 28/09/17, 24/10/18, 03/12/20
18	रतलाम	08/12/10, 10/06/11, 03/12/11, 03/12/12, 11/07/14, 14/01/16, 19/07/16, 27/07/17, 18/01/18, 27/07/18, 23/07/20
19	सागर	03/12/11, 08/06/12, 13/09/13, 30/10/14, 30/07/15, 21/03/16, 19/12/17, 28/12/18, 19/10/19, 23/12/20
20	खण्डवा	30/07/15, 21/03/16, 29/08/18, 21/09/20
21	खरगोन	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है।
22	शिवपुरी	वर्तमान में एक मात्र एमएच. कारखाना बन्द है।
23	मोरेना	वर्तमान में एक मात्र एमएच. कारखाना बन्द है।
24	राजगढ़	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है।
25	आबुआ	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है।
26	नरसिंगपुर	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है।
27	होशंगाबाद	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है।

परिशिष्ट-4.5

(देखें पद 4.4.5)

अति खतरनाक स्थापनाएं, जिनका सुरक्षा ऑडिट एम.एस.आई.एच.सी.
नियम, 1989 के तहत अनिवार्य है, के सुरक्षा ऑडिट की स्थिति

जिला	स्थान	कारखाने का नाम	सुरक्षा ऑडिट की स्थिति	पिछला सुरक्षा ऑडिट करने का वर्ष
1	2	3	4	5
मोपाल	बेस्मट	1 इंडियन आईल कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
	बकानेया	2 भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
धार	पीथमपुर	3 भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
	पीथमपुर	4 स्पेशियलिटी आगेनिक्स, प्रा.लि.	सम्पन्न	2019, 2020
गुना	विजयपुर	5 गैल (इंडिया) लि.	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
		6 नेशनल कर्टीलाइजर्स लि.	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
	डोंगर	7 इंडियन आईल कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
इन्दौर	राऊखेडी	8 हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020
	मांगलिया	9 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. मांगलिया इरटालेशन	सम्पन्न	2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
जबलपुर	भिटौनी	10 भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020
	रामरिया	11 आर्डीनन्स फैक्ट्री,	सम्पन्न	-
उज्जैन	घातिया	12 इंडियन आईल कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
	नागदा	13 ग्रेसिम इण्ड. लि.(केमिकल डिवीजन) युनिट-1	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
		14 ग्रेसिम इण्ड. लि.(केमिकल डिवीजन) युनिट-2	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
		15 ग्रेसिम इण्ड.लि. (स्टेपल फायबर डिवीजन)	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016(2), 2018, 2019, 2020
		16 लानसेस इंडिया इ.प्रा. लि.	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
मण्डला	मनेरी	17 हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013(आंतरिक), 2014, 2015(आंतरिक), 2016, 2017, 2018, 2019
	मनेरी	18 इंडियन आईल कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	-	नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना
राहडाम	अमलाई	19 ओरियेंट पेपर मिल,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
सिंगरौली	विन्ध्यनगर	20 विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन	सम्पन्न	2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
	बैधान	21 सासन पावर लि.	सम्पन्न	2013, 2014 (आंतरिक), 2015, 2016, 2018, 2020
	निग्री	22 जे.पी. निग्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	सम्पन्न	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018(आंतरिक), 2019, 2020(आंतरिक)
	बरगवा	23 हिन्डाव्को इण्ड.लि.		2019
रतलाम	बगराड	24 इण्डियन आईल कार्पो. लि., रतलाम टर्मिनल	सम्पन्न	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
सागर	बोना	25 भारत ओमान रिफायनरी लि.	सम्पन्न	2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
खण्डवा	डोंगलिया	26 श्री सिगाजी थर्मल पावर स्टेशन	सम्पन्न	2014, 2015, 2016, 2017 (आंतरिक), 2018, 2019 (आंतरिक), 2020
खरगोन	सनायद	27 एन.टी.पी.सी. खरगोन सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	-	2019, 2020
राजगढ़	पीलुखेडी	28 हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2016, 2017, 2018, 2019, 2020
नरसिंहपुर	गाडरवाडा	29 एन.टी.पी.सी. लि.		2018
भिण्ड	गाहद	30 इंडियन आईल कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट	सम्पन्न	2020

(देखें पद 4.5.3)

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण

भाग एक : हानिकारक पदार्थों की जांच

कारखानों से लिये गये हानिकारक पदार्थों के नमूने तथा उनके प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम

[illegible]

परिशिष्ट-4.7

(देखें पद 4.5.3)

स्थल पर उपकरणों की सहायता से की गई जांच एवं उनका परिणाम

[illegible]

(देखें पद 4.5.3)

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण

भाग दो : स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश व ध्वनि संबंधी जांच

[illegible]

भाग-तीन :- दृष्टि दोष संबंधी की गई जाँच का परिणाम

क्र०	वर्ष	श्रमिकों की संख्या जिनकी दृष्टि की जाँच की गई	दृष्टि दोष पाये गए श्रमिकों की संख्या	दृष्टि दोष नहीं पाये गए श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5
1	16-17	—	—	—
2	17-18	—	—	—
3	18-19	—	—	—
4	19-20	—	—	—
5	20-21 (31 दिसंबर 20 तक)	—	—	—

परिशिष्ट- 5.1

(देखें पद 5.1)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन

निर्धारित है

भाग-एक

अनुसूचित नियोजन

क्र.	अनुसूचित नियोजन
1	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5	किसी इजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6	किसी सिंचाई कार्यो के निर्माण तथा सधारण में नियोजन
7	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8	किसी आरा मिल में नियोजन
9	किसी तेल मिल में नियोजन
10	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11	किसी गुरा पोहा निर्माणी में नियोजन
12	किसी खाद्य पदार्थों में जिसमें केक, बिकेट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसक्रेडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16	किसी सीमेन्ट पोल अथवा रिमोट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19	किसी वूना भट्टों में नियोजन
20	किसी ईट भट्टों में नियोजन
21	किसी पावर लूम / जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है / में नियोजन
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24	किसी खादसारी उत्पादन में नियोजन
25	किसी पाटरीज जिसमें रिफेक्टरी सामान, फायरब्रेक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29	किसी रागरज गेरु के निर्माण में नियोजन
30	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31	किसी बोनमिल में नियोजन
32	किसी टाइल्स, जिसमें मैंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं हैं, के निर्माण में नियोजन
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि. 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन
34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान (पैथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है में नियोजन
35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था जिसमें काउचिंग केंद्र भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (पैकिंगेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन

37.	किसी खदान जैसे कंकड़, मुरम, लेट्राईट, बोल्टर, ग्रावेल शिगड़ा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
38.	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेज में नियोजन
39.	किसी बेकरी में नियोजन
40.	किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन
41.	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
42.	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
43.	किसी सिनेमागृहो या थियेटर्स में नियोजन
44.	किसी क्लब में नियोजन
45.	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
46.	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
47.	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
48.	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड (कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
49.	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
50.	किसी इलेक्ट्रानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
51.	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
52.	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
53.	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
54.	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
55.	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोऑपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
56.	किसी होजयरी में नियोजन
57.	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन
58.	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
59.	किसी खिलौना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
60.	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
61.	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
62.	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
63.	किसी अचार, बड़ी, पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
64.	दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
65.	किसी सफाई कार्य में नियोजन
66.	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
67.	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन
68.	तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन
69.	किसी अगरबत्ती उद्योग में नियोजन

भाग-दो

1. कृषि में नियोजन

परिशिष्ट-5.2
(देखें पद 5.1)

न्यूनतम मजदूरी की दरें
परिशिष्ट- 5.1 में क्र. 1 से 69 तक उल्लेखित नियोजन
(1.10.2020 से 31.3.2021 तक के लिए)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल न्यूनतम मजदूरी	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	6500	250.00	1900.00	73.08	8400.00	323.07
आर्धकुशल	7057.00	271.42	2200.00	84.62	9257.00	356.03
कुशल	8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03
उच्च कुशल	9735.00	374.42	2200.00	84.62	11935.00	459.03

कृषि में नियोजन
(1.10.2020 से 31.3.2021 तक के लिए)

अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.66	1476.00	49.20	6826	227.53
-------------------	---------	--------	---------	-------	------	--------

बीडी निर्माण में नियोजन
(1.04.2020 से 31.03.2021 तक के लिए)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल मजदूरी	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल न्यूनतम मजदूरी
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	रुपये 74.00	19.71	93.71

नोट- एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रुपये 93.71 के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (8.19) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (4.68) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (9.83) इस प्रकार कुल रुपये 116.41 देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 19.66 की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 1/4/2020 से 31/3/2021 की अवधि में श्रमिकों को कुल रुपये 9.83 एवं भविष्य निधि कटौती उपरांत शुद्ध राशि 96.75 प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती निर्माण में नियोजन
(1.10.2020 से 31.3.2021 तक के लिए)

कर्मचारी का वर्ग	न्यूनतम मूल मजदूरी	पुनरीक्षित महंगाई भत्ता	कुल वेतन
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती के लिए)			
क. साधारण अगरबत्ती	रु. 21.40	22.00	43.40
ख. सुगंधित अगरबत्ती	रु. 22.00	22.00	44.00

परिशिष्ट - 7.1

मध्यप्रदेश में परिचय पत्र धारक बीड़ी श्रमिकों की संख्या

क्रमांक	जिले का नाम	(दिसम्बर 2020 की स्थिति में)
(1)	(2)	(3)
1	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	23848
2	सहायक श्रमायुक्त, इन्दौर	3942
3	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	14
4	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	7014
5	श्रम पदाधिकारी, देवास	877
6	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	461
7	सहायक श्रमायुक्त उज्जैन	932
8	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	—
9	श्रम पदाधिकारी, दतिया	4471
10	श्रम पदाधिकारी, गुना	20559
11	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	2229
12	श्रम पदाधिकारी, शिवपुरी	1422
13	सहायक श्रमायुक्त, खालियर	15407
14	सहायक श्रमायुक्त, गुरैना	428
15	श्रम पदाधिकारी, हरदा	311
16	सहायक श्रमायुक्त, होशंगाबाद	956
17	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	20272
18	श्रम पदाधिकारी, राजगढ़	826
19	श्रम पदाधिकारी, सीहोर	560
20	श्रम पदाधिकारी, मण्डीदीप, जिला रायसेन	9679
21	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	1850
22	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर	92
23	श्रम पदाधिकारी, दमोह	34157
24	श्रम पदाधिकारी, पन्ना	6977
25	सहायक श्रमायुक्त, सागर	107126
26	श्रम पदाधिकारी, निवाड़ी	2005
27	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	—
28	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	11302
29	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	46144

30	श्रम पदाधिकारी, कटनी	32332
31	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	10472
32	श्रम पदाधिकारी, सीधी	751
33	श्रम पदाधिकारी, रीवा	18560
34	सहायक श्रमायुक्त, सतना	12922
35	श्रम पदाधिकारी, उमरिया	70
36	सहायक श्रमायुक्त, शहडोल	272
	योग	399240

परिशिष्ट - 7.2

बीड़ी श्रमिकों हेतु वर्ष 2006-07 से स्वीकृत / कियान्वित आवास योजना

क्र.	जिला	आवास निर्माण की स्वीकृति का वर्ष	आवास संख्या				केन्द्रांश (लाख रुपये में)		स्वीकृत एवं विमुक्त राज्यांश (लाख रुपये में)
			कुल स्वीकृत	निर्मित	निर्माणाधीन	निर्माण आरंभ होना शेष	स्वीकृत	विमुक्त	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	2007	225	105	—	120	78.00	33.00	33.75
2	श्रम पदाधिकारी, दतिया	2007	255	80	20 प्लिंथ पर	155	102 लाख	51 लाख	निरंक
3	श्रम पदाधिकारी, गुना	2003	400	—	—	—	16,00,000	—	अप्राप्त
4	सहायक श्रमायुक्त, सागर	20-12-2007	500	180	144	176	1 करोड़	1 करोड़	—
5	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	2007	1000	—	—	—	दो करोड़	—	—
6	श्रम पदाधिकारी, कटनी	1999	326	—	—	निर्माण आरंभ होना शेष	—	—	—
7	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	2007	375	निरंक	निरंक	375	16875000	निरंक	निरंक
8	सहायक श्रमायुक्त, सतना	2007-08	500	153	347	—	1 करोड़	—	—

परिपत्र दिनांक 5-10-2002 के अनुसरण में घरखाता बीड़ी श्रमिकों के लिये कच्चे माल की जिलेवार निर्धारित वाजिद मात्रा

क	जिले का नाम	निर्धारित मात्रा 1000 बीड़ी निर्माण हेतु		
		तेंदूपत्ता (ग्राम)	तम्बाकू (जर्दा) (ग्राम)	धागा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	900 ग्राम	280 ग्राम	1 लच्छी प्रति 6000
2	सहायक श्रमायुक्त, इन्दौर	800 ग्राम	260 ग्राम	21 ग्राम लगभग
3	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	650 ग्राम	200 ग्राम	10000 बीड़ी पर 20 ग्राम 60 काउट वाला
4	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	1000 ग्राम	280 ग्राम	6000 बीड़ी पर 1 लटी धागा
5	श्रम पदाधिकारी, देवास	1.600 किलोग्राम	0.500 किलोग्राम	2
6	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	1 किलोग्राम	220 ग्राम	1 गट्टी
7	सहायक श्रमायुक्त उज्जैन	950 ग्राम	280 ग्राम	8000 बीड़ी पर एक लच्छी
8	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	850 ग्राम	250 ग्राम	1 रील (लच्छी)
9	श्रम पदाधिकारी, दतिया	750 ग्राम	250 ग्राम	एक लच्छी फी आवश्यकतानुसार
10	श्रम पदाधिकारी, गुना	800 ग्राम	250 ग्राम	25 ग्राम
11	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	800 ग्राम	200 ग्राम	एक धागे की लच्छी
12	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	800 ग्राम से 1 किलो के मध्य	250 ग्राम	1 लच्छी
13	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	800-900 ग्राम	280-300 ग्राम	एक गिट्टी
14	श्रम पदाधिकारी, मण्डीदीप	750 ग्राम	240 ग्राम	1 धागे की लतिया
15	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	700 ग्राम	220 ग्राम	2 लच्छी
16	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर	900 ग्राम	250 ग्राम	1000 बीड़ी पर एक लच्छी
17	श्रम पदाधिकारी, दमोह	750 ग्राम	270 ग्राम	1 पुंजा
18	सहायक श्रमायुक्त, सागर	750 ग्राम	260 ग्राम जर्दा (बड़ी बीड़ी)	1 लतिया
		650 ग्राम	220 ग्राम जर्दा (छोटी बीड़ी)	
19	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	900 ग्राम	300 ग्राम	2 लच्छी प्रति एक हजार
20	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	700 ग्राम	280 ग्राम	0.0016 ग्राम से 2.28 ग्राम
21	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	650 ग्राम	230 ग्राम	1 ग्राम धागा
22	श्रम पदाधिकारी, कटनी	0.700 ग्राम	0.260 ग्राम	0.01
23	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	900 ग्राम	300 ग्राम	फी
24	श्रम पदाधिकारी, रीवा	650 ग्राम	230 ग्राम	6 लच्छी

परिशिष्ट - 7.4

बीड़ी श्रमिकों को वेतनपर्ची वितरण की जानकारी

क्रमांक	बीड़ी श्रमिक बहुल जिले के नाम	बीड़ी श्रमिकों को प्राप्त वेतन पर्चियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	1950
2	सहायक श्रमायुक्त, इन्दौर	550
3	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार भुगतान किया जा रहा है
4	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	—
5	श्रम पदाधिकारी, देवास	158
6	श्रम पदाधिकारी, रतलाग	12
7	सहायक श्रमायुक्त उज्जैन	9
8	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	60
9	श्रम पदाधिकारी, दतिया	269 निर्धारित प्रारूप में नहीं दी गई है
10	श्रम पदाधिकारी, गुना	—
11	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	—
12	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	114
13	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	300
14	श्रम पदाधिकारी, मण्डीदीप	143
15	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	—
16	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर	—
17	श्रम पदाधिकारी, दमोह	8268
18	सहायक श्रमायुक्त, सागर	—
19	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	—
20	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	102
21	सहायक श्रमायुक्त, जदलपुर	309
22	श्रम पदाधिकारी, कटनी	1743
23	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	130
24	श्रम पदाधिकारी, रीवा	76
25	सहायक श्रमायुक्त, सतना	4194

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 पंजीकृत स्थापनाओं बाबद श्रम
कार्यालय-वार जानकारी
(विभागीय पोर्टल पर दर्शित)
(दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में)

संभाग / जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या
1	2
आगर-मालवा	01
अलीराजपुर	03
अनुपपुर	13
अशोकनगर	01
बालाघाट	74
बडवानी	04
बैतुल	29
भिण्ड	08
भोपाल	18
बुरहानपुर	02
छतरपुर	01
छिंदवाडा	16
दमोह	01
दतिया	00
देवास	04
धार	12
डिंडोरी	11
गुना	02
ग्वालियर	07
हरदा	07
होशंगाबाद	11
इंदौर	28
जबलपुर	15
झाबुआ	07
कटनी	04
खंडवा	11
खरगोन	08
मंडला	05
मंदसौर	40
मुरैना	09
नरसिंहपुर	01
नीमच	07
पन्ना	02
पीथमपुर	20
रायसेन	02
राजगढ़	02

रतलाम	03
रीवा	25
सागर	18
सतना	05
सीहोर	08
सिवनी	01
शहडोल	04
शाजापुर	02
श्यामपुर	00
शिवपुरी	03
सीधी	09
सिंगरौली	21
टीकमगढ़	02
उज्जैन	04
उमरिया	01
विदिशा	09
Total	501

वर्ष 2016 (जनवरी से दिसंबर तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत् है:-

क्रमांक	विमुक्त माह/दिनांक	राज्य जहां से विमुक्त किये गए	पुनर्वासित श्रमिकों को आबंटित राशि	राशि आबंटन दिनांक	विमुक्त श्रमिक संख्या	जिला जहां पुनर्वासित किया गया।
01	02	03	04		05	06
01	18.01.16	बगलकोट (कर्नाटक)	1,71,000 / -	26.02.16 07.04.16	09	जिला खरगोन (म.प्र.)
02	01.08.16	नौयडा, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)	1,08,000 / -	23.08.17	06	जिला छतरपुर (म.प्र.)
03	15.07.16	तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)	-----	-----	40	ग्राम गादला, थाना भोपा, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)
04	12.08.16	छबडा जिला बारा (राजस्थान)	40,000 / -	07.03.17	02	विलेरा तहसील, जिला गुना (म.प्र.)
05	02.08.16	नौयडा, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)	1,40,000 / -	23.08.17	07	ग्राम खैरी हरिकिशन, पो.लुहारी, तहसील पटेरा, जिला दमोह (म.प्र.)
06	26.09.16	गुना (म.प्र.)	20,000 / -	07.03.17	01	अशोक नगर, (म.प्र.)
	कुल योग		4,79,000 / -		65	

वर्ष 2017 (जनवरी से दिसंबर तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत् है:-

क्रमांक	विमुक्त माह/दिनांक	राज्य जहां से विमुक्त किये गए	पुनर्वासित श्रमिकों को आबंटित राशि	राशि आबंटन दिनांक	विमुक्त श्रमिक संख्या	जिला जहां पुनर्वासित किया गया।
01	02	03	04		05	06
01	22.02.17	जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.)	20,000 / -	23.03.17	01	तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.)
02	29.10.17	किशनगढ़ जिला बारा (राजस्थान)	3,60,000 / - 28,00,000 / -	11.01.18 16.07.19	18	तहसील बमौरी, जिला गुना (म.प्र.)
	कुल योग		31,80,000 / -	—	19	

वर्ष 2018 (जनवरी से दिसंबर तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत है:-

क्रमांक	विमुक्त माह एवं दिनांक	राज्य जहां से विमुक्त किये गए।	पुनर्वासित श्रमिकों को प्रदत्त राशि	राशि आबंटन दिनांक	विमुक्त श्रमिक संख्या	जिला जहां पुनर्वासित किया गया।
01	02	03	04	05	06	07
01	06.11.17	जिला रोहतक, (हरियाणा)	4,00,000/-	12.04.18	20	गांव धरमपुरा, बकसोहा, बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
02	24.01.18	तरकरी (कर्नाटक)	40,000/-	17.04.18	02	चूनालोमा भरुदाना तहसील भैसदेही जिला बैतुल (म.प्र.)
03	15.02.18	जिला सोलापुर (महाराष्ट्र)	3,40,000/-	23.04.18	17	ग्राम बाकडी, तहसील नेपालनगर जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
04	25.02.18	कलाम, जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)	3,40,000/-	17.04.18	17	ग्राम किन्दी, जिला मंडला (म.प्र.)
05	03.01.18	कपशेरा, साउथ-वेस्ट, न्यू दिल्ली	40,000/-	-	02	भायपुरा, टिगरा रोड, मोतीझील, जिला ग्वालियर (म.प्र.) • दिल्ली राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को तत्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई।
06	22.03.18	मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)	4,20,000/-	06.07.18	21	ग्राम धर्मपुरा, तहसील खनियादाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
07	27.06.18	पोस्ट रुचिमकोड जिला नामक्कल (तमिलनाडू)	1,80,000/-	04.10.18	09	औवरिया, जिला बैतुल (म.प्र.)
08	06.11.17	जिला रोहतक (हरियाणा)	80,000/-	06.10.18	04	तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.)
	कुल योग		18,40,000/-		92	

वर्ष 2019 (जनवरी से दिसंबर तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत है:-

क	विमुक्त माह एवं दिनांक	राज्य जहां से विमुक्त किये गए।	पुनर्वासित श्रमिकों को प्रदत्त राशि	राशि आबंटन दिनांक	संख्या	जिला जहां पुनर्वासित किया गया।
01	02	03	04		05	06
01	05.07.2018	जिला वाराणसी (उ.प्र.)	1,60,000/-	25.02.19	12	ग्राम चौपार, पो. सकारिया एवं भटवा, पो. रछोडा तहसील एवं जिला पन्ना (म.प्र.)
02	28.08.2019	पूजा फूड्स फैक्ट्री, उज्जैन रोड, नागूखेडी, जिला देवास (म.प्र.)	30,000/-	06.09.19	06	(1) एक श्रमिक ग्राम देवखर, थाना अतरेला, तहसील जवा, जिला रीवा (म.प्र.) (2) एक श्रमिक ग्राम अमनी पीपरिया, तहसील डिंडौरी, जिला डिंडौरी (म.प्र.) (3) एक श्रमिक तहसील कुराव, जिला इलाहाबाद (उ.प्र.) (4) तीन श्रमिक तहसील मानीकपुर, जिला चित्रकूट (उ.प्र.)
03	08.09.19	सिरोही (राज.)	500000/-	05.11.19 11.11.19 11.12.19	28	जिला-धार 08, जिला-झाबुआ 16 एवं जिला-अलीराजपुर 04 जिला-अलीराजपुर में 02 श्रमिकों को सहायता राशि नहीं दी है, वे बाल श्रमिक होने के कारण। बैंक खाता नहीं था।
04	20.12.19	ग्वालियर (म.प्र.)			32	जिला-अलीगढ़ एवं बदरगढ़ (उ.प्र.) भेजे गए।
	कुल योग		7,20,000/-		78	

वर्ष 2020 (जनवरी से दिसंबर तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक
श्रमिकों की जानकारी निम्नवत है:-

क्रमांक	विमुक्त माह एवं दिनांक	राज्य जहां से विमुक्त किये गए।	पुनर्वासित श्रमिकों को प्रदत्त राशि	राशि आबंटन दिनांक	संख्या	जिला जहां पुनर्वासित किया गया।
01	02	03	04	05	06	07
01	05.08.2020	जिला गुना (म.प्र.)	20,000/-	-	01	ग्राम पिपल्या कोटरा तहसील याचोडा जिला गुना
02	11.08.2020	सहकार नगर, बैंगलोर (कर्नाटक)	-	-	05	(1) 04 श्रमिकों को जिला- बैतुल (म.प्र.) (2) 01 श्रमिक को जिला-हरदा (म.प्र.)
03	29.09.2020	जिला गुना (म.प्र.)	40,000/-	-	02	ग्राम खेराई पंचायत धमनार तह.जिला- गुना
04	07.10.2020	जिला गुना (म.प्र.)	40,000/-	-	02	ग्राम पारोद तह. बमोरी जिला- गुना
05	11.11.2020	गोंद गांव जिला बीड महाराष्ट्र	5,60,000/-	-	28	पो. जमुनिया तह. पथरिया जिला-दमोह (म.प्र.)
06	25.12.2020	गौरी बंजारा एवं ख्वाजा इब्राहिम पठान निवासी साकरुड तलुका अंबाजोगाई जिला बीड महाराष्ट्र	-	-	12	ग्राम चापानेर तह. थान्दला जिला-झाबुआ (म.प्र.)
	13		6,60,000/-	-	50	

* * *

परिशिष्ट-10.1
(देखें पद 10.1)

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के पंजीकृत उपक्रमों की श्रम कार्यालय-वार
जानकारी (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में)

जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
आगर-मालवा	0	0
अलीराजपुर	0	0
अनुपपुर	0	0
अशोकनगर	0	0
बालाघाट	05	50
बडवानी	0	0
बैतुल	0	0
भिण्ड	0	0
भोपाल	0	335
बुरहानपुर	06	70
छतरपुर	06	0
छिंदवाडा	0	10
दमोह	01	0
दतिया	0	0
देवास	0	50
धार	03	100
डिंडोरी	02	50
गुना	03	0
ग्वालियर	0	0
हरदा	0	0
होशंगाबाद	0	0
इंदौर	0	60
जबलपुर	02	0
झाबुआ	0	0
कटनी	0	0
खंडवा	0	50
खरगोन	02	125
मंडला	05	0
मंदसौर	0	0
मालनपुर	0	0
मुरैना	0	0
मंडीदीप	0	

नरसिंहपुर	0	0
नीमच	01	10
पन्ना	01	25
पीथमपुर	0	0
रायसेन	0	0
राजगढ	0	0
रतलाम	01	10
रीवा	0	0
सागर	0	0
सतना	10	170
सीहोर	0	0
सिवनी	01	10
शहडोल	02	50
शाजापुर	0	0
श्यामपुर	0	0
शिवपुरी	0	0
सीधी	02	10
सिंगरौली	05	108
टीकमगढ	0	0
उज्जैन	02	55
उमरिया	0	0
विदिशा	01	30
कुल	61	1378

* * *

नगर/कस्बे जहाँ म.प्र. दूकान एवं स्थापना अधिनियम प्रभावशील है

क.	संभाग		जिला		नगर / कस्बा
1.	इन्दौर	1.	इन्दौर	1.	इन्दौर
				2.	महू
				3.	देपालपुर
				4.	साँवर
				5.	गौतमपुरा
				6.	बेटमा
				7.	राऊ
				8.	होतीद
				9.	मानपुर
				10.	महूँगाव
		2	खडवा	11.	खडवा
				12.	मूँदी
				13.	पंधाना
				14.	आँकारेश्वर
				15.	छनैरा
		3	बुरहानपुर	16.	बुरहानपुर
				17.	नेपा नगर
				18.	शाहपुर
		4	धार	19.	धार
				20.	पीथमपुर
				21.	कुक्षी
				22.	मनावर
				23.	राजगढ़
				24.	बदनावर
				25.	धामनोद
				26.	धरमपुरी
				27.	सरदारपुर
				28.	माण्डव
				29.	डही
		5	झाबुआ	30.	झाबुआ
				31.	थांदला
				32.	पेटलावद
				33.	राणापुर
		6	अलीराजपुर	34.	अलीराजपुर
				35.	जोबट

		7.	खरगान	36.	भाबरा
				37.	खरगान
				38.	बड़वाह
				39.	मडलेश्वर
				40.	सनावद
				41.	भीकनगांव
				42.	कसरावद
				43.	महेश्वर
		8.	बड़वानी	44.	बड़वानी
				45.	अंजड़
				46.	संधवा
				47.	राजपुर
				48.	खेतिया
				49.	पानसमल
				50.	पलसूद
2.	भोपाल	9.	भोपाल	51.	भोपाल
				52.	बेरसिया
				53.	बैरागढ़
		10.	रायसेन	54.	रायसेन
				55.	मण्डीदीप
				56.	बरेली
				57.	बेगमगंज
				58.	ओवेदुल्लागंज
				59.	सुल्तानपुर
				60.	बाडी
				61.	सांची
				62.	उदयपुरा
				63.	सिलवानी
				64.	गैरतगंज
		11.	सीहोर	65.	सीहोर
				66.	आष्टा
				67.	इच्छावर
				68.	बुधनी
				69.	जावर
				70.	नसरुल्लागंज
				71.	रहेटी
				72.	कोठरी
				73.	शाहगंज
		12.	विदिशा	74.	विदिशा
				75.	गंजबासोदा

				76.	सिरोंज
				77.	कुरवाई
				78.	लटेरी
				79.	शमशाबाद
		13.	राजगढ़	80.	राजगढ़
				81.	ब्यावरा
				82.	सारंगपुर
				83.	नरसिंहगढ़
				84.	जीरापुर
				85.	खिलचीपुर
				86.	तलैन
				87.	बौडा
				88.	खुजनेर
				89.	पचौर
				90.	सुठालिया
				91.	माचलपुर
				92.	छापीहेडा
3.	होशंगाबाद	14.	होशंगाबाद	93.	होशंगाबाद
				94.	पिपरिया
				95.	इटारसी
				96.	सिवनी बनापुरा
				97.	वाबई
				98.	सोहागपुर
		15.	हरदा	99.	हरदा
				100.	खिरकिया
				101.	टिमरनी
		16.	वैतूल	102.	वैतूल
				103.	आमला
				104.	मुलताई
				105.	सारणी
				106.	भैसदेही
				107.	वैतूल बाजार
				108.	आठनेर
				109.	चिचौली
4.	ग्वालियर	17.	ग्वालियर	110.	ग्वालियर
				111.	डबरा
				112.	पिछार
				113.	दिलौआ
				114.	आंतरी
				115.	भितरवार

		18.	शिवपुरी	116	शिवपुरी
				117	कैलारस
				118	करेरा
				119	खनियाधाना
				120	पिछोर
				121	बदरवास
				122	नरवर
		19.	गुना	123	गुना
				124	राघौगढ़
				125	चाचौडावीनागंज
				126	आरोन
				127	कुंभराज
		20.	अशोकनगर	128	अशोकनगर
				129	चंदेरी
				130	मुगावली
				131	ईसागढ़
		21.	दतिया	132	दतिया
				133	भाण्डेर
				134	इंदरगढ़
				135	सेवडा
				136	बडोनी
5.	चंबल	22.	श्यापुर	137	श्यापुर कलां
				138	विजयपुर
				139	बडोदा
		23.	मुरैना	140	मुरैना
				141	अम्बाह
				142	जौरा
				143	सबलगढ़
				144	पोरसा
				145	कैलारस
				146	झुण्डपुरा
				147	बामौर
		24.	भिंड	148	भिण्ड
				149	मालनपुर
				150	गोहद
				151	मेंहगांव
				152	लहार
				153	गोरमी
				154	अकोडा
				155	मिहोना

				156.	आलमपुर
				157.	दबोह
				158.	मौ
				159.	फूफकलां
6.	उज्जैन	25.	उज्जैन	160.	उज्जैन
				161.	बड़नगर
				162.	खाचरोद
				163.	महिंदपुर
				164.	नागदा
				165.	तराना
				166.	उन्हेल
				167.	माकडोन
		26.	रतलाम	168.	रतलाम
				169.	आलोट
				170.	जावरा
				171.	ताल
				172.	सैलाना
				173.	नामली
				174.	बडावदा
				175.	पिपलौदा
				176.	धामनोद
		27.	देवास	177.	देवास
				178.	सोनकच्छ
				179.	कन्नोद
				180.	खातेगांव
				181.	हार्टपिपल्या
				182.	बागली
				183.	भौरासा
				184.	करनावद
				185.	काटाफोड
				186.	लोहारदा
				187.	सतवास
				188.	टोंकखुर्द
				189.	पिपलरंवा
		28.	शाजापुर	190.	शाजापुर
				191.	शुजालपुर
				192.	आगर
				193.	नलखेडा
				194.	मक्सी
				195.	बडौद

				196	कानड
				197	अकोदिया
				198	सुसनेर
				199	सोयतकला
				200	बडागांव
				201	पोलायकला
		29	मन्दसौर	202	मन्दसौर
				203	श्यामगढ़
				204	सीतामऊ
				205	पिपल्यामंडी
				206	नारायणगढ़
				207	मल्हारगढ़
				208	भानपुर
				209	नगरी
				210	गरोठ
				211	सुवासरा
		30	नीमच	212	नीमच
				213	मनासा
				214	रामपुरा
				215	जावद
				216	जीरन
				217	रतनगढ़
				218	सिंगोली
				219	डिक्रेन
				220	कुंकडेश्वर
7.	सागर	31	सागर	221	सागर
				222	बीना
				223	गढाकोटा
				224	खुरई
				225	देवरी
				226	रेहली
				227	राहतगढ़
				228	बडा
				229	शाहपुर
				230	शाहगढ़
		32	दमोह	231	दमोह
				232	हटा
				233	तेंदुखेडा
				234	पथरिया
				235	हिन्दारिया

		33.	पन्ना	236.	पन्ना
				237.	अमानगंज
				238.	देवेन्द्र नगर
				239.	अजयगढ़
				240.	ककरहटी
				241.	पवई
		34.	छतरपुर	242.	छतरपुर
				243.	नौगांव
				244.	खजुराहो
				245.	लौडी
				246.	हरपालपुर
				247.	महाराजपुर
				248.	बिजावर
				249.	बड़ामल्हरा
				250.	धुवारा
				251.	सटई
				252.	बारीगढ़
				253.	गढ़ीमल्हरा
				254.	बक्सवाहा
				255.	चन्दला
				256.	राजनगर
		35.	टीकमगढ़	257.	टीकमगढ़
				258.	निवाडी
				259.	पृथ्वीपुर
				260.	देवगढ़
				261.	खरगापुर
				262.	पलेरा
				263.	जैरोनखालसा
				264.	तरीचरकलां
				265.	जतारा
				266.	लिधोराखास
				267.	बडागांव
				268.	कारी
				269.	ओरछा
8.	जबलपुर	36.	जबलपुर	270.	जबलपुर
				271.	सिहोरा
				272.	पनागर
				273.	बरेला
				274.	भेडाघाट
				275.	शाहपुर

			276	पाटन
			277	मझौली
			278	कटंगी
	37.	कटनी	279	कटनी
			280	कैमोर
			281	बरही
			282	विजयराघवगढ़
	38.	नरसिंहपुर	283	नरसिंहपुर
			284	गोटेगांव
			285	करेली
			286	गाडरवाड़ा
			287	तेंदुखेडा
	39.	छिन्दवाड़ा	288	छिन्दवाड़ा
			289	परासिया
			290	सौसर
			291	पांदुर्ना
			292	जुन्नारदेव
			293	दमुआ
			294	चौरई
			295	अमरवाडा
			296	हरई
			297	लोधीखेडा
			298	न्यूटन चिखली
			299	चांदामेटा बुटारिया
			300	मोहगांव
			301	बडकुही
			302	पपलानारायणवार
	40.	सिवनी	303	सिवनी
			304	लखनादौन
			305	बरघाट
	41.	मण्डला	306	मण्डला
			307	नैनपुर
			308	बम्हनीबंजर
			309	निवास
			310	बिछिया
	42.	डिण्डोरी	311	डिण्डोरी
			312	शाहपुरा
	43.	बालाघाट	313	बालाघाट
			314	वारासिवनी
			315	मलाजखंड

				316.	कटगी
				317.	बैहर
				318.	लाजी
9.	रीवा	44.	रीवा	319.	रीवा
				320.	मउगज
				321.	त्योथर
				322.	बैकुण्ठपुर
				323.	हनुमना
				324.	चाकघाट
				325.	गोविन्दगढ़
				326.	नईगढी
				327.	सिरमौर
				328.	मनगवा
				329.	सेमरिया
				330.	गुड
		45.	सीधी	331.	सीधी
				332.	गुरडट
				333.	रामपुरनेकिन
				334.	मझौली
		46.	सिंगरौली	335.	सिंगरौली
		47.	सतना	336.	सतना
				337.	नागाद
				338.	मैहर
				339.	जैतवारा
				340.	उधेहरा
				341.	अमरपाटन
				342.	नागाद
				343.	चित्रकूट
				344.	विरसिंहपुर
				345.	कोटर
				346.	कोठी
				347.	रामपुर-बघेलान
				348.	शहडोल
10	शहडोल	48.	शहडोल	349.	बुढार
				350.	धनपुरी
				351.	कातना
				352.	ब्यौहारी
				353.	जयसिंहनगर
				354.	खाण्ड
		49.	अनूपपुर	355.	अनूपपुर

				356.	पसान
				357.	बिजूरी
				358.	जैतहरी
				359.	अमरकटक
		50.	उमरिया	360.	उमरिया
				361.	चंदिया
				362.	नौरोजाबाद
				363.	पाली

परिशिष्ट-10.3

म.प्र. दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 के पंजीकृत स्थापनाओं/श्रमिकों की संख्या एवं श्रमिकों की संख्या बाबद श्रम कार्यालय-वार जानकारी (विभागीय पोर्टल पर दर्शित)

(दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 की स्थिति में)

संभाग / जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	पंजीकृत स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों की संख्या
1	2	3
आगर-मालवा	984	2204
अलीराजपुर	281	542
अनुपपुर	341	915
अशोकनगर	1080	10559
बालाघाट	1439	3853
बडवानी	1181	3239
बैतुल	2048	5381
भिण्ड	1302	3457
भोपाल	51188	187983
बुरहानपुर	1934	4226
छतरपुर	1517	4214
छिंदवाडा	2917	8789
दमोह	830	2168
दतिया	571	1879
देवास	5379	14102
धार	4493	14089
डिंडोरी	203	704
गुना	2288	4156
ग्वालियर	16654	45575
हरदा	1137	2659
होशंगाबाद	4134	9397
इंदौर	80303	278647
जबलपुर	10802	25246
झाबुआ	534	1801
कटनी	2836	5741
खंडवा	1906	4124
खरगोन	2146	4572
मंडला	483	1211

मंदसौर	2574	4080
मुरेना	1975	5555
नरसिंहपुर	1413	3070
नीमच	2519	4685
पन्ना	535	1090
रायसेन	4507	12624
राजगढ़	1807	4300
रतलाम	5005	9974
रीवा	2713	7675
सागर	3852	9440
सतना	5748	10498
सीहोर	3348	19295
सिवनी	809	1929
शहडोल	973	2605
शाजापुर	1850	3541
श्यामपुर	533	1442
शिवपुरी	2150	4316
सीधी	439	1205
सिंगरौली	600	2143
टीकमगढ़	423	1319
उज्जैन	10119	20548
उमरिया	420	1032
विदिशा	4635	8411
कुल	259858	792210

**ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत
स्थापनाओं की श्रम कार्यालय-वार जानकारी
(विभागीय पोर्टल पर दर्शित)
(दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 की स्थिति में)**

जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
आगर-मालवा	01	10	200
अलीराजपुर	01	05	100
अनुपपुर	02	47	940
अशोकनगर	02	01	20
बालाघाट	03	04	80
बडवानी	02	25	500
बैतुल	12	45	900
भिण्ड	12	121	2420
भोपाल	34	173	3460
बुरहानपुर	04	13	260
छतरपुर	03	16	320
छिंदवाडा	18	117	2340
दमोह	02	12	240
दतिया	02	14	280
देवास	18	129	2580
धार	71	466	9320
डिंडोरी	00	08	160
गुना	02	09	180
ग्वालियर	22	76	1520
हरदा	04	9	180
होशंगाबाद	06	22	440
इंदौर	92	246	4920
जबलपुर	27	98	1960
झाबुआ	03	19	380
कटनी	08	56	1120
खंडवा	03	62	1240
खरगोन	06	51	1020
मंडला	04	50	1000

मंदसौर	03	32	640
मुरैना	10	54	1080
नरसिंहपुर	03	14	280
नीमच	09	19	380
पन्ना	00	05	100
रायसेन	14	222	4440
राजगढ़	02	18	360
रतलाम	06	45	900
रीवा	14	74	1480
सागर	10	41	820
सतना	08	36	720
सीहोर	08	67	1340
सिवनी	02	30	600
शहडोल	06	23	460
शाजापुर	02	15	300
श्योपुर	01	09	180
शिवपुरी	02	09	180
सीधी	01	15	300
सिंगरौली	09	173	3460
टीकमगढ़	00	06	120
उज्जैन	15	98	1960
उमरिया	01	50	1000
विदिशा	06	27	540
कुल	496	2986	59720

परिशिष्ट-10.5

अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तों)
अधिनियम, 1979 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय-वार
जानकारी
(विभागीय पोर्टल पर दर्शित)
(दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 की स्थिति में)

जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
आगर-मालवा	1	1	5
अलीराजपुर	2	1	5
अनुपपुर	14	5	25
अशोकनगर	1	0	0
बालाघाट	5	0	0
बडवानी	3	0	0
बैतुल	10	0	0
भिण्ड	5	0	0
भोपाल	2	0	0
बुरहानपुर	1	2	10
छतरपुर	2	1	5
छिंदवाडा	1	3	15
दमोह	1	0	0
दतिया	1	1	5
देवास	4	3	15
धार	1	1	5
डिंडोरी	0	0	0
गुना	1	1	5
ग्वालियर	4	1	5
हरदा	0	0	0
होशंगाबाद	6	3	15
इंदौर	4	0	0
जबलपुर	2	1	5
झाबुआ	8	2	10
कटनी	1	4	20

खंडवा	5	7	35
खरगोन	0	0	0
मंडला	1	6	30
मंदसौर	0	6	30
मुरैना	2	0	0
नरसिंहपुर	-	0	0
नीमच	0	2	10
पन्ना	-	0	0
रायसेन	30	6	30
राजगढ़	3	0	0
रतलाम	1	2	10
रीवा	2	2	10
सागर	-	1	5
सतना	11	0	0
सीहोर	4	3	15
सिवनी	1	2	10
शहडोल	-	0	0
शाजापुर	1	1	5
श्योपुर	-	0	0
शिवपुरी	1	0	0
सीधी	1	2	10
सिंगरौली	8	2	10
टीकमगढ़	5	1	5
उज्जैन	25	8	40
उमरिया	-	0	0
विदिशा	-	0	0
कुल	181	81	405

परिशिष्ट-11.1
(देखें पद 11.4)

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों/औषधालयों में उपचारित मरीज

क्र.	वर्ष	चिकित्सालय						औषधालय	
		भर्ती मरीजों की संख्या		कुल भर्ती दिवस		भरे हुए पलंगों का प्रतिशत		उपचारित मरीजों की संख्या	
		सामान्य	क्षय	सामान्य	क्षय	सामान्य	क्षय	बीमित व्यक्ति	परिवार के सदस्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2018-2019	13,363	462	47,019	11182	37	41	10,08,423	11,14,697
2	2019-2020	13,571	489	39,207	11,067	29	40	10,82,659	11,55,800
3	2020-2021 (31 दिसम्बर 2020 तक)	1,09,1	35	3,419	554	5	3	2,17,193	2,27,174

परिशिष्ट 11.2
(देखें पद 11.5)

परिवार कल्याण कार्यक्रम

क्र.	विवरण	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)
1	कुल नसबन्दी	1062	1361	187
	(क) पुरुष नसबन्दी	219	160	18
	(ख) महिला नसबन्दी	843	1201	169
2	कॉपर टी	81	79	25
3	निरोध वितरण	28856	40981	15454
4	गर्भ निरोधक गोलियों (वितरण स्ट्रिप)	2877	7786	1343

परिशिष्ट 11.3
(देखें पद 11.5)

टीकाकरण				
क.	विवरण	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)
1	बी०सी०जी०	96	353	41
2	पोलियों	467	546	167
3	डी०पी०टी०	332	530	159
4	खसरा	158	358	58
5	डी०टी०	121	421	2
6	टिटनेस टाकसाईड			
	1. एन्टीनेटल कैसेस	1320	761	579
	2. बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवार सदस्य	5949	7391	406
	3. अन्य	1167	950	214
7	हेपेटाईटिस-बी	323	445	110
8	एम एम आर	18	281	16

**कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें मध्य प्रदेश के विभिन्न केन्द्र/चिकित्सालयों में
शैक्षणिक गतिविधियों तथा शिविरों का विवरण**

क.	विवरण	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)	
		शिविरों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	शिविरों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	शिविरों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	शैक्षणिक गतिविधियाँ	1179	48941	1277	59814	92	1619
2	स्वास्थ्य संबंधी शिविर	606	27952	719	53141	28	857

परिशिष्ट-11.4
(देखें पद 11.5)

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में किये गये ऑपरेशनों का विवरण
(दिनांक 1.4.2020 से 31.12.2020 तक)

क. चिकि० का नाम	स्त्री रोग		अस्थि रोग		नेत्र रोग		सर्जरी		कान, नाक, गला रोग		डेंटल सर्जरी	
	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	ऐक्स ट्रेक्शन	फिलिंग एण्ड
											ऑफ टुथ	अदर सर्जरी
1 भोपाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
2 ग्वालियर	—	—	—	3	—	2	—	6	—	—	—	—
3 देवास	—	—	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—
4 उज्जैन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 नागदा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

टीप

मेजर ऑपरेशन से तात्पर्य ऐसी शल्य किया जो प्रमुख रूप से ऑपरेशन थियेटर्स में जनरल/स्पाईनल एनेस्थेसिया दे कर शरीर के प्रमुख एवं संवेदनशील भागों पर सम्पन्न की जाती हो एवं जिनमें अधिक समय व जोखिम निहित हो यथा— हार्नियां, ऐपेन्डिक्स निष्कासन, उदरीय शल्य कियाए, तंत्रिक तंत्र (न्यूरों सर्जरी) की शल्य किया, थायरॉइड शल्य किया गर्भाशय विच्छेदन, नेलिंग—प्लेटिंग अस्थि शल्य किया आदि ।

मायनर ऑपरेशन कम जोखिम पूर्ण, कम समयावधि एवं स्थानिक/अल्पकालिक एनेस्थेसिया में सम्पन्न होने वाले ऑपरेशन है यथा — एम.टी.पी./एब्ससेस, इनसिजन व ड्रेनेज/फेक्चर रिडक्शन एवं प्लास्टर लगाना आदि ।

वर्ष 2020 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण

अ. क्र.	कार्यालय का नाम	वर्ष 2020 के प्रारंभ में लंबित प्रकरण	वर्ष में दायर प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निर्णित प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष रहे प्रकरण
01.	अध्यक्ष, औ. न्यायालय, म.प्र. इन्दौर	248	23	271	105	166
02.	सदस्य न्यायाधीश औ. न्यायालय, म.प्र. इन्दौर	61	49	110	23	87
03.	सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ जबलपुर	58	0	58	35	23
04.	सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ ग्वालियर	9	9	18	5	13
05.	सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ भोपाल	15	16	31	22	9
06.	सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ रीवा	161	39	200	0	200
	योग:-	552	136	688	190	498

परिशिष्ट 12.2

विभिन्न श्रम न्यायालयों में वर्ष 2020 के आरंभ में लंबित, वर्ष में दायर तथा वर्ष में निराकृत सिविल तथा फौजदारी प्रकरण											
क्रमांक/ संभाग	श्रम न्यायालय	वर्ष 2020 के प्रारंभ में लंबित प्रकरण		वर्ष में दायर प्रकरण		योग		वर्ष में निराकृत प्रकरणों की संख्या		वर्ष 2020 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या	
		सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 इन्दौर	1 इन्दौर	3617	719	510	0	4127	719	127	0	4000	719
	2 धार	950	104	250	1	1200	105	121	1	1079	104
	3 खंडवा	559	0	241	0	800	0	120	0	680	0
2 उज्जैन	1 उज्जैन	1680	33	542	0	2222	33	258	0	1964	33
	2 देवास	657	82	209	6	866	88	115	1	751	87
	3 रतलाम	199	28	0	0	199	28	3	0	196	28
	4 मन्दसौर	177	39	74	0	251	39	24	1	227	38
3 भोपाल	1 भोपाल क्र.1	1852	6	416	0	2268	6	224	0	2044	6
	2 भोपाल क्र.2	599	224	114	0	713	224	78	26	635	198
	3 बैतुल	156	7	0	0	156	7	0	0	156	7
4 सागर	1 सागर	692	3	87	0	779	3	15	0	764	3
5 जबलपुर	1 जबलपुर	1297	312	157	0	1554	312	122	0	1432	312
	2 छिन्दवाड़ा	227	11	49	0	276	11	20	0	256	11
	3 बालाघाट	99	0	0	0	99	0	0	0	99	0
	4 नरसिंहपुर	125	1	15	0	140	1	9	0	131	1
6 रीवा	1 रीवा	976	12	296	0	1272	12	176	12	1096	0
	2 सतना	614	1	172	0	786	1	123	0	663	1
	3 शहडोल	193	1	36	0	229	1	21	0	208	1
	4 सीधी	286	7	114	0	400	7	29	0	371	7
7 ग्वालियर	1 क्र.1 ग्वालियर	337	3	173	0	510	3	64	0	446	3
	2 क्र.2 ग्वालियर	465	1	149	0	614	1	65	0	549	1
	3 क्र.3 ग्वालियर	71	2	10	0	81	2	2	0	79	2
8 होशंगाबाद	1 होशंगाबाद	239	0	63	0	302	0	37	0	265	0
	योग	16067	1596	3677	7	19844	1603	1753	41	18091	1562
